छत्तीसगढ़ विधान सभा
की
अशोधित कार्यवाही

पंचम विधान सभा **द्वितीय सत्र**

गुरूवार, दिनांक 18 जुलाई, 2019

(आषाढ़ 27, शक सम्वत् 1941)

[अंक 04]

कार्यालय प्रति

छत्तीसगढ़ विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई, 2019

(आषाढ़-27, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर</u>

<u>जिला बिलासपुर में मान्यता प्राप्त संचालित अशासकीय स्कूल</u>

1. (*क्र. 755) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले में कुल कितने अशासकीय स्कूल संचालित हैं ? कितने अशासकीय स्कूल मान्यता प्राप्त हैं ? (ख) अशासकीय स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों के लिए शुल्क निर्धारण के क्या नियम हैं ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) बिलासपुर जिले में 690 मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाएं संचालित है. बिना मान्यता की कोई भी शालाएं संचालित नहीं है. (ख) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं के लिए अधिसूचित शुल्क लेने का प्रावधान है. कक्षा 9 से 12 वीं कक्षा में शुल्क के निर्धारण के संबंध में वर्तमान में कोई निर्देश नहीं है.

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में आया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं के लिए अधिसूचित शुल्क लेने का प्रावधान है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि अधिसूचित शुल्क का क्या अभिप्राय है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के अधिकार के तहत् भारत सरकार की गाइड लाईन के अनुसार कक्षा 1 से लेकर 8 तक नि:शुल्क शिक्षा है और चूंकि सरकारी स्कूल में बहुत अधिक फीस नहीं लगती है, लेकिन आर.टी.ई. के तहत् अगर प्राईवेट स्कूल में या दूसरे कोर्स में चाहे सी.बी.एस.ई. हो या दूसरे कोर्स में जो बच्चे वहां एडमिशन लेते हैं तो उनके लिये उसमें निर्धारित शुल्क रहता है ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने केवल आर.टी.ई. के संबंध में नहीं पूछा है । मैंने निजी स्कूलों द्वारा शुल्क लेने का क्या नियम है उसमें सारी चीजें समाहित हैं और इसमें शुल्क लेने की जो प्रक्रिया है मैंने उसके बारे में पूछा है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शाला प्रबंधन समिति की कमेटी होती है और कुछ पालक उस कमेटी में रहते हैं वे दोनों मिलकर एक साल में इनकी क्या फीस रहेगी तो उनके फीस का स्ट्रक्चर वे लोग तय करते हैं और तय करने के बाद पालक को बुलाते हैं, पालक से उसकी सहमति लेते हैं और सहमति लेने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी को भेजते हैं । जिला शिक्षा अधिकारी उसमें अपनी सहमति देता है, सबकी सहमति से चूंकि उस कमेटी में पालक भी रहते हैं और जो प्रबंधन समिति है वह भी रहता है तो सबकी सलाह से एक साल के लिये फीस का निर्धारण करते हैं और जब डी.ओ. के पास भेजते हैं तो वहां से जब उसकी अनुमति होती है कि साल भर का हमारा यह फीस स्ट्रक्चर है, हमें प्रति छात्र इतनी फीस लेनी पड़ेगी ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चंद्राकर ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इसमें मेरे 2-3 और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं । इसी से संबंधित हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप 2-3 प्रश्न नहीं कर सकते । आप एक और प्रश्न कर लीजिये ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इसमें 2 और प्रश्न हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप पूरक प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 13 अप्रेल 2012 को स्कूल निर्धारण के लिये एक दिशा-निर्देश जारी हुआ था तो क्या यह दिशा-निर्देश आज की तारीख में मान्य है या इसके बाद और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किसी प्रकार के दिशा-निर्देश दिये गये हैं ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिशा-निर्देश तो समय-समय पर निकलते रहते हैं । यह तो प्रक्रिया है । कोई एक-बार तो नहीं निकलता है, यह तो हमेशा निकलता रहता है कि क्या होना चाहिए, उसके सुधार के लिये क्या होना चाहिए ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें साफ-साफ शुल्क वृद्धि और अन्य विषयों के बारे में लिखा है जिसका पालन निजी विद्यालयों द्वारा नहीं हो रहा है इसीलिये इसके बाद यदि निर्देश नहीं हुए चूंकि इसमें बहुत सारे बिंदु हैं मैं इसको पढ़ सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, हो गया ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका पालन नहीं हो रहा है । दूसरा विषय यह है कि नवमीं से बारहवीं तक इनका जो उत्तर है कि कक्षा नवमीं से बारहवीं तक के शुल्क निर्धारण के संबंध में वर्तमान में कोई निर्देश नहीं है इस प्रकार पूरे प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा चाहे वह शुल्क हो चाहे वह कई प्रकार के पुस्कालय शुल्क, स्पोर्टस शुल्क और जहां-जहां यह नहीं है वहां भी लिया जा रहा है तो इसलिये मेरा इसमें आग्रह है कि जो निर्देश हैं उसका परिपालन किया जाये और मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिये वह किसी फीस विनियामक आयोग का गठन करेंगे और आने वाले समय तक जब तक उसकी रिपोर्ट न आ जाये तब तक क्या वर्ष 2017-18 के शैक्षणिक सत्र के लिये जो शुल्क लिया जा रहा था इस शुल्क को उसी स्थान पर यथावत रखेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में ही कहा कि शिक्षा के अधिकार के तहत् जो भारत के मानव संसाधन मंत्रालय की जो गाईड लाईन है उसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक कव्हर्ड है और उसके बाद नवमीं के बाद उसके कोई दिशा-निर्देश नहीं है कि उसमें कितनी फीस दी जायेगी और इसीलिये विभिन्न स्तरों पर पालकों के द्वारा भी कई बार यह ध्यान आकर्षित किया गया है कि चूंकि प्राईवेट स्कूल बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं इसलिये फीस लेना विनियामक आयोग की आवश्यकता है और हमारी सरकार ने यह तय किया है कि हम फीस विनियामक आयोग बनायेंगे उसके लिये कमेटी का गठन प्रचलन में है । गठन होने के बाद विभिन्न राज्यों का आंकलन करके, दौरा करके उसमें देखेंगे कि कहां की फीस अच्छी है तो उसके अनुसार हम लोग तय करेंगे तो हम लोग यह विनियामक आयोग बनायेंगे चूंकि इस बारे में सभी की चिंता है ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चंद्राकर ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में यह लिखा है कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं के लिए अधिसूचित शुल्क लेने का प्रावधान है । 2-3 परिशिष्ट हैं उनमें आपने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी राशि के संबंध में बताया है । मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने प्रश्नाधीन अवधि में इन 690 स्कूलों में अधिसूचित शुल्क कितना लिया और उसको किस अनुपात में, किस आधार पर जारी करते हैं ? आपने जारी करने के बारे में बताया है, लेने के बारे में नहीं बताया है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में ही बताया कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक कवर्ड हैं, उसके आगे का नहीं है । लेकिन जो आरटीई के तहत आपने जिस बात का उल्लेख किया है । उसमें शाला की जो भी फीस होगी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने बहुत छोटा सा प्रश्न किया है कि आपने कितनी राशि ली है ?

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- मैं वही बता रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, स्कूल की फीस चाहे जितनी भी हो प्राथमिक स्तर पर सी.जी.बोर्ड के जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों में नि:शुल्क पढ़ाई होती है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है । आपने स्वीकार किया है कि अधिसूचित शुल्क लेने का प्रावधान है । आप परिशिष्ट को देख लीजिए, आपने परिशिष्ट में राशि जारी करने की जानकारी दी है । मैंने यही पूछा है कि आपने उन स्कूलों से कितनी राशि ली है और किस अनुपात में उन स्कूलों को कब तक राशि जारी करते हैं ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- हर स्कूल का अलग-अलग फीस स्ट्रक्चर रहता है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, मंत्री जी इसके बारे में आप, इनको जानकारी दे दीजिए । आदरणीय कौशिक जी प्रश्न करें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय :- कौशिक जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक छोटा सा ।

अध्यक्ष महोदय :- कौशिक जी ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारी स्कूलों से शिकायतें आ रही हैं । एक तो निजी विद्यालयों ने फीस की राशि बढ़ा दी है । दूसरा, किसी दुकान को चिन्हांकित करके, एड्रेस को चिन्हांकित करके बताया जाता है आपको पुस्तकें यहीं से खरीदना है । इस प्रकार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्रवाई हुई है ? फिर उसके बाद 9वीं से 12वीं तक के लिए आपने कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है । क्या इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी करेंगे और यदि जारी करेंगे तो कब ? फीस नियामक आयोग का गठन आप कब तक कर देंगे और वह प्रभावशील हो जाएगा, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबकी चिंता है कि शिक्षा सस्ती और सुलभ हो । इसीलिए 13 अप्रैल 2012 को विभाग ने एक परिपत्र जारी किया है कि शिक्षा राज्य का एक महत्वपूर्ण विषय है और शासन की नीति है कि प्रदेश में शिक्षा को व्यवसाय के रूप में नहीं बल्कि सेवा के रूप में संचालित किया जाना चाहिए । राज्य की निजी संस्थाओं द्वारा संचालित किए जाने वाली मान्यता प्राप्त ..।

श्री धरमलाल कौशिक :- वह तो मेरे पास है, अध्यक्ष महोदय ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आपने इस विषय में पूछा है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- वह मेरे पास है । मैंने यह पूछा है कि आपको कितनी शिकायतें प्राप्त हुई । अगर शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं तो बताइए कि प्राप्त नहीं हुई । 30 परसेंट से अधिक फीस की

असंशोधित/मुद्रण के लिये नहीं

दर जिन स्कूलों ने वसूली है, क्या उन्हें वापस कराएंगे । आपके घोषणा पत्र में है कि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को भी हम उसमें निर्धारित करेंगे ? तो यह कार्य कब तक करेंगे, यह कब प्रभावशील होगा, मैंने केवल इतना ही पूछा है और आप मुझे पढ़कर बता रहे हैं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, मैं अभी यह पढ़ रहा था कि हमारे क्या दिशा निर्देश हैं । इस संबंध में अभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती इन्दू बंजारे ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इस परिपत्र का कहीं पालन नहीं हो रहा है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- 9वीं से 12वीं तक के लिए दिशा निर्देश नहीं हैं । आपके घोषणा पत्र में भी यह है, इसे कब तक लागू करेंगे, यह कब तक प्रभावशील हो जाएगा, यह बताइए ना ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो आरटीई के तहत जो जहां पर पढ़ रहे हैं उनमें 9वीं क्लास में भी उनकी निरन्तरता जारी रहेगी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी 9वीं से 12 तक शिक्षा के अधिकार में नहीं है, आप कब तक लागू करेंगे यह बताइए ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- हम लोगों ने 9वीं में शुरूआत कर दी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने कहा है निःशुल्क शिक्षा देंगे । अब आप कब से देंगे यह बताइए ? (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जिन बच्चों ने 8वीं पास कर लिया है । (व्यवधान) जिन्होंने आठवीं पास कर लिया है, उनको निकाला नहीं जाएगा । जो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई चलती रहेगी । माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की अगुवाई में यह तय हुआ है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, एक ही प्रश्न में 10 मिनट हो गया ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- इनकी सरकार ने कुछ किया नहीं है । जो किया है उसको बताते हैं तो ये सुनते नहीं हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय [xx][1] जी बैठिये ना ।

अध्यक्ष महोदय :- वे नई सदस्य हैं उनको पूछने दीजिए, आप लोग बैठिये ना। इंदू बंजारे पूछो ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इस निर्देश का कहीं पालन नहीं हो रहा हे । मैं कहना चाह रहा हूं ।

---

[1] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सत्यनारायण शर्मा :- चन्द्राकर जी से थोड़ा धीरे बोलने का आग्रह कर रहे हैं । इसने जोरे से बोलते हैं जैसे किसी को खा जाएंगे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सदस्यों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी होते रहना चाहिए ।

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

अध्यक्ष महोदय :- बोलने दीजिए न।

श्री अमरजीत भगत :- मुझे अजय चन्द्राकर जी ने [xx][2] कहा है। मुझे अपमानित करने के लिए कहा है। विपक्ष को ऐसा बोलने के लिए (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सदस्य की ऐसी कोई मूल भावना नहीं है और ये जाने बिना कि ऐसी बहुत सी बातें आती हैं, यदि इतनी गंभीरता से मंत्री जी को खराब लगेगा तो आप किसी के रहम करम पर नहीं आये।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सदस्य माफी मांगे। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- वे कई बार हंसी मजाक करते हैं। यदि इस बात को गंभीर बनाया जायेगा, मुद्दा बनाया जायेगा तो विधान सभा में दिक्कत होगी। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- हल ढूंढने के बजाय माननीय महोदय बात को दबा रहे हैं। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, माननीय मंत्री जी। अगर कोई ऐसा शब्द आया होगा तो मैं उसे विलोपित कर दूंगा। पहले प्रश्न को 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। नयी सदस्य आयी हैं, उनको पूछने दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष जी, इन्होंने गलत किया है [xx] बोलकर। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इन्हें इलाज कराने की आवश्यकता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपका तो स्वास्थ्य ठीक है न? (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- (व्यवधान) सब लोगों (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, ये तो जिंदा लोगों को ही मरा हुआ घोषित करा देते हैं। इसी सदन में आये हैं। जिंदा लोगों को मरा हुआ घोषित करा देते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, इंदू बंजारे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मंत्री जी, आज आपका क्वेश्चन डे नहीं है। ऐसी मिथ्या बात मत करिए। (व्यवधान)

---

[2] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित किया गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- अमरजीत जी, आप एक काम कीजिए। उसको संशोधित कर लीजिए। भूपेश सरकार के मंत्री जी बैठिए ऐसा। गलत है क्या ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य को बोलिए कि आदिवासियों के प्रति इस तरह की बात कर रहे हैं इसके लिए वे खेद व्यक्त करें। बोलो (xx), क्या इन्हें ऐसा बोलने का अधिकार हैं ? अगर इस तरह की बात कही है तो उसको विलोपित किया जाए और माननीय सदस्य खेद व्यक्त करें। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- किस बात का खेद व्यक्त करें ? ऐसा बोल रहे हैं किस बात का खेद व्यक्त करें(व्यवधान)

श्री मनोज सिंह मंडावी :- सदन में जाति और धर्म का उल्लेख करना भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। इन्हें माफी मांगनी चाहिए। शब्द को वापस लेना होगा। (व्यवधान) इससे कोई समझौता नहीं होगा। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये गलत परंपरा है।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट बैठिए। बैठिए तो। (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- ये तो माफी मांगे तो मैं अपनी बात कहूं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय सदस्य खेद व्यक्त करें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सदस्य खेद व्यक्त करें और विलोपित भी किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठ जाएं।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष महोदय, जाति वाचक सूचक...।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट-एक मिनट।

श्री अजीत जोगी :- एक मिनट मुझे बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपको एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आग्रह करता हूं। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- और एक्सपर्ट ओपिनियन रहना चाहिए न।

अध्यक्ष महोदय :- जी बोलिए।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विन्रमतापूर्वक आग्रह करना चाहूंगा कि जाति वाचक शब्द का प्रयोग करना घोर आपत्तिजनक है। (शेम-शेम की आवाजें) मैं अजय चन्द्राकर जी, बहुत वरिष्ठ, जानकार और हम सबके प्रिय मित्र हैं। हो सकता है कि अनजाने में उनसे यह भूल हुई है, किन्तु मेरा यह मानना है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा और अजय जी से भी अनुरोध करूंगा कि अपने शब्द को

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वापस लेने से आदमी का कद बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता है। अगर कोई भी इस तरह के शब्द का प्रयोग हो गया है तो खड़े होकर अजय जी कह दें कि प्रवाह में बोलते हुए उनसे ऐसा हो गया है और मैं उस शब्द को वापस लेता हूँ। इससे उनका कद बहुत बढ़ जायेगा, घटेगा नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद माननीय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे खेद से आज के बाद यह उल्लेख होना बंद हो जायेगा, तो इस सदन के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। अपनी राजनीतिक क्षमता, अपनी राजनीतिक कमजोरियों और अपनी चीजों को दबाने के लिए जो व्यक्ति आज मुझे माफी मांगने के लिए कह रहे है..।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आदिवासी के नाम से गाली देना...।

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको सदन में माफी मांगनी चाहिए। आप हमारे आदिवासियों का अपमान नहीं कर सकते हैं । (व्यवधान)

डॉ0 लक्ष्मी ध्रुव :- यहां पर क्यों बोला जा रहा है। उनको खेद व्यक्त कर लेना चाहिए।

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- यहां हम लोग भी पढ़े-लिखे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- बोलने तो दीजिये।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन की गरिमा के खिलाफ है।...(व्यवधान)

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आसंदी से आदेश दिया जाये कि इनसे माफी मांगे। आसंदी से निर्देश दिया जाये कि माफी मांगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- पहले वे अपनी बात कर लें, उसके बाद मैं आदेश करूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि वे मेरी बात से असंतुष्ट होंगे तो उन्हें मांग करने का अधिकार है।

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- यदि गलती किए हैं तो माफी मांग लेने में क्या दिक्कत है। माफी मांग लीजिये।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अजय चन्द्राकर जी, आप भी चुनाव जीतकर आये हैं मैं भी चुनाव जीतकर आया हूँ और आपको यह अधिकार नहीं है कि [3][xx] बोलो। आपको यह किसने अधिकार दिया है? दादागिरी दिखाना चाहते हो क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- आप उनकी बात सुन लीजिये, उसके बाद बात करिये।

---

[3] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजीत जोगी :- मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, इतना कह दो।

श्री अजय चन्द्राकर :- हां-हां, बिलकुल बोल रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- हां, कह रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं बिलकुल बोल रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन ली जाये। मैं बिलकुल बोल रहा हूँ जो माननीय जोगी जी का निर्देश है, वे वरिष्ठमत सदस्य हैं। आज के बाद यदि कोई भी वर्ग इस सदन में वह व्यक्ति मुझे खेद व्यक्त करने के लिए कहे हैं या कह रहे हैं, जिनका उपयोग उन्होंने बार-बार किया है। अगर मेरे उस शब्द के वापस लेने से, खेद व्यक्त करने से छत्तीसगढ़ की संस्कृति कि इस सदन में भी जातिवाद और दूसरी बातें बंद हो जायेगी तो मैं सौ बार माफी मांगता हूँ, अध्यक्ष महोदय। लेकिन इस बात को जानना होगा और इस बात को समझना होगा कि इसकी शुरूआत कब, किसने, कैसे की और इससे पहले मैंने कभी जातिवादी बात इन 20 सालों में इस सदन में की है, तो आप निकलवा लीजिये ? इसीलिए मैंने कहा कि आज आपके निर्देश में ...।

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- सन् 1952 के चुनाव के बाद कौन क्या किया, उससे मतलब नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह है कि आपकी व्यवस्था होने के बाद, मेरे माफी मांगने से, मैं माफी मांगता हूँ। मेरे माफी मांगने के बाद आपका एक स्थाई आदेश निकलना चाहिए।

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- मतलब अभी का है। अभी आपने आदिवासी का नाम लिया है। यदि नाम लिया है तो माफी मांगना पड़ेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं माफी मांग रहा हूँ।

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- पहले 20 और 30 साल की कोई जरूरत नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं माफी मांग रहा हूँ, बोला।

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- उस समय के सदस्य क्या किए हैं, वह मैं नहीं मानता। अभी जो आप कहे हैं, उसकी बात करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरी बात सुनो यार, समझ में आयेगा।

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- यार-यार बोल रहे हो ये क्या बात है, आदिवासियों की बात है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये क्या बात हुई। ....(व्यवधान)

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- हूल दे रहे कि माफी मांग रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो बोल रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ। ....(व्यवधान)

डॉ0 लक्ष्मी ध्रुव :- यह एक तरीक है, सही करने का। आप अर्न्तआत्मा की आवाज स्वीकार करिये।

श्री अमरजीत भगत :- लगातार अपमान कर रहे हैं।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं बोल रहा हूँ, मैं सौ बार माफी मांगता हूँ।

डॉ0 लक्ष्मी ध्रुव :- यदि गलत है तो अर्न्तआत्मा की आवाज स्वीकार करिये। इस तरह से चिल्लाने से काम नहीं चलेगा।

श्री अमरजीत भगत :- केवल व्यक्तिगत मुद्दे पर बोलते तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से पूरे वर्ग को संबोधित करके बोला, वह आपत्तिजनक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं सौ बार माफी मांग रहा हूँ। आप जितने लोगों से कहें, मैं उनसे माफी मांगता हूँ।...(व्यवधान)

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- माफी तो मांगना पड़ेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- संसदीय कार्यमंत्री जी, मैं सौ बार माफी मांग रहा हूँ।

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- हां, मांगिये।

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- हां, मांगिये, मांगिये।

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- भाषण मत दो, पहले माफी मांगो।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये बैठिये, हो गया। उन्होंने माफी मांग ली। उन्होंने अपनी भावना व्यक्त कर दी। मुझे इस बारे में जो भी निर्देश देना होगा या कोई आदेश जारी करना होगा, तो मैं अलग से करूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आपत्ति है । चूंकि आपने मुझे बोलने के लिए निर्देशित किया था...।

श्री बृहस्पत सिंह :- माफी से बड़ा कोई शब्द नहीं है । ये कौन सी नई परम्परा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, आपसे आग्रह है कि ये आज की परम्पराओं में शामिल होना चाहिए । किसी भी परिस्थिति में, किसी भी उद्बोधन में आपके स्थायी आदेश में शामिल होना चाहिए कि जातिवाचक शब्दों का इस्तेमाल मत करें । माफी मांगने का सवाल नहीं है....(व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है । आपको छूट है, आपको छूट है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- यहां किन्तु और परन्तु की बात कहां से आ गई ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको टेबल में खड़े कराया जाये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी, सबसे ज्यादा उपयोग तो आप ही करते हैं । जाति का उपयोग करने वाले सबसे ज्यादा आप ही हो, इस सदन का रिकार्ड निकलवाकर देख लो ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जिला जांजगीर-चांपा में आर.टी.ई. शिक्षा के तहत निजी शालाओं को भुगतान

2. (*क्र. 277) श्रीमती इन्दू बंजारे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चाम्पा जिले में पामगढ़ विकासखण्ड में आर.टी.ई. के अधिकार के तहत सत्र 2017-18 एवं 2018-19 में कितने निजी स्कूलों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? संस्था का नाम सहित वर्षवार जानकारी देवें.

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जांजगीर-चांपा जिले में पामगढ़ विकासखण्ड में आर.टी.ई. शिक्षा के अधिकार के तहत सत्र 2017-18 एवं 2918-19 में क्रमशः 53 एवं 22 इस प्रकार 75 निजी शालाओं को क्रमशः राशि रुपये 1,38,30,845/- एवं रुपये 61,04,960/- कुल राशि रुपये 1,99,35,805/- का भुगतान किया जा चुका है. संस्था का नाम सहित वर्षवार जानकारी +[4] संलग्न प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” पर दर्शित है.

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि जांजगीर-चांपा जिले में आर.टी.ई. के अधिकार के तहत 2017-17 एवं 2018-19 में कितने निजी स्कूलों को अनुदान दिया गया है ? इसकी मुझे जानकारी प्राप्त हो गई है । मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूं कि आर.टी.ई. के तहत जो छात्र हैं और इनके पालक के क्या मापदण्ड होते हैं और किस प्रकार के छात्र-छात्राओं को अनुदान प्रदान किया जाता है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के अधिकार के तहत कक्षा 1ली से 8वीं तक सभी विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाती है, लेकिन आर.टी.ई. के तहत प्राईवेट स्कूलों में जो प्रवेश लेते हैं, उनके अलग-अलग विषय रहते हैं । कोई छात्र सी.बी.एस.ई. लेता है, कोई आई.सी.एस.सी. लेता है तो उसमें बच्चों से जो फीस ली जाती है, वह प्राथमिक शालाओं के छात्रों के लिए एक साल का 7 हजार रूपये, मीडिल स्कूल के लिए 11,400 रूपये और पुस्तक खरीदने के लिए 250 रूपये प्रति वर्ष दी जाती है, जो बोर्ड जैसे सी.बी.एस.ई. या आई.सी.एस.सी. पढ़ते हैं, यह उनके लिए है । इतना प्रावधान किया गया है ।

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से शिक्षा से संबंधित दो निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल में सफाई कर्मचारी के पद रिक्त हैं । मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आप उन स्कूलों में सफाई कर्मचारी नियुक्त करें और दूसरी बात, हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में जहां पर शिक्षक नहीं हैं, वहां अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त करें, ऐसा मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

---

4 परिशिष्ट “एक”

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, धन्यवाद । ये प्रश्न उद्भुत नहीं होता ।

<u>जांजगीर-चांपा जिले में धान संग्रहण केन्द्रों में संग्रहित धान की मात्रा</u>

3. (*क्र. 868) श्री नारायण चंदेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में कुल कितने धान संग्रहण केन्द्र है ? वर्ष 2018-19 के खरीफ फसल में किन-किन संग्रहण केन्द्र से कितना-कितना धान संग्रहित किया गया है ? (ख) उक्त जिले के संग्रहण केन्द्रों से ट्रांसपोर्टिंग (परिवहन) के लिये डी.ओ. लेटर जारी करने का आधार क्या है ? जिले में ट्रांसपोर्टिंग (परिवहन) हेतु मेनुअल व आन-लाईन कितने कब-कब जारी किये गये है ? (ग) जांजगीर संग्रहण केन्द्र के लिए धान संग्रहण हेतु अन्य स्थानों के मिलरों को कितने डी.ओ. जारी किये गये और उसका आधार क्या है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वर्ष 2018-19 में जांजगीर-चांपा जिले के संग्रहण केन्द्रों में संग्रहित धान की जानकारी निम्नानुसार है :–

संख्या	संग्रहण केन्द्र का नाम	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)
(1)	(2)	(3)
1.	अकलतरा	896401.66
2.	जांजगीर	849410.03
3.	सक्ती	794080.87
4.	डभरा	810968.40
5.	बोड़ासागर शेरो	598207.97
	योग	3949068.93

(ख) धान संग्रहण केन्द्रों से मिलरों को कस्टम मिलिंग के लिए प्रदाय हेतु डी.ओ. लेटर जारी किया जाता है, जिसका परिवहन मिलर द्वारा किया जाता है. धान संग्रहण केन्द्र से परिवहन हेतु परिवहनकर्त्ता को विपणन संघ द्वारा डी.ओं. लेटर जारी नहीं किया जाता है. उपार्जन केन्द्र से धान परिवहन हेतु परिवहन आदेश जारी करने का आधार बफर लिमिट से अधिक होने पर जारी किया जाता है. परिहवन आदेश ऑन लाईन जारी किये गये है, जिसकी तिथिवार जानकारी † [5] संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ग) धान संग्रहण केन्द्र जांजगीर से अन्य स्थानों के मिलरों को कस्टम मिलिंग हेतु 93420.85 क्विंटल धान के डी.ओ.

[5] परिशिष्ट "दो"

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(डिलिव्हरी आदेश) दिनांक 02-07-2019 तक जारी किया गया है. अकलतरा संग्रहण केन्द्र में धान समाप्त हो जाने के कारण न्यूनतम दूरी के आधार पर अकलतरा के मिलरों को जांजगीर संग्रहण केन्द्र से डी.ओ. जारी किया गया.

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जांजगीर-चांपा जिले के धान संग्रहण केन्द्र से परिवहन के संदर्भ में है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जांजगीर-चांपा जिले में परिवहन के लिए कितने मैनुअल आवेदन आये थे और कितने ऑन लाईन के डी.ई.ओ. जारी किये गए थे ? उन्होंने परिशिष्ट में दोनों की जानकारी एक साथ बतायी है । तो कृपया यह बता दें कि डी.ई.ओ. जारी करने के लिए कितने मैनुअल आवेदन आये थे और कितने ऑन लाईन आवेदन आये थे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धान उपार्जन केन्द्र से संग्रहण केन्द्र जाता है और संग्रहण केन्द्र से मिलर अपने मिल में ले जाते हैं तो इसमें ऑन लाईन ही डी.ई.ओ. जारी होता है । मैनुअल आवेदन एक भी जारी नहीं हुआ है ।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, अगर मैनुअल जारी हुआ होगा तो आप उसकी जांच कराएंगे ? आप बता रहे हैं कि इस संबंध में मैनुअल आवेदन जारी नहीं हुए हैं तो क्या अगर जांजगीर-चांपा जिले में मैनुअल जारी हुआ होगा तो क्या उसको दिखवाएंगे, उसकी जांच करवाएंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो जानकारी बता रहे हैं, अगर इस प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई होगी तो उसकी जांच भी कराएंगे, आप हमारे कक्ष में आ जाईए, हम आपको चाय भी पिलाएंगे और उसकी पूरी जांच कराएंगे ।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, कक्ष की बात तो ठीक है । 14.12.2018 को आपका पहला डी.ई.ओ. जारी किया गया है । वास्तव में धान खरीदी केन्द्र से उठाव होना चाहिए, वह दिसम्बर का महीना है । दिसम्बर में धान खरीदी केन्द्र में धान रहता है और संग्रहण केन्द्र से क्यों परिवहन जारी किया गया है कि धान खरीदी केन्द्र से फिर संग्रहण केन्द्र में जाए और उसके बाद मिलों में जाए तो धान खरीदी केन्द्र से सीधा कोई उठाव नहीं हुआ ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उपार्जन केन्द्र है, सोसायटी है, वहां से भी मिलर अपने मिल में ले जाते हैं और संग्रहण केन्द्र से भी ले जाते हैं तो जिस उपार्जन केन्द्र में बम्फर स्टॉक है, अगर वहां की केपेसिटी उससे ऊपर हो रही है, 90 परशेंट का लग रहा है कि इसका अधिक आवक हो रहा है तो वहां से सीधे मिल को जाता है । इसका पूरा डी.ई.ओ.ऑनलाईन होता है ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री सौरभ सिंह ।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, यह जांजगीर-चांपा जिले के बारे में महालेखाकार की रिपोर्ट है । वहां का अभी तक कोई रोड मैप नहीं है । एक तो आप इसको दिखवा लेंगे । मिलर्स को संग्रहण

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

केन्द्र तक परिवहन करने के भुगतान किस आधार पर किया जाता है, यह बता दें ? संग्रहण केन्द्र से मिल की दूरी का किस आधार पर मापदण्ड किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, रोड मैप बनाकर तीनों जानकारी अलग से दे दीजिएगा, माननीय मंत्री जी । सौरभ सिंह जी ।

श्री सौरभ सिंह :-माननीय सदस्य की जो मूल चिन्ता है, जांजगीर-चांपा जिले में अकलतरा संग्रहण केन्द्र का भी उल्लेख आया है, उनके जवाब में आया है कि 93,420 क्विंटल धान का डी.ई.ओ., अकलतरा के मिलर को जारी किया गया है । जांजगीर संग्रहण केन्द्रों का धान अकलतरा जायेगा और अकलतरा के मिलर लोग मिलिंग करेंगे । जांजगीर में क्यों मिलिंग नहीं की जा रही है ? उसके परिवहन का जो अतिरिक्त शुल्क लगेगा, सरकार का नुकसान है । यही हमारा कहना है कि जांजगीर के मिलर को क्यों नहीं दिया जा रहा है । अकलतरा के मिलर को क्यों दिया जा रहा है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मिलर जो होते हैं, जो अधिकतर मोटे धान होते हैं, उसका उठाव कम करते हैं । चूंकि अकलतरा में पतला धान का उठाव हो चुका था, इसलिए मोटा धान वहां बाकी था । इसलिए अकलतरा के मिलरों को मोटा धान जांजगीर से दिया गया ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अकलतरा के जो मिलर है, उनको मोटा धान दिया गया है । मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि वहां से जानकारी गलत आ रही है । जांजगीर-चांपा जिले में 90 परशेंट जो धान है, वह सरना धान होता है, जो अरवा का धान है, 90 परशेंट धान वह होता है । मोटा धान नहीं है, महामाया का धान करके । धान की गलत जानकारी दिये हैं । अगर उसना के मिलों में दिया जा रहा है, उसना का मिल जो मोटे धान का मिलिंग करती है, उसना की मिल अकलतरा के पास जांजगीर में भी उपलब्ध है । उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है ? अकलतरा का धान जांजगीर के संग्रहण केन्द्रों से अकलतरा की दूरी 10 किलोमीटर के बाद, 10 किलोमीटर तक आता है, 15 रूपये का रेट तय करके रखा है, 10 किलोमीटर के बाद जो परिवहन का रेट होता है, वह आज तक रेट निर्धारित नहीं हुआ है कि किस रेट पर परिवहनकर्ताओं को, मिलर को दिया जायेगा ? उसको माननीय मंत्री जी बता दें, जिसको परिवहन करना है, उसको कैसे दिया जायेगा ?

डॉ.प्रेमसाय सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रेट तय है । रेट आपका 0 से 10 किलोमीटर तक 15 रूपया 25 पैसा प्रति क्विंटल, 11 से 25 किलोमीटर में 6 रूपये 23 पैसा, 26 से 50 किलोमीटर तक 6 रूपये 23 पैसा, 51 किलोमीटर से 75 किलोमीटर तक 3 रूपये 80 पैसा । इस प्रकार रेट तय है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वही तो चिन्ता है कि रेट तय है । रेट बढ़ता जायेगा, परिवहनकर्ता को हटाकर मिलर को फायदा दिया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- उसको विस्तृत जांच कर लीजिएगा । माननीय मोहले जी ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में पर्यावरण मद से स्वीकृत निर्माण कार्य

4. (*क्र. 632) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 में मुंगेली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में पर्यावरण मद से कितनी राशि के निर्माण कार्य स्वीकृत हुए ? (ख) कितने निर्माण कार्य पूर्ण किये गये हैं, और कितने निर्माण कार्य अभी तक अपूर्ण हैं ? (ग) क्या पर्यावरण मद से स्वीकृत राशि को सरकार द्वारा निरस्त किया गया है ? यदि हां, तो उस स्वीकृत राशि को कौन से मद में किस-किस काम के लिए उपयोग में लाया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) वर्ष 2018-19 में मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों हेतु अधोसंरचना एवं पर्यावरण निधि मद से कुल राशि रु. 400.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी. (ख) कोई निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया. (ग) जी नहीं. प्रश्न ही नहीं उठता.

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018-2019 में अधोसंरचना और पर्यावरण मद में 4 करोड़ की राशि पास हुई है । माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ कि कितने निर्माण कार्यों के लिए पास हुये और कब पास हुये, प्रश्न (ग) के उत्तर में कहा गया है कि राशि निरस्त नहीं हुई है । निरस्त नहीं हुई है तो कितनी राशि जिले में भेज दी गई है, यह बताने का कष्ट करें ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंगेली जिले में 80 कामों के लिए 4 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई थी । कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है । राशि स्वीकृत की गई है, उसके बाद विधान सभा चुनाव के लिए आचार संहित लगी, उसके बाद लोक सभा का चुनाव आया, इसलिए राशि स्वीकृत हुई, कोई निर्माण कार्य उसमें प्रारंभ नहीं हुआ है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि 40 परशेंट राशि तत्कालीन सरकार की अध्यक्षता में हुई, उसमें राजस्व मंत्री थी, राजस्व विभाग के अधिकारी थे, उसमें हुई है । कमेटी के द्वारा पास हुई है । 40 परशेंट राशि देने के लिए जिले में पहुंच चुकी है । ठीक है, इसके बाद लोक सभा का चुनाव आया, विधान सभा का चुनाव आया, अब निर्माण कार्य का क्या आप स्वीकृति देंगे ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मुंगेली जिले में 2 करोड़ 48 लाख रूपये राशि पहुंची है, लेकिन मैंने बताया कि विधान सभा चुनाव के कारण आचार संहिता लगी । लोक सभा चुनाव के कारण आचार संहिता लगी । इस तरह से कोई काम प्रारंभ नहीं हुआ । उसके बाद अभी राज्य सरकार ने इसमें रोक लगाई थी, अभी रोक हटाई गई है । हम उसके लिए परीक्षण करा लेंगे । अगर आवश्यकता होगी तो वह काम आगे देखा जायेगा ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिले में 02 करोड़ 48 लाख रूपये की राशि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पहुंच चुकी है उसमें रोक लगाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। आप 02 करोड़ 48 लाख रूपये की राशि से कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दें, बाकी राशि उसके बाद देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, आप बैठे हैं, कई कार्यों की ऐसे ही रोक लगाई गई है, उस रोक को निरस्त किया जाए, ऐसा मैं आग्रह करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र और इस सत्र में खास करके निर्माण कार्यों को लेकर जो भी प्रश्न आये हैं उनमें सभी मंत्रियों की तरफ से एक जवाब आता है कि इसका परीक्षण करायेंगे। विधानसभा के चुनाव हो गये, लोकसभा के चुनाव हो गये, राशि पहुंच गई है। उसमें कहीं सी.सी. रोड का कार्य है, किसी समाज का सामुदायिक भवन है, कोई सांस्कृतिक भवन है या फिर गांव का अन्य कोई महत्वपूर्ण कार्य है, यही कार्य उसमें हैं। अब इसका परीक्षण कराकर ये क्या चाहते हैं कि गांव में सी.सी. रोड न बनें, गांव में जिनके लिए सामुदायिक भवन दिये हैं उनके लिए न बने? परीक्षण कराकर ये और कौन सा उत्तम कार्य करना चाहते हैं? ये कब तक परीक्षण करा लेंगे और आदेश कब तक जारी करेंगे?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे काम की स्वीकृति है जिसके नाम पर स्वीकृति हुई है वह गांव ही नहीं है, इसलिए परीक्षण जरूरी है। मैंने खुद अपने विधानसभा में देखा कि कई कार्य स्वीकृत हुए हैं कि फलाने नाले पर और फलाने नाले पर। इनके द्वारा राशि का बंदरबाट किया गया है।

श्री धरमलाल कौशिक:- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये घोर आपत्तिजनक है। क्या मंत्री सक्षम नहीं हैं जो ये जवाब देंगे? ये घोर आपत्तिजनक है। हम प्रश्न करें और मंत्री जवाब न दें यह घोर आपत्तिजनक है। ये प्रश्नकाल को बाधित करना चाहते हैं। किसी भी प्रश्न में किसी भी मंत्री का जवाब न आये, ये बैठक में यही तय करते हैं कि जवाब आने नहीं देना चाहिए। मेरा सीधा-सीधा प्रश्न है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, घोर आपत्तिजनक यह है कि जहां पर स्वीकृत किया गया, उसका परीक्षण जरूरी है। जहां पर आवश्यकता नहीं है वहां स्वीकृत किया गया है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया है उसका परीक्षण होना जरूरी है। जहां जरूरी ही नहीं है, नाला नहीं है वहां नाला स्वीकृत किया गया है।

श्री धर्मजीत सिंह:- अध्यक्ष महोदय, दसअसल हम लोग मुंगेली जिले के मसले को इस प्रश्न के माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार के समक्ष लाना चाह रहे हैं। ये कोई आरोप-प्रत्यारोप का विषय नहीं है। बाढ़ नियंत्रण के मद में पैसा रहता है। मैं तो सदन में आपको धन्यवाद दे रहा हूं न कि आपने हमको पैसा दिया, हम आपको उसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन आग्रह सिर्फ इतना है कि

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हमारा क्षेत्र खनिज संपदा से भरपूर नहीं है, वहां डी.एम.एफ. फंड जैसा कुछ नहीं है, शुद्ध खेती और किसानी वाला एरिया है तो आपके मद के पैसे को विशेष रूप से आप दे दीजिए। आपको जनहित के जो प्रस्ताव मिलें उसे आप स्वीकृत करें। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि किसी ने स्वीकृत किया, उसे क्यों निरस्त किया। आप जो किए ठीक किए लेकिन आगे जो पैसा है उसकी स्वीकृति आप जनप्रतिनिधियों से लेकर देंगे क्या यह कुल मिलाकर हम तीनों जानना चाहते हैं?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि इसमें रोक लगाई गई थी, रोक हटाई जा चुकी है लेकिन जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के पहले जो राशि स्वीकृत की गई थी उसका परीक्षण करना आवश्यक है क्योंकि पूरे प्रदेश में 601 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई है और जिस प्रकार से वह आवंटित हुई उसका परीक्षण करना जरूरी है। इसमें अभी बहुत से प्रस्ताव और भी आये हैं। इसमें शासी परिषद में निर्णय किया जायेगा कि आगे इसमें कहां-कहां, कौन-कौन सी राशि खर्च कर सकते हैं, कहां-कहां नहीं कर सकते। इसमें निर्णय किया जायेगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि राशि स्वीकृत हो चुकी, निरस्त नहीं हुई है, रोक लगाई गई थी, वह भी समाप्त कर दी गई है, चार करोड़ रूपये की राशि है तो आपको निर्माण कार्य की स्वीकृति देने में क्या आपत्ति है?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई विवाद का विषय ही नहीं है। आपको जो अच्छा लगे उसे मंजूर कर देना। हम आपको अधिकार देते हैं यह आपका अधिकार भी है। जल्दी करेंगे बोल दीजिए।

श्री देवेन्द्र यादव :- मैं इस विषय पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि चूंकि मैं महापौर हूं, मेरे पास भी पर्यावरण मद से स्वीकृत कार्य आये हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक ही कार्य नगर निगम से भी स्वीकृत हुआ है, विधायक निधि से भी स्वीकृत हुआ है औ पर्यावरण मद से भी स्वीकृत हुआ है। जो इस तरह से उन्होंने कार्य का बंदरबाट किया है इसलिए उसका परीक्षण जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने बताया कि एक साथ इसमें रोक हटाई जा चुकी है और जो पहले बजट था, 2018-19 में बजट राशि 438 करोड़ रूपये था। अभी बजट की राशि 113 करोड़ रूपये है। ऐसे बहुत से कार्य इसमें है जो काम करने के लायक नहीं है। मैंने बताया कि शासकीय परिषद इसमें निर्णय लेगी। क्योंकि मैं उसमें अकेला नहीं हूं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में है उसकी बैठक होती है, हम लोग उसमें निर्णय करेंगे और जो आवश्यक होगा वह काम किया जायेगा। जो आवश्यक नहीं होगा वह नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अजीत जोगी जी।

असंशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी को एक लकीर में जवाब देना चाहिए कि जो पहले मंडी था उसको हम निरस्त करते हैं और नया काम देंगे। भाई इतना तो बोल दो। आप इतना बोलो न। परीक्षण निरीक्षण को छोड़ो। पुराने काम को हम पसंद नहीं करते, निरस्त करते हैं। नया काम हम देंगे और जल्दी देंगे इतना बोल दो। हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप काम दे देना।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, दो करोड़ रूपये के निर्माण कार्य की स्वीकृति करायें। नौ महीने से, नौ महीने से दो करोड़ रूपये जा चुका है।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, साहब नौ महीने ज्यादा नहीं होता, 15 साल बीत गये। 15 साल से हम लोग देख रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, यह मामला सिर्फ मुंगेली जिले का नहीं है। पूरे प्रदेश में इस टाईप से रोका गया है। पूर्ववर्ती सरकार ने कार्य स्वीकृत किया। वित्त विभाग ने रोक लगाई। वित्त विभाग ने अब रोक हटा दी तो पूरे प्रदेश को पैसा क्यों दिया गया उसको शुरू करना चाहिए। उसमें अभी विकास कार्य....।

अध्यक्ष महोदय :- आदरणीय जोगी जी।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में चुनाव के पहले लूट मचा कर स्वीकृति हुई थी।

अध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत सिंह जी, प्लीज आप बैठ जायें। प्रश्नकाल बहुत कम है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष जी, आग्रह है कि स्वीकृति करे।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष महोदय, मोहले जी होगे होगे तोर सवाल होगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें तो कुछ उत्तर आना चाहिए। पूरे प्रदेश में विकास का काम रूका हुआ है। विकास का काम माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार......।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी, मंत्री जी प्रश्न पूछ रहे हैं कुछ पूछने तो दीजिए। वरिष्ठता....।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण अधोसरंचना मद में केवल दो डिपार्ट हुआ है। एक ही डिपार्ट को अलग अलग किया गया है। नगरीय निकाय को अलग स्वीकृत और विधायक निधि को अलग किया गया है.....।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, परीक्षण करने के बाद ही करेंगे, बोलो।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी उनका उत्तर तो आने दीजिए। बहुत सारे कामों को स्वीकृत किया...।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण अधोसंरचना को अलग किया गया है। इसका परीक्षण अति आवश्यक है। मैंने खुद स्वयं महापौर रहते हुए, विधायक रहते हुए पर्यावरण अधोरसंरचना मद के कार्यों पर आपत्ति दर्ज की है। लोगों ने....।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, विधानसभा में सारे पैसे खपत कर दिये इसलिए परीक्षण कराना आवश्यक है।

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, लोगों ने पूर्व विधानसभा में अपने घर-घर (व्यवधान) फूटबाल मैदान में स्वीकृति पास कर दी है। इस तरीके से इसमें बंधक बांध रहे हैं। इसका परीक्षण करना अति अति अति आवश्यक है और इसको इस तरीके से नहीं किया जा सकता।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, हम लोग अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय मुख्यमंत्री जी, जवाब दे रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, एक मिनट।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके ही आग्रह पर खड़ा हुआ हूं। बैठ जाईये।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, नहीं नहीं मैं यह बोल रहा हूं...।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी अब खड़े हो गये हैं, सब बैठ जाओ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की जो चिंता है कि राशि है और काम शुरू नहीं हुए हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि चुनाव के पहले ताबड़तोड़ स्वीकृतियां हुई है और उसमें कहीं राशि नहीं पहुंची है, कहीं और कुछ नहीं है लेकिन स्वीकृत करना था, चुनाव का दबाव था। लेकिन अब वह स्थिति नहीं है, इसलिए सारे प्रस्ताव का गुण दोष के आधार पर परीक्षण करेंगे। नये सदस्य आ चुके हैं और उनके प्रस्ताव भी उसमें सम्मिलित करके उसे स्वीकृत करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- हम यही तो चाहते हैं। जोगी जी।

<u>प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत आरक्षित सीटों की संख्या</u>

5. (*क्र. 25) श्री अजीत जोगी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्रदेश की स्कूलों में कितनी सीटें आरक्षित है ? इन में पिछले तीन वर्षों में कितने विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है. (ख) आरटीई के तहत हुए प्रवेश पर शासन द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रदेश के स्कूलों को कितनी राशि का भुगतान किया जाना था ? इसके एवज में शासन द्वारा तीन वर्षों में स्कूलों को कितनी राशि का भुगतान किया गया ? पूरा भुगतान नहीं किये जाने के क्या कारण थे ? वर्षवार वर्णन दें. (ग) आरटीई के तहत जो छात्र इस वर्ष कक्षा 8वीं पास कर चुके हैं उनकी आगे की पढ़ाई के लिए विभाग की क्या कार्य योजना है ?

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्रदेश की स्कूलों में क्रमशः वर्ष 2016-17 में 64962 सीट आरक्षित थे जिसके विरूद्घ 38232 छात्रों ने प्रवेश लिया वर्ष 2017-18 में 84204 सीट आरक्षित थे जिसके विरूद्ध 42297 छात्रों ने प्रवेश लिया एवं वर्ष 2018-19 में 90057 सीट आरक्षित थे जिसके विरूद्घ 45347 छात्रों ने प्रवेश लिया. (ख) आरटीई के तहत हुए प्रवेश पिछले तीन वर्षों में विद्यालयों को राशि रु. 292.19 करोड़ का भुगतान प्रदेश के स्कूलों को किया जाना था, तीन वर्षों में राशि रु. 124.75 करोड़ का भुगतान किया गया. विद्यालयों को देय राशि उपलब्ध राशि की तुलना में अधिक है, वर्षवार निम्नानुसार है :—

क्र.	वर्ष	भुगतान किया जाना था	भुगतान किया गया
1.	2016-17	60,40,98,690	54,02,50,324
2.	2017-18	98,98,41,465	56,49,83,277
3.	2018-19	132,79,24,884	14,22,31,302

(ग) आरटीई के तहत कक्षा 8वीं उत्तीर्ण बच्चों की पढ़ाई में निरंतरता हेतु राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है, जिसमें प्रदेश के निजी विद्यालयों में बच्चों को कक्षा 9वीं में अध्यापन हेतु व्यवस्था की गई है, इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए है.

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मैं शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं आभार प्रकट करता हूं कि आर.टी.ई. जो गरीब बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए बनाया गया कानून है। उसको क्रियान्वित करने के लिए मेरी जानकारी के अनुसार इन्होंने पिछले कुछ महीने में अपने विभाग में बड़ी कसावट लाई है। दूसरी बात यह है कि जो आठवीं कक्षा तक आर.टी.ई. लागू था उसको इन्होंने निरंतर 9 वहीं कक्षा तक लागू करने का आदेश भी जारी किया है। मेरे प्रश्न करने के बाद किया है। उसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। उसको 12 वीं तक कर दीजिएगा। पर कुछ प्रश्न इससे उद्भूत होते हैं। हर गरीब बच्चों के पालकों का सपना होता है कि मुझे अपना बचपन याद है। मैंने पिताजी से पूछा कि पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है तो उन्होंने राजकुमार कालेज रायपुर बताया था। जहां घुड़सवारी भी होती है, तैराकी भी होती है तो मेरा सपना था कि कास मैं भी ऐसे स्कूल में पढ़ सकूं और नेहरू जी जैसी कैम्ब्रीज या ऑक्सफोर्ड कॉलेज में पढ़ सकूं। वही सपना सब गरीब बच्चों का उनके पालकों का है और मैंने अनवरत इसके लिए लोकसभा में 20 वर्ष संघर्ष किया। मेरे साथ बहुत से लोगों ने संघर्ष किया। तब यह कानून का रूप ले सका। इसलिए इस कानून को मूर्त रूप देना बहुत जरूरी है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ? मेरा प्रश्न एक का ''अ'' ये है कि स्कूल बहाना ढूंढ रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से प्रवेश न दें। अब उनको बहुत बड़ा बहाना मिल गया कि जो देय राशि है, उनको उसका भुगतान नहीं हो रहा है। मैं अन्य वर्षों का उल्लेख करूंगा तो देर होगी। वर्ष 2018-2019 में 132-133 करोड़ रूपये देना था, उसमें से आपने केवल 22 करोड़ रूपये दिये, 14 करोड़ रूपये दिये। तो अब स्कूलों को बहाना मिल गया कि हम कैसे पढ़ायेंगे? हमको आपने तो 132 करोड़ रूपये में से केवल 34 करोड़ रूपये दिया। ये सही है कि कुछ राशि केन्द्र से आती है, कुछ आप देते हैं। 60-40 का प्रतिशत है या 75-25 का जो भी प्रतिशत हो, अगर केन्द्र ने राशि नहीं दी है तो कृपया दिल्ली में जाकर बैठ जाईये, मानव संसाधन मंत्री जी के पास धरना दे दीजिए, हम सब आपका साथ देंगे और वहां से जो राशि नहीं आयी है, वह दिलाईये और जो 40 या जितनी प्रतिशत राशि राज्य शासन को देनी है, वह भी दीजिये, जिससे स्कूल बहाना न बना सके कि हमको प्रवेश देने में दिक्कत हो रही है। मुझे यह भी बताईये कि केन्द्र सरकार ने कितनी गलती की है? 3 सालों में आपको कितना पैसा मिलना था? और कितना पैसा मिला है? राज्य सरकार को कितना पैसा देना था? और कितना पैसा दिया है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पहले प्रश्न का ''ब'' हिस्सा ये भी है कि अब निजी स्कूलों की एक गंभीर शिकायत आ रही है। सबका सपना है कि राजकुमार कॉलेज, गोयल, डी.पी.एस. रिसाली भिलाई में पढ़े। ये शिकायत आ रही है कि अब ये निजी स्कूल ये कर रहे हैं कि आरटीई से बचने के लिए प्रथम वर्ष में प्रवेश संख्या बहुत कम दिखा रहे हैं। केजी में प्रवेश संख्या 25 दिखाते हैं, पहली क्लास में 25 दिखाते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी..।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बस प्रश्न को खत्म रहा हूँ।(हंसी) उसे आप जांच करिये कि केजी में 25, पहली में 25 और दूसरी कक्षा में 50 आ जाते हैं। इसका मतलब वह छिपाकर, पहली कक्षा की कम प्रवेश संख्या बता रहे हैं जिससे उनको आरटीई में, चूंकि कानून में है। पहली कक्षा का 25 प्रतिशत, कम एडमिशन देना तो ये पूरे निजी स्कूलों की जांच कराईये ? कि पहली कक्षा में जो दर्ज संख्या है, वह जानबूझकर कम बतायी जा रही है, जिससे आपको आरटीई में कम देना पड़े। मेरा पहला प्रश्न ये है कि केन्द्र सरकार से कितनी राशि मिली ? आपने कितनी राशि दी ? और दूसरा प्रश्न है कि ये जो निजी स्कूलों का फर्जीवाड़ा चल रहा है कि पहली कक्षा में जो भी है केजी, नर्सरी या पहली, उसमें कम दर्ज संख्या बता रहे हैं। क्या आप उसको रोकने के लिए परीक्षण करायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप पूरे लम्बे प्रश्न की तरह लम्बा उत्तर मत दीजिए। प्वाईंटेड उत्तर दीजिए, जो वे जानना चाहते हैं ?

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्वाईंटेड प्रश्न किया। भूमिका थोड़ी लम्बी हो गई। भूमिका लम्बी करना आवश्यक था, क्योंकि इसका महत्व समझना जरूरी है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबकी चिंता है और हमारे नेताजी की भी चिंता है कि अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ें और आरटीई के तहत हर मां-बाप का सपना होता है कि अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला दें और इसमें जो हम लोग चयनित किये हैं कि पूरे राज्य में 67 स्कूल हैं और जैसा कि माननीय नेता जी की चिंता है कि इसमें भारत सरकार से जो 60-40 का रेश्यो है वहां से 60 प्रतिशत पैसा आना चाहिए और 40 प्रतिशत यहां का हो, लेकिन हमको मांगने के बाद भी उतना पैसा नहीं मिलता है। मेरे पास राज्य में पूरे की जानकारी तो नहीं है, लेकिन अभी जो करेंट ईयर, वर्ष 2019-2020 का है, उसमें इस योजना के लिए 159 करोड़ रूपये मांगा गया था जो हमारी प्रोजेक्ट अप्रूव्हल बोर्ड जो रहता है, उसमें मात्र 159 करोड़ रूपये में से केवल 49 करोड़ रूपये मिला और इसमें राज्य शासन अपने संसाधन से जो उसकी प्रतिपूर्ति करती है और अभी हम लागों ने राज्य सरकार की संचित निधि में से 60 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, बहुत बकाया है। वर्ष 2016-2017 में जहां 60,40,98,690 रुपये का भुगतान करना था, 54,02,50,324 रुपये का भुगतान किया गया है। अभी हमारे शेष 168 करोड़ रुपये का भुगतान बाकी है। हम लोग लगातार भारत सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि पैसा मिले। जैसा ही वहां से पैसा मिल जायेगा, सभी जगह उसका भुगतान कर देंगे।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि यह जो आपने 2002 की सर्वे सूची, 2007 की नगरों में सर्वे सूची के अनुसार गरीबी रेखा तय की है। यह बिल्कुल गलत है। आप जिसके पास भी गरीबी रेखा के नीचे का प्रमाण पत्र है, क्या उसको आर.टी.ई. में शामिल करेंगे? दूसरा 40 हजार लोग आवेदन करते हैं और उसमें 15 हजार लोग सफल होते हैं तो ये प्रतिशत बहुत कम है। जितने आवेदन करें, सबको प्रवेश दिलाईये, जिससे हमारे गरीब बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो प्रवेश का कम प्रतिशत दिख रहा है उसका कारण यह है कि अंग्रेजी माध्यम की शालाओं में आरक्षित सीट के विरूद्ध वहां पर अधिक आवेदन पत्र आते हैं और चयनित शाला का हमारा जो नियम है कि 1 किलोमीटर के अंदर की शालाओं में प्रवेश दिया जाये। हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़े, वहां उसकी संख्या कम होती है। इसलिए वहां पर कम एप्लाई हो पाता है और दूसरा कारण स्कूल की दूरी का भी है। गरीबी रेखा की सूची भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुसार से है, ग्रामीण क्षेत्र में 2002 की सूची है और शहरी क्षेत्र में 2007 की सूची है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी में पूरक प्रश्न है कि यहां पर माननीय अजीत जोगी जी, पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हैं और यहां पर बहुत सारे ऐसे माननीय सदस्यगण बैठे हें जो मोला लगथे कि हमन प्राइवेट स्कूल मा नई, सरकारी स्कूल में पढ़कर आये हन। मैं भी वो सौभाग्यशाली हूं एक गरीब घर के लईका सरकारी स्कूल में पढ़ के आये हवं। मैं निवेदन करना चाहिहौं। जै समय हमन सरकारी स्कूल में पढ़त रहिन, ओ समय 5वीं और 8वीं के परीक्षा होवय, तो हमन सब के मन में भय रहय कि 5वीं के परीक्षा दिलाबो तो हमन पढ़न। एकर पूर्व में जो सरकार रहिस हे, पता नहीं भई ए मन कहां से ज्ञान प्राप्त करिन, ओला खत्म देईन।.. (व्यवधान).. 5वीं और 8वीं परीक्षा के माध्यम से पास करै जाये, ताकि ओ गरीब लइका के आगे ला पढ़ाई में दिक्कत न आवे। .. (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि प्रश्नकाल में लोग भाषण देंगे तो बाकी के माननीय सदस्यों का प्रश्न कब आयेगा, उनके भी प्रश्न आने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- श्री विकास उपाध्याय।

श्री विकास उपाध्याय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि स्कूलों को प्रवेश के कितने दिन के बाद भुगतान होता है? दूसरी चीज जो बकाया राशि है, उसका भुगतान कब मिलेगा? क्योकि अधिकतर यह देखने को मिला है कि जब हम लोग प्रवेश के लिए बात करते हैं, सीट होती है, जानबूझकर प्राइवेट स्कूल ..।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये, भाषण मत दीजिए।

श्री विकास उपाध्याय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दो सवाल पूछा है। स्कूलों को प्रवेश के कितने दिनों बाद राशि का भुगतान होता है और स्कूलों की बकाया राशि कब तक मिलेगी?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय जैसा मैंने बताया है कि अभी लगभग 167 करोड़ का भुगतान बाकी है, इसके लिए लगातार भारत सरकार से चर्चा भी चल रही है और मांग भी की है। जैसे ही वहां से धनराशि उपलब्ध हो जायेगी, हम उसकी व्यवस्था कर देंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न थोड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है, एक तो एडमिशन का समय है। अध्यक्ष महोदय, इसमें आप देख लीजिए, इन्होंने जो आंकड़ें बताये हैं, इनका लक्ष्य बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके विरूद्ध में भर्ती बहुत कम हुई। यहां कोई आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति कम तो नहीं हुए हैं। क्या भर्ती की प्रक्रिया को थोड़ा सरल बनाने का काम करेंगे? दूसरा 168 करोड़ रुपया नहीं मिलने से एडमिशन में कई दिक्कतें पैदा हो रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर क्या आप इसे त्वरित रूप से भुगतान करायेंगे? अंतिम एक बहुत आपत्तिजनक प्रश्न आपके लिए है। अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे स्कूल हैं, आपकी सरकार के समय में न हों, ऐसे बडे-बड़े स्कूल हैं जहां उन लोगों ने 4 प्रतिशत अल्संख्यक समाज को पढाने के लिए रिजर्वेशन ले लिया और इस आर.टी.ई. के

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

नियम से बच गये हैं। क्या आप इस पूरी बात की समीक्षा करेंगे? क्या इस बात की जांच करेंगे कि जिनको 4 प्रतिशत अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ाने के आरक्षण की सुविधा सरकार ने दी थी उस आरक्षण के 4 प्रतिशत में से कितने प्रतिशत वह फॉलो किये हैं ? और क्या उस एग्रीमेंट को रिव्यू करके फिर से इन बच्चों के लिये भी उन बड़े-बड़े स्कूलों के द्वारा आप खोलेंगे ताकि जैसा कि श्री जोगी जी ने राजकुमार कॉलेज के बारे में बताया तो वैसे ही गांव के बच्चे और बड़े-बड़े स्कूलों को देखते हैं उसमें उनके प्रवेश का रास्ता खुल सके और यह 4 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा लेकर और सरकार को धोखा देने का जो काम हो रहा है क्या उस पर रोक लगायेंगे और क्या भुगतान जल्दी से करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी आपने श्री धर्मजीत सिंह जी के प्रश्न को सुन लिया । आप पूरी बातों पर समीक्षा करियेगा । श्री देवेंद्र यादव ।

श्री देवेंद्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा प्रश्न नहीं था ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये बैठ जाईए । श्री शिशुपाल सोरी ।

श्री देवेंद्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बस यही चाहूंगा कि पूर्व में पिछले सदन में सम्मानित सदस्य कह रहे थे कि केंद्र सरकार को एक प्रशंसा पत्र भेजा जाये तो एक निवेदन पत्र भी भेज दें कि उस परियोजना का पैसा केंद्र सरकार हमको दे और पैसा समय पर दे ।

<u>प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के धार्मिक स्थलों का संरक्षण</u>

6. (*क्र. 117) श्री शिशुपाल सोरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में निवासरत अनुसूचित जनजातियों के धार्मिक स्थल देवथाना, देवगुडी, सरना के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं ? (ख) प्रश्नांश "क" के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2018-19 में कितनी राशि का प्रावधान था ? एवं उसमें से कितनी राशि कौन से कार्यों में बस्तर संभाग के उक्त धार्मिक स्थलों में व्यय की गई ? वित्तीय वर्ष 2019-20 में कितनी प्रावधानित है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रदेश में निवासरत अनुसूचित जनजातियों के धार्मिक स्थल देवथाना, देवगुड़ी, सरना के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति के श्रद्धा/पूजा स्थलों (देवगुड़ी) का परिरक्षण एवं विकास योजना 2006 संचालित है. (ख) वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल राशि रु. 400.00 लाख का प्रावधान था. उसमें से बस्तर संभाग में देवगुड़ी निर्माण के रु. 70.85 लाख व्यय की गई. कार्य की जानकारी †[6] संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि रु. 400.00 लाख का प्रावधान है.

[6] परिशिष्ट "तीन"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिशुपाल सोरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आदिवासियों के धार्मिक स्थलों के रखरखाव और संरक्षण के संबंध में जानकारी चाही थी इसके संबंध में मुझे जानकारी मिली है और जो परिशिष्ट-3 लगाया गया है उसमें जो भी काम वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत हुए हैं तो वह एक ही विधानसभा में हुए हैं वह नारायणपुर है जो हमारे पूर्व ट्राईबल मिनिस्टर का है तो ऐसा लगता है कि इस योजना का प्रचार-प्रसार नहीं हुआ है और बाकी जगह पूरे प्रदेश में हमारी जो 42 जनजातियां हैं और बड़ी संख्या में इनके रखरखाव की आवश्यकता है और इसमें मेक्सिमम सीमा 1 लाख रूपये तक बतायी गयी है तो इसको बढ़ाये जाने की जरूरत है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका क्या प्रश्न है ?

श्री शिशुपाल सोरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न है कि क्या यह जो 1 लाख रूपये की सीमा है उसको ज्यादा करेंगे और दूसरा जो बजट में आवंटन है 4 करोड़ का उसको भी बढ़ाये जाने की आवश्यकता है तो क्या इस राशि को भी बढ़ायेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- हमारे आदिवासियों के जो देवी-देवता हैं वे सब खुली जगह में रहते हैं और उनके संरक्षण के लिये यह योजना बनायी गयी थी कि अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों के श्रद्धा पूजा स्थानों पर देवगुड़ी का परीक्षण करने के लिये तो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अपने पूरे बजट का केवल एक विधानसभा में खर्च कर दिया गया । हमारी कोशिश रहेगी कि यह सभी जगह जहां-जहां आदिवासियों की इसमें मांग आयेगी वहां पर उसकी पूर्ति करेंगे और समय-समय पर इसको बढ़ाया गया है । चूंकि यह पहले केवल 10 हजार रूपये था, उसके बाद 25 हजार रूपये हुआ, उसके बाद 40 हजार रूपये हुआ फिर 50 हजार रूपये हुआ तो इसको बढ़ाया गया है तो आवश्यकता पडेगी तो इस पर विचार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, सदस्य का कहना है कि यह 1 लाख रूपये है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 1 लाख रूपये है और अभी हम आवंटन हर विकासखंड में इसको करने जा रहे हैं ताकि यह समग्र रूप से वहां पर मिल सके ।

अध्यक्ष महोदय :- आप पूरक प्रश्न करें ।

श्री शिशुपाल सोरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके प्रचार-प्रसार की क्या व्यवस्था करेंगे ?

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 लाख कम पड़ता है इसलिये थोड़ा और पैसा बढ़ाया जाये ।

श्री मनोज सिंह मंडावी :- आदिवासियों के उसके लिये 1 लाख में क्या होता है, माननीय मंत्री जी इस बारे में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक निवेदन था कि पहले एक ही विधानसभा में पूरे राज्य का पैसा खर्च कर दिया गया है ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- वह तो उन्होंने बता दिया है भई ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही विधानसभा में पैसा खर्च कर दिया गया है तो क्या यह जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच कराकर कार्यवाही भी करेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे जो प्रकरण सामने आते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- वे 1 लाख रूपये के बारे में पूछ रहे हैं वह बताईये ।

श्री मनोज सिंह मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि 1 लाख रूपये में देवी-देवताओं के लिये क्या-क्या हो सकता है यह बता दें ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी समीक्षा करेंगे और जैसा कि भाई बृहस्पत सिंह जी ने कहा तो उसकी जांच भी करायेंगे और 1 लाख रूपये में वहां चबूतरा, शेड इत्यादि का निर्माण कराते हैं जितनी आवयश्यकता होती है और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें, आश्यकता पड़ने पर...।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच करके पूरे छत्तीसगढ़ का चूंकि एक ही विधानसभा में खर्च किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- तो उसकी जांच कर रहे हैं न ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उसकी जांच करके उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- आपराधिक प्रकरण कहां बनता है ?

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का कार्य पूरे प्रदेश का डवलप करना होता है लेकिन एक ही विधानसभा में खर्च कर दिये यह कौन सी बात हुई ? इसमें जांच कराई जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये हो गया । श्री मण्डावी जी ।

श्री मनोज सिंह मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा यह कहना है कि चूंकि माननीय मंत्री जी यह स्वीकार कर रहे हैं कि 1 लाख की समीक्षा की जायेगी। मैं जहां तक यह जानता हूं कि हमारे जो देवगुड़ी हैं, देवगुड़ी 1 लाख में नहीं बन सकता और जैसे अंगारमोती है ।

अध्यक्ष महोदय :- घड़ी को देखते हुए प्रश्न करिये ।

श्री मनोज सिंह मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है कि 1 लाख को बढ़ाकर कम से कम 3 लाख किया जाये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग से जो जाता है वह अलग है । प्राधिकरण में भी मद होते हैं । प्राधिकरण में भी देवगुड़ी का काम होता है तो वहां से भी हम उसकी व्यवस्था कर सकते हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- कम से कम 2 लाख तो कर देना चाहिए ।

श्री मनोज सिंह मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम 3 लाख कर देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री प्रमोद कुमार शर्मा ।

श्री बृहस्पत सिंह :- कम से कम 2 लाख कर देना चाहिए ।

श्री मनोज सिंह मंडावी :- कम से कम 3 लाख ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री प्रमोद कुमार शर्मा ।

<u>विकासखण्ड बिलाईगढ़ में शाला गणवेश का वितरण</u>

7. (*क्र. 362) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बलौदाबाजार जिले के विकासखंड बिलाईगढ़ में विगत तीन वर्षों में कब-कब तथा कौन-कौन से स्कूलों में कितने छात्र-छात्राओं को शाला गणवेश वितरण किया गया है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : बलौदाबाजार जिले के विकासखंड बिलाईगढ़ में विगत तीन वर्षों में यथा वर्ष 2016-17 में अक्टूबर, नवम्बर-2016 तक, वर्ष 2017-18 में जुलाई, अगस्त-2017 तक एवं 2018-19 में जुलाई, अगस्त-2018 तक कुल 467 स्कूलों में विगत तीन वर्षों में कुल 1,56,289 छात्र-छात्राओं को गणवेशों का वितरण किया गया है. शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक" "दो" एवं "तीन" पर दर्शित है.

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ ब्लॉक में शाला गणवेश की घटिया क्वालिटी और वितरण प्रणाली में बहुत लम्बा चौड़ा भ्रष्टाचार हुआ है । वहां के स्थानीय विधायक भी इस विषय में शिकायत कर चुके हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि आप एक विशेष जांच कमेटी बिठाकर इस पर कार्रवाई करेगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के समय जो गणवेश का वितरण होता था ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय, गणवेश की क्वालिटी और वितरण में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- सुन तो लीजिए । उस समय गणवेश का वितरण शिक्षा सत्र के आखिरी में अक्टूबर, नवम्बर में होता था । इस बार, पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल

अप्रेषित/प्रकाशन के लिये नहीं

निर्देशन में हमने गणवेश का वितरण जुलाई में लगभग कर दिया है और जहां शेष है वहां जुलाई अंत तक वितरण कर दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय :- सेवन लाल चन्द्राकर ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न है । मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पूर्व में 7500 गणवेश की जप्ती बनाई गई है और कार्रवाई भी हुई है । 2013-14, 2014-15 और 2015-16 का अभी 15 हजार गणवेश डम्प पड़ा हुआ है और उसकी जप्ती नहीं बनाई गई है । क्या आप उसकी जांच कराकर कार्रवाई करेंगे ? यह मामला पूर्ववर्ती सरकार के समय का है और वहां गणवेश के संबंध में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है । हमने कलेक्टर से शिकायत भी की है । क्या आप इस पूरे मामले की जांच कराएंगे ?

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब उसी में है कि 83186 बच्चों का एक साल का पूरा ड्रेस हमारे बलरामपुर जिले में गायब हुआ है । माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करूंगा कि उसकी भी जांच करा ली जाएगी क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, रंजना डीपेन्द्र साहू ।

(श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर द्वारा प्रश्न करने हेतु खड़े होने पर)

अध्यक्ष महोदय :- आप हो कहां, यार ?

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, उधर से लगातार प्रश्न आ रहे थे ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय मंत्री जी से जांच का आश्वासन चाह रहे थे।

श्री बृहस्पत सिंह :- जवाब दे दीजिए ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसी कहीं गड़बड़ी हुई है तो जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं है, हम जांच कराएंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- जांच कराने में क्या दिक्कत है भई विधायकगण । कोई दिक्कत नहीं है, उसकी जांच होगी ।

<u>जिला महासमुंद में भूमि सीमांकन के प्राप्त आवेदन</u>

8. (*क्र. 428) श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला महासमुंद अंतर्गत विभिन्न तहसीलों में अप्रैल, 2017 से मई, 2019 तक कितने आवेदन भूमि सीमांकन हेतु प्राप्त हुये ? तहसील अनुसार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश "क" में प्राप्त आवेदनों में कितने आवेदनों पर सीमांकन किया गया कितने आवेदन सीमांकन हेतु लंबित हैं ? लंबित होने

अशांकित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

का कारण क्या है? वर्ष एवं तहसील अनुसार जानकारी देवें ? (ग) लंबित आवेदनों का कब तक निराकरण करते हुय सीमांकन किया जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जिला महासुंद अन्तर्गत माह अप्रैल 2017 से मई 2019 तक कुल 3949 आवेदन प्राप्त हुए है. तहसीलवार जानकारी निम्नानुसार है :—

महासमुन्द	बागबाहरा	पिथौरा	बसना	सरायपाली
880	824	648	593	1004

(ख) प्राप्त आवेदनों में 2681 आवेदनों पर सीमांकन किया गया है. 1268 आवेदन सीमांकन हेतु लंबित है जिला महासमुंद में राजस्व अमलों की कमी होने के कारण एवं विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन में राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों की लगातार कार्य में लगे होने के कारण सीमांकन के आवेदन लंबित है. प्राप्त निराकृत एवं लंबित आवेदनों की वर्ष एवं तहसील अनुसार जानकारी परिशिष्ट पर ††[7] संलग्न है. (ग) समय सीमा बताना संभव नहीं है.

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि महासमुंद जिले में सीमांकन के कितने आवेदन लंबित हैं । जवाब आया है कि 2017-18 से मई 2019 तक 400 आवेदन लंबित हैं और 2017-18 में 170 आवेदन लंबित हैं । अध्यक्ष महोदय, किसानों का सबसे ज्यादा काम राजस्व विभाग में पड़ता है । जिसमें इतने प्रकरण लंबित होना आश्चर्य की बात है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप मुझे भी देखिए, घड़ी को देखिए और उतना प्रश्न भी करिये, कि जवाब आ सके ।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- इसमें कारण बताया गया है कि राजस्व अमले की कमी है । मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि राजस्व अमले की भर्ती की जाए और एक क्रमबद्ध योजना बनाकर लंबित प्रकरणों का निराकरण करें ।

अध्यक्ष महोदय :- ये आपका सुझाव है या प्रश्न है ।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- महोदय, मैं चाहता हूं कि लंबे अरसे से आवेदन लंबित हैं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से निवेदन है कि इसमें जांच कमेटी गठित की जाए । अमले की कमी बताकर किसानों को व्यापक रूप से उनके कामों को टरकाया गया है । इसमें जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- टरकाने का क्या अर्थ है (हंसी)

---

††[7] परिशिष्ट "चार"

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री द्वारिकाधीश यादव :- काम को टालने का प्रयास किया गया है, टरकाया गया है । राजस्व विभाग में लोकपाल नियम है, संबंधित अधिकारी के द्वारा लोकपाल नियम का भी पालन नहीं किया गया।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, ये तो पंजीकृत हैं, अपंजीकृत मामलों की संख्या भी हजारों में है ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी को जवाब देने के लिए उनको समय देंगे, एक मिनट बचा है । चलिए मंत्री जी, एक मिनट बचा है जल्दी जवाब दीजिए ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, 2017 से 2019 के बीच सीमांकन के जो प्रकरण बताए गए हैं । वो तहसीलवार पूरी जानकारी दूंगा तो समय लगेगा । अमले की जो बात आई है अभी 700 पटवारियों की भर्ती हो चुकी है, हमने प्रदेश में और भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है । अमला पूरा करना भी जरूरी है । अभी काफी लंबित मामले निपटाए गए हैं । पिछले महीने 7 तारीख को संभाग की बैठक हुई थी, उसमें रायपुर संभाग के सभी कलेक्टर्स थे, उन्हें जो टारगेट दिया गया था उनके मुताबिक वे मामलों को जल्दी से जल्दी निपटा रहे हैं । आने वाले समय में हम जल्दी से जल्दी मामले निपटाने में लगे हुए हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, 10 सेकेंड बचे हैं, जल्दी पूछिए पूछना हो तो ।

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री जी, हमारे जांजगीर जिले में राजस्व मामलों में अभी तक कई किसानों को मुआवजा नहीं मिला है । क्या उन्हें मुआवजा दिलाने की कृपा करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2017-18

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2017-18 पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- दूसरा भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018 पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम।

(3) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की अधिसूचना

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 15-30/15-2/2019/1, दिनांक 5 जुलाई, 2019 पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण सूचनाएं।

पृच्छा

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में राज्य सरकार...।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल है। मैं खड़ा हुआ हूं। नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य के कोण्डागांव जिले को आकांक्षी जिले में प्रथम स्थान मिला है। मैं सरकार को और प्रशासन को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश शासन द्वारा स्कूलों में मध्यान्ह भोजन में अंडे देने का निर्णय किया गया है। यह मामला पूर्व में भी उठा है। कबीर पंथ, गायत्री परिवार, राधा स्वामी सत्संग मंडल, जैन समाज...।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, जिसका नेतृत्व शर्मा जी कर रहे थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- ब्राह्मण समाज जैसे आधे से ज्यादा आबादी इस सरकार के निर्णय का विरोध कर रही है। (अस्पष्ट) के नेतृत्व में 16 तारीख की रात को हजारों लोग सरकार के इस निर्णय के विरोध में नेशनल हाइवे में धरने में बैठे रहे, पर सरकार ने इस निर्णय को वापस नहीं लिया है। स्कूल विद्या का मंदिर होता है। इस देश की आधी से ज्यादा आबादी शाकाहारी है और सरकार ऐसे लोगों के भावनाओं के विपरीत जाकर के स्कूल में अंडा परोसने का काम कर रही है। इस विषय पर हमारा स्थगन है। इसे ग्राह्य करके चर्चा कराया जाए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। यह सरकार कुछ अंडे वालों को उपकृत करने के लिए और पूरे प्रदेश में क्या अपना एजेंडे को हंसवाएगी। कभी 70 साल में अंडे की बात नहीं हुई। (व्यवधान) समाचार पत्रों में यह छपा है कि 80 प्रतिशत लोग मांसाहारी होते हैं। यह क्या हो रहा है? इसके ऊपर में आप चर्चा करवाइए। क्योंकि पूरे प्रदेश में इसका विरोध होगा। बच्चों में (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा (कोंटा) :- आज भी अंडे का वितरण किया जा रहा है। उसमें क्यों विरोध नहीं रहा था।

श्री शिवतरन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग इसे चर्चा पर ही रहने दीजिए न। अगर आप लोग इतने ज्यादा उत्तेजित हो जायेंगे तो कैसे काम चलेगा?

एक माननीय सदस्य :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबको जरूरत पड़ती है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- (व्यवधान) लोगों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग आराम से बात करिए। आपकी बात सब सुन रहे हैं। इस तरह से 5 लोग उत्तेजित होकर बात करेंगे, तो क्या समझ में आयेगा?

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 15 साल में...।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए। कोई विचार के लिए आया है तो उसे सुनिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरी बात अभी पूरी कहां हुई है?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आप बात करिए न।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज पूरा प्रदेश इसके लिए उद्वेलित है। आंदोलित है। पूरे कबीर समाज के गुरू रात भर धरने पर बैठे। जैन समाज में, अग्रवाल समाज में, माड़वाड़ी समाज में, खंडेलवाल समाज में, मैसूरी समाज ने, सतनामी समाज ने सबने विरोध दर्ज किया है। सरकार अंडे को प्रोटेक्ट करने के लिए पेपर में यह छपवाती है कि 80 प्रतिशत लोग मांसाहारी हैं। हम लोगों को भी मांसाहारी बना दिया। यह सरकार क्या करना चाहती है ?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है..।

अध्यक्ष महोदय :- आप डिस्टर्ब क्यों करते हैं? बैठिए, मैं आपको समय दे रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर आपको अंडा खिलाना है तो जो मांसाहारी लोग हैं, उनके घर पहुंचाकर आप दे दीजिए। परंतु अगर आप स्कूलों में अंडा देते हैं तो मुझे लगता है कि पूरे देश में लोगों के साथ अन्याय होगा और पूरे देश में इसके लिए आंदोलन होगा। हां, रविन्द्र चौबे जी आप भी अपने शंकराचार्य जी से चर्चा कीजिए कि क्या स्कूलों में अंडा देना चाहिए ? अभी-अभी गुरू पूर्णिमा गयी है। जरा अपने गुरूओं से पूछ लीजिए। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कई प्रदेशों में इनकी सरकार है, वहां क्या है ? ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- (श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य के बोलने हेतु खड़े होने पर) आप तो बोल चुके हैं, कितनी बार बोलेंगे ? आप बोल चुके हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय,....(व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- गोवा में इनकी सरकार है, वहां क्या हो रहा है ?

समय :
12:06 बजे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)

डॉ0 (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, एन0सी0सी0 में...(व्यवधान)

सभापति महोदय :- एक मिनट। नेता प्रतिपक्ष जी खड़े हैं।

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- आप तो कृषि विभाग के मंत्री थे। आप मुर्गी पालन विभाग को बंद क्यों नहीं करवाये ? मछली पालन को क्यों बंद नहीं करवाये ? उसको बढ़ावा देने के लिए भाषण देने जाते थे।

सभापति महोदय :- डहरिया जी, एक मिनट। नेता प्रतिपक्ष जी खड़े हैं। एक मिनट उनको सुन लीजिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय डहरिया जी, ..।

श्री धरम लाल कौशिक :- बहुत डिस्टर्ब करते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, गोवा में इनकी सरकार है, शराब परोस रही है।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- यह अण्डे की राजनीति खत्म होनी चाहिए। यह स्कूलों का अपमान करने जा रही है। ....(व्यवधान)

डॉ0 (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- अण्डा खाने की चीज है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ....(व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिये, यह ठीक नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी,...। सभापति महोदय, मैं एक मिनट अपनी बात कह लूं, उसके बाद आप उनको अनुमति दे दीजियेगा। मैं कोई भाषण नहीं कह रहा हूँ।

श्री विकास उपाध्याय :- माननीय सभापति महोदय, झारखण्ड में इनकी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखण्ड में है और वहां पर भी अण्डा दिया जाता है।

श्री बृहस्पत सिंह :- मध्यान्ह भोजन में अण्डा चलाने की परम्परा किसने शुरू किया था।

सभापति महोदय :- नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- इनकी सरकार का मध्यान्ह भोजन का मीनू निकालकर देख लीजिये।

(श्री विकास उपाध्याय, सदस्य ने मोबाइल दिखाकर सदन को बताने का प्रयास किया)

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, यह जो मोबाइल दिखा रहे हैं, सबसे पहले तो मोबाइल जब्त कीजिये। मतलब यहां पर आसंदी की कोई व्यवस्था नहीं है और सत्ता पक्ष के लोग ये काम करें।

डॉ0 (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- जब आप्शन दिया गया है तो इतना विरोध क्यों? जब आप्शन दिया गया है तो इतना विरोध क्यों ?

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, यह घोर आपत्तिजनक विषय है।

सभापति महोदय :- मोबाइल दिखाना ठीक नहीं है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मोबाइल दिखा रहे हैं, यह घोर आपत्तिजनक विषय है। इस सदन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं?

सभापति महोदय :- मैं बात कर रहा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, पिछले 2-3 दिन से यह देखने में आ रहा है।....(व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय ..।

सभापति महोदय :- बृहस्पत सिंह जी, बैठिये।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, यदि आप बोलेंगे तो ...। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मेरा हाथ जोड़कर इस विषय में निवेदन है कि देश के 15 राज्यों में अण्डा वितरण हो रहा है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस पर क्या कहना चाहेंगे ?

सभापति महोदय :- यादव जी, बैठिये।

श्री विकास उपाध्याय :- माननीय सभापति महोदय, जो इसी सरकार का स्कूलों में मेन्यु लगा है, उसको जरा जाकर देखिये। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, एक मिनट ...। (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, ऐसे में कैसे चलेगा। बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो कैसे चलेगा ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, क्या हो रहा है, क्या मजाक है, दादागिरी है। हम लोग यहां...(व्यवधान)

सभापति महोदय :- नेता प्रतिपक्ष जी खड़े हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं खड़ा हूँ, लेकिन बोलने देंगे तब।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, एक मिनट अनुमति दे दीजिये। आपसे आग्रह है कि दो मिनट सुन तो लीजिये। आप लोग सुनेंगे नहीं तो...(व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- क्या उल्टा-पुल्टा बोलने से हो जायेगा ? ये मछली पालन मंत्री थे, मुर्गी पालन मंत्री थे, अग्रवाल साहब 15 साल से पशुपालन मंत्री थे..(व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, आप दो मिनट अनुमति दे दीजिये, 2 मिनट बोलने दीजिये, दो मिनट तो बोलने का अधिकार दीजिये, एक मिनट बोलने दीजिये, वह भी न हो तो बता दीजिये, नहीं तो घर जायें। आप दो मिनट बोलने की अनुमति तो दीजिए ।

सभापति महोदय :- देखिए, मैं कह रहा हूं कि अभी स्थगन ग्राह्य के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है, कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मैं स्थगन के बारे में एबीसीडी नहीं बोलूंगा । आप मुझे दो मिनट का मौका दें । सभापति जी, यह सदन बहुत खर्चे में लगता है । ....(व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति जी, बृजमोहन अग्रवाल जी 15 साल से मंत्री थे...।

श्री धर्मजीत सिंह :- जब जवाब देना है, तब तो रहते नहीं हो । अकबर जी को पकड़ाकर चले जाते हो ।

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिये नहीं

श्री कवासी लखमा :- बृजमोहन अग्रवाल जी मुर्गी पालन, मछली पालन मंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया ? अब क्यों आपत्ति कर रहे हैं ? ....(व्यवधान)

सभापति महोदय :- लखमा जी, बैठिए, ये उचित नहीं है । ये कतई उचित नहीं है, आप बैठिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, आप ठीक बोल रहे हैं । सभापति महोदय, प्रजातंत्र के इस मंदिर में सत्ता पक्ष बहुमत में हैं, इस बात को पूरी दुनिया जानती है । हम विपक्ष में हैं, इसको भी लोग जानते हैं । अगर अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों का उपयोग करके कोई भी विपक्षी दल स्थगन, ध्यानाकर्षण या अन्य माध्यम से सरकार का ध्यान हम आकृष्ट कराना चाहते तो बात शुरू करने के पहले ही कुछ लोग खड़े होकर व्यवधान डालते हैं । हम पार्लियामेंट की भी कार्यवाही देखते हैं, वहां तो ऐसा नहीं होता। पूरी बात को सुन लीजिए, फिर आपको जो बोलना है, बोलिए। अब मंत्री लोग विधायक सरीखे खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं । ....(व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- ठाकुर साहब, बृजमोहन अग्रवाल जी पशुपालन मंत्री थे...(व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- आपको जवाब था, तब तो आप नहीं रहते हो । ....(व्यवधान)..आप जवाब के टाईम में बाहर रहते हो, अभी बेकार की बात कर रहे हो। ....(व्यवधान)

सभापति महोदय :- लखमा जी, आप बैठिए । ....(व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, ये हमारा अधिकार है, अगर कोई भी रोकेगा तो यह गलत परम्परा होगी इसलिए आपसे निवेदन है कि आप व्यवस्था दीजिए। अगर ये आपत्तिजनक बात करते हैं तो आप उसको कार्यवाही से निकालिए। अगर सरकार को अपनी बात कहनी है तो सरकार बकायदा सम्मानजनक तरीके से अपना स्टेटमेंट जारी करे । ये क्या है, कोई बोलने के लिए खड़े होते हैं तो सारे लोग खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं । यह बहुत बुरी परम्परा है ।

सभापति महोदय :- देखिए, जीरो आवर्स में सदस्य अपनी बात एक-एक मिनट में कहें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैंने तो बोल लिया, आपका ध्यानाकर्षित कर दिया, और क्या बोलूंगा ? जब जवाब देना है तो मंत्री रहते नहीं हैं और यहां बेकार की बात कर रहे हैं ।

सभापति महोदय :- मैं व्यवस्था दे रहा हूं । आप सबसे निवेदन है कि कृपया जीरों आवर्स में एक-एक माननीय सदस्य अपनी बात एक-एक मिनट में कह दे । स्थगन में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय सभापति जी, 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज 40 प्रतिशत से अधिक बच्चों में कुपोषण है...।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- 46 प्रतिशत बच्चों में ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री मोहन मरकाम :- इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि उसमें आप्शन है, कोई जरूरी नहीं है । उसमें दूध भी दे सकते हैं, अंडा भी दे सकते हैं, मक्खन ब्रेड भी दे सकते हैं तो सरकार का निर्णय स्वागतयोग्य है । भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे का विज्ञापन जारी करती थी । आज घड़ियाली आंसू बहाकर राजनीति कर रहे हैं ....(व्यवधान)

सभापति महोदय :- देखिए, जिस माननीय सदस्य ने सूचना दी है, उस विषय पर ध्यानाकर्षण कर लें । अगर किसी सदस्य ने सूचना नहीं दी है तो कृपा करके वे न बोलें । माननीय विनय जी ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, अंडे को लेकर...।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इनकी सूचना है क्या?

सभापति महोदय :- नहीं, नहीं ।

डा. शिवकुमार डहरिया :- आसंदी की व्यवस्था पर आप ऊंगली नहीं उठा सकते। माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आसंदी ने उनको अवसर दिया है। ....(व्यवधान)

सभापति महोदय :- एक मिनट । मैंने पहले व्यवस्था दी है कि जिस किसी माननीय सदस्य ने अगर सूचना दी है तो वे ही ध्यानाकर्षित करें । विनय जी, आपकी कोई सूचना नहीं है, आप बैठिए ।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, आसंदी से जो निर्देश दिया जायेगा, उसका पालन किया जायेगा । ....(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए)

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिए । मैं खड़ा हूं, आप लोगों को बैठ जाना चाहिए ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय ।

सभापति महोदय :- आपको अनुमति दी है ।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय, नेताजी से मैं अनुमति ले रहा हूँ।

सभापति महोदय :- अमरजीत जी बैठिये । मैंने पहले इनको अनुमति दी है।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य धर्मजीत सिंह जी ने आसंदी से आग्रह किया कि पक्ष और विपक्ष की सारी बातें आ गई । आपसे बोलने की अनुमति लेते हैं । उसके बाद यह आया कि जिन्होंने कोई सूचना दी है, यह आसंदी का निर्देश है । लेकिन उसके बाद में 10 सदस्य एक साथ खड़े हो जाते हैं ।

माननीय सभापति महोदय, यह ठीक है कि हमारी संख्या कम है, इसलिए आप बहुमत में है, सत्ता में है । हाऊस के अंदर में यदि बहुमत के द्वारा अलपमत की आवाज को दबाया जायेगा तो हाऊस के बाहर इस बात को हम कहां रखेंगे ? यह मेंरा आपत्ति का विषय है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर : सभापति महोदय, यह परम्परा आप लोगों ने शुरू की है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, जो हमारा अधिकार है, उसका संरक्षण यदि आसंदी नहीं करेगा तो कौन करेगा । आपने निर्देशित भी किया, लेकिन आपके निर्देश की अवहेलना करते हुये सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर व्यवधान उत्पन्न करते हैं । इसमें आप लोग व्यवस्था देंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे । यदि सत्ता पक्ष को यह लग रहा है, बहुमत से हम आवाज को दबायेंगे तो हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, अध्यक्ष महोदय । सत्ता पक्ष अपना बजट प्रस्तुत कर बजट पास करा ले । हम भाग भी नहीं लेंगे, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है और इसलिए आप तय कर दें कि यह बार-बार उपहास की स्थिति निर्मित हो, यह ठीक नहीं है । इस सदन में नई परम्परा जो कायम की जा रही है, इसके ऊपर आसंदी की व्यवस्था आनी चाहिये, निर्देश होना चाहिये ।

सभापति महोदय:- देखिये, दोनों दलों को इस बात का ध्यान रखना चाहिये । जिन माननीय सदस्य ने कोई अगर सूचना दी है तो जीरो अवर में ध्यान आकर्षित कर सकता है । लेकिन व्यवस्था पर व्यवधान न हो, कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दें, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ । अब कार्यवाही आगे ली जा रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अण्डे खिलाने के जो निर्देश दिये हैं, उसके लिए हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है, पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश में एक अराजकता की स्थिति है, लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष है, जो शाकाहारी लोग हैं, उनको भी लगता है कि हमारे बच्चों को भी अण्डा खाने की आदत सरकार डालना चाहती है । सभापति महोदय, जो हमारे कबीरपंथी हैं....(व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, यह पूर्ववर्ती सरकार ने अण्डा चालू किया था....(व्यवधान) मीनू चेक करा लीजिए ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, कूपोषण पर राजनीति हो रही है । पिछले 15 सालों में प्रदेश में कूपोषण को बढ़ाया है..(.व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी, आप संक्षेप में अपनी बात कहिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, अगर आप नियंत्रित नहीं करेंगे तो हम मूक हो जाते हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे । अगर इसी प्रकार से व्यवधान रहा तो शांति से मूक होकर हम बैठे रहेंगे, आप सदन चलाते रहिये । अगर यह व्यवस्था नहीं है तो यह उचित नहीं है । सत्तापक्ष जिस प्रकार से व्यवधान कर रहा है, यह लोकतंत्र की हत्या है...(व्यवधान)

सभापति महोदय :- मैंने निर्देश दे दिया है । व्यवधान नहीं होगा । बृजमोहन जी आपकी बात आ गई । माननीय देवव्रत सिंह जी ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :-चलिये, आप सरकार चलाईये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- चलिये । छोड़िये, आप चलाईये सरकार ।

समय :

12:23 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में</u>

(श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

<u>ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)</u>

श्री धरमलाल कौशिक :- इसके बाद भी ....(व्यवधान) ....सम्मान करना चाहते हैं..(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- कब तक ऐसी चर्चा से भागते रहोगे ?

सभापति महोदय :- माननीय देवव्रत सिंह जी ।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण भी दिया है, शून्यकाल की सूचना भी दी है । चूंकि परसों ध्यानाकर्षण पर चर्चा नहीं हो पाई थी, माननीय सभापति महोदय, गंडई नगर में एकमात्र जो हायर सेकेण्डरी स्कूल है, कन्या शाला है, उसके 100 मीटर के अंदर में एक शराब दुकान के चखना का संचालन हो रहा है । मेंरी लगातार शिकायत करने के उपरांत भी एक-दो बार हटा दिया गया और फिर चखना संचालन हो रहा है । कल की घटना में एक 11 वीं कक्षा की लड़की के साथ में 3 लड़कों ने वहां पर छेड़छाड़ किया है । चूंकि वह गर्ल्स हाई स्कूल के लिए एकमात्र मार्ग है । मैंने इस संबंध में ध्यानाकर्षण और शून्यकाल की सूचना दी है । कृपया गंडई के इस शराब दुकान के चखना को हटाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा । यह एक महत्वपूर्ण मामला है । एक कन्या छेड़छाड़ हुई थी। उस मार्ग पर रहने वाले चखना को तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिये ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, एक निवेदन था कि अण्डा का बहुत तकरार चल रहा है....(व्यवधान)

सभापति महोदय :- देखिये, आपने कोई सूचना दी है, उस पर बात करिये।

मैं निर्देशित कर चुका हूँ । जो माननीय सदस्य ने सूचना दी है, वह ध्यानाकर्षित करें। जीरो अवर्स है भई । कोई सामान्य चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- सभापति महोदय, जनपद पंचायत लोरमी के अंतर्गत सुकली और सेमरिया ग्राम पंचायत है। वहां पर एस.डी.एम., जनपद पंचायत के सी.ई.ओ., वहां के इंजीनियर एवं वहां के अन्य पदाधिकारियों ने करोड़ों रूपये का घपला किया है। मैं कम से कम 20 बार कलेक्टर के यहां

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बोल चुका हूं, गांव वालों के साथ जाकर मिल चुका हूं पर वही एस.डी.एम. जांच करते हैं, वही सी.ई.ओ. जांच करते हैं जो खुद इसमें लिप्त हैं। मैं ध्यानाकर्षण तो लगाया हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करके यह मांग करना चाहता हूं कि इसकी उच्चस्तरीय जांच करा दी जाए और गांव वालों को कम से कम तसल्ली हो, उनके 200-200 शौचालय फर्जी बन गये, वहां पर फर्जी बिलिंग हो रही है और उसके बाद भी वह ऐंठकर वहां रह रहे हैं। इनकी सबकी जांच करके इनके ऊपर कार्यवाही के लिए मैंने आग्रह किया है। मैं ध्यानाकर्षण लगाया हूं, कृपा करके सरकार के मंत्री जी इस पर ध्यान दें।

सभापति महोदय :- मैं सदन की कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(अपराह्न 12.21 से 12.54 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही।)

समय :
12:54 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरण दास मंहत) पीठासीन हुए)

श्री बृहमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय,....।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यगण प्लीज। शून्यकाल बहुत महत्वपूर्ण समय है। इसमें प्रदेश के तत्कालीन गतिविधियों के बारे में हमारे साथी जानकारी देते हैं, सदस्यगण जानकारी देते हैं। कोई भी सदस्य को शून्यकाल में अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं चाहता हूं कि इसे आप ध्यापूर्वक सुनें। किसी प्रकार का किसी व्यक्ति को कोई बाधक न बने। चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। मैं फिर से शून्यकाल शुरू करता हूं, जो अपनी बात कह सकते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के द्वारा पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा स्कूलों में मध्यान भोजन में अंडा दिये जाने का आदेश जारी हुआ है। जब कबीर पंथ के गुरू ने रातभर आंदोलन किया, सड़कों पर बैठे तो उन्होंने जारी कर दिया कि वह स्वैच्छिक होगा। परंतु इस प्रकार का आदेश जारी कर जो पूरे प्रदेश में 75 प्रतिशत लोग शाकाहारी हैं उनकी भावनाओं का अपमान किया गया है। एक ही स्कूल में बच्चे साथ में बैठते हैं, साथ में बैठकर खाना खाते हैं और कुछ बच्चे अंडा खायेंगे, कुछ बच्चे शाकाहारी खायेंगे। इस प्रकार से बच्चों के बीच में ही आपस में विभेद पैदा करने का काम आपस में शुरू किया जा रहा है। यह पूरे प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लोग कहते हैं कि 15 प्रदेशों में जारी है तो भैया पिछले इतने सालों में मध्यान भोजन चल रहा है इसे छत्तीसगढ़ में लागू क्यों नहीं किया ? छत्तीसगढ़ का वह परिवेश नहीं है। ऐसी बहुत सी शाकाहारी चीजें हैं। हमारे कृषि मंत्री जी बैठे हैं। कृषि विभाग में हमारे हार्टीकल्चर में इतनी चीजें पैदा हो रही है। उनको आप स्कूलों में बंटवा सकते हैं। केले की बंफर पैदावार हो रही है। उसको आप बंटवा सकते हैं। आजकल छत्तीसगढ़ में चेरी पैदा हो रही है उसको बंटवा सकते हैं। मैनपाट में एप्पल पैदा हो रहा है

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उसको बंटवा सकते हैं। आलू पैदा हो रहा है उसको बंटवा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में दूध जो पैदा हो रहा है, वह दूध पूरी खपत नहीं हो रही है। हमारी सरकार ने फ्लेवर्ड मिल्क देना शुरू किया था। जो शासन के निर्देश हैं और एक कमेटी बनी थी, आयोग बना था उसने कहा था कि बच्चों को 300 कैलोरी अतिरिक्त मिलनी चाहिए। 300 कैलोरी किस-किस माध्यम से मिल सकती है, उसका हम परीक्षण करवा लें ? आखिर ये अण्डा देने की बाध्यता और जिद्द क्यों है? और इसके पीछे छत्तीसगढ़ में जितने पूरे शाकाहारी लोग हैं, उनमें बहुत बड़ा असंतोष है और हम बचपन से ही बच्चों में विभेद पैदा करेंगे तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक होगा। मैं चाहूंगा कि आप इस पर चर्चा करवायें और इस पर सरकार की तरफ से निर्णय आये, जिससे कि पूरे प्रदेश में लोगों में असंतोष है, वह दूर हो सके।

अध्यक्ष महोदय :- अजय चन्द्राकर जी।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विषय पर कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- आप तो बोल चुके हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 16 तारीख को अण्डे के विषय में शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी किया है और शिक्षा विभाग ने जो पत्र जारी किया है उसमें स्पष्ट निर्देश है कि मध्यान्ह भोजन तैयार करने के पश्चात् अलग से अण्डे उबालने अथवा पकाने की व्यवस्था की जायेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बृजमोहन जी ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है। 6 जुलाई को पंतश्री प्रकाशमुनि नाम साहब, कबीर पंथ के द्वारा सरकार को ज्ञापन दिया गया और उसके बाद पंतश्री की माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और उनकी चर्चा तथा आश्वासन मिलने के पश्चात्, राज्य शासन के द्वारा 16 तारीख को ये पत्र जारी किया गया है। ये जनभावनाओं के विपरीत है। इस पत्र को वापस लिया जाना चाहिए और अण्डे पर पूरी तरह से वितरण पर रोक लगायी जानी चाहिये।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नई सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में कुछ अजीब तरह की घटनाएं घटी हैं। बिजली विभाग की सूचना छापने पर राजनांदगांव के एक आदमी के ऊपर 124 (ए) लगा दिया गया, राजद्रोह का मुकद्मा और उससे ज्यादा आपत्तिजनक दो बातें हैं कि पुलिस ने जांच की, सुबह राजद्रोह लगाते हैं और शाम को बोलते हैं कि राजद्रोह जैसे मुकद्में का प्रमाण नहीं पाया गया। रातभर में या दिनभर में ऐसी कैसी जांच हुई ? और दूसरा ये घोर आपत्तिजनक छपता है कि राजद्रोह का मुकद्मा माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर हटाया गया। उसके बाद महासमुंद में एक पत्रकार बिजली के लिए लिखता है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत):- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने संवेदनशील मंत्री, अगर कुछ गलत कार्यवाही हो गई तो उसको करने के लिए कहा तो आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपकी व्यवस्था में जो शून्यकाल में बोल रहा हूँ, जो आपकी व्यवस्था होगी, मैं मानूंगा। उसके बाद इसी में हमने जो सूचना दी है महासमुंद में एक पत्रकार के ऊपर बिजली की सिर्फ सूचना छापने पर मुकदमा दर्ज किया गया और प्रदेश में 3 जगहों में पूरे देश में आप 3 हफ्ते पहले का इंडिया टुडे पढ़ लें। पुलिस सुधार, पुलिस सुधार में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है? किस तरह की बातें हो रही हैं छत्तीसगढ़ में तीन कस्टोडियल डेथ हुई है, ये पुलिस की कार्यप्रणाली, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, सब पर हनन है और उसके बाद तक जो कस्टोडियल डेथ के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर जारी किये हैं, उसका सीधा-सीधा उल्लंघन छत्तीसगढ़ में हुआ है और उससे बढ़कर कटघोरा में अभिरक्षा के अंदर एक कैदी ने फांसी लगा ली और ये लगातार पुलिस के संरक्षण में नागरिक अधिकारों की हत्या, श-शरीर हत्या हो रही है इसलिए इसमें सारे कार्य रोक कर चर्चा करायी जाये। मैं आपसे ये मांग करता हूँ।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव):- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में, खास तौर से राजनांदगांव जिले में जिस प्रकार कृषि विभाग द्वारा लगातार छापामार कार्यवाही की जा रही है जिसके चलते जिले भर के सभी कृषि वस्तु विक्रेता के मन में भय है। पिछले 5 दिनों से 350 दुकानें बंद हैं और किसान खाद, बीज के लिए भटक रहे हैं। कृषि संचालक द्वारा कृषि आदान कंपनियों को समय पर विक्रय अनुमति नहीं देने, जिला कृषि विभाग के द्वारा आवेदन का निष्पादन लापरवाही से करने से पूरे प्रदेश में कृषि वस्तु विक्रेताओं के लाईसेन्स अपूर्ण हैं। छत्तीसगढ़ पूरे भारत में धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है जिसका श्रेय प्रदेश के किसानों को जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही होती है, 8 घंटे तक दस्तावेज खगांले जाते हैं, रात को 12 बजे जाकर अचानक दुकान सील कर दी जाती है, 8 दुकानों पर कार्यवाही होती है। कृषि विभाग द्वारा लाईसेन्स पूर्ण करने की प्रक्रिया काफी जटिल है। इसका सरलीकरण किया जाना चाहिए। प्रदेश भर के कृषि वस्तु विक्रेताओं को परेशानी का सामना न करना पड़े, किसानों को अधिक से अधिक से लाभ पहुंचाया जाये। राजनांदगांव जिले सहित प्रदेश भर के कृषि व्यापारियों के ऊपर अनुचित कार्यवाही पर तत्काल रोक लगनी चाहिए साथ ही राजनीति से प्रेरित मामलों को वापिस लिया जाना चाहिए।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आपने शून्यकाल में पढ़ने की अनुमति दी है ? शून्यकाल में इस तरीके से पढ़ा जायेगा?

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये निर्णय आसंदी से होगा या मंत्री निर्णय करेंगे ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, हम निर्णय करेंगे।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मान लो कुछ गलत हो रहा है तो हमको बोलने का अधिकार है।

श्री धरमलाल कौशिक :- इस बात को आसंदी तय करे, क्या मंत्री तय करेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- आसंदी तय करेगी, लेकिन आंसदी का ध्यान आकर्षित करना हमारा अधिकार है।

श्री धरमलाल कौशिक :- यदि मंत्री तय करेंगे तो हमको नहीं बोलना है।

श्री मोहम्मद अकबर :- हम आसंदी का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। हमने ध्यान आकर्षित किया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपको यह तय करने का अधिकार नहीं है, आसंदी को अधिकार है।

श्री मोहम्मद अकबर :- हमको आपत्ति करने का पूरा अधिकार है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपको कोई अधिकार नहीं है, आसंदी को अधिकार है।

श्री मोहम्मद अकबर :- पूरा अधिकार है, हमको कैसे अधिकार नहीं है ? हमने आपसे आपत्ति नहीं किया है, हमने आसंदी से आपत्ति किया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- पहले यही तय कर लिया जाये, यदि मंत्री को अधिकार है तो फिर कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी, बहुत विद्वान सदस्य हैं, आसंदी में भी विराजमान रहे हैं। डॉ. रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। सदन की कार्यवाही से भलीभांति परिचित हैं। अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में मुद्दे उठाये जाते हैं, लेकिन पढ़ा नहीं जाता, यही बात तो माननीय अकबर जी बोल रहे थे। इसमें यदि आपका ध्यान आकर्षित कर दिये तो गलत तो नहीं है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से पढ़ा जाना उचित नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में उपस्थित हैं। हम लोगों ने और प्रमुख विपक्षी दल ने प्रदेश में अंडा वितरण के बारे में कई बार बात की है और मैं तो दो-चार दिन पहले भी इस विषय को यहां उठाया हूं। हमें जो लोग आ करके बताये, कबीरपंथ, बाबा गुरू घासीदास जी के जो समर्थक हैं, जैन समाज, ब्राम्हण समाज है, इन लोगों को आपत्ति है। किसी भी आपत्ति के बारे में हमने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। इस विषय में शासन की स्पष्ट नीति क्या है, इसके अभाव में पूरा प्रदेश आंदोलित है और प्रकाशमुनि नाम साहब को भी कल रात को धरने में बैठना पड़ा था। वहां के कलेक्टर ने 3 दिन के अंदर सरकार की रीति, नीति के बारे में और उनकी मांगों के बारे में विचार करके बताने का आश्वासन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां हैं।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मैं आपके माध्यम से सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि वह स्वयं या उनके द्वारा निर्देशित किये गये कोई भी मंत्री, चाहे शिक्षा मंत्री हों या संसदीय कार्य मंत्री हों, वह सदन में एक बयान दें कि सरकार आखिर अंडे के विषय में क्या करना चाह रही है ? दूसरी बात जब ये अंडे के बारे में बोले तो मैंने एक-दो डॉक्टरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि प्रोटीन के लिए चना भी बहुत ही उपयुक्त होता है। अगर आप चने की बोरी भेज दें और उसे एक दिन पहले अंकुरित करके उन बच्चों को चना का वितरण किया जाये तो उनको उतना ही प्रोटीन मिलेगा जितना अंडे में मिलता है। अगर बिना विवाद के प्रोटीन दे सकते हैं, कुपोषित बच्चों की मैंने तो विधानसभा में जानकारी भी मांगी थी, मेरे पास पूरी लिस्ट है। हम भी चाहते हैं कि कुपोषित बच्चे पोषित हों। लेकिन अगर कोई विवाद की स्थिति को टालते बनता है तो आप बड़ा दिल बना करके टालिये, क्योकि वर्ग के लोगों की भावना आहत हो रही है। अगर उसके बाद भी जिद में आप हैं तो आप बयान दे करके प्रदेश की जनता को बता दीजिए कि सरकार का अंडे के विषय पर आपका स्टेण्ड क्या है और आप क्या करने जा रहे हैं ? मेरा आपसे इतना ही विनम्र आग्रह है कि क्या हम लोगों की बात को आप मानेंगे या नहीं मानेंगे ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में माननीय सदस्यों ने अंडे के मामले में चर्चा की लेकिन विपक्ष के माननीय सदस्यों को एक ही विषय में अपनी बात उठानी है इस प्रकार से आज दिखा नहीं क्योंकि आज राजद्रोह 124-ए के बारे में बोल रहे थे । माननीय डॉ. रमन सिंह जी ने अमानक खाद के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया तो माननीय विपक्ष के सदस्य लोग एकमत दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन फिर भी अंडे के मामले में जो माननीय सदस्यों की चिंता है इस मामले में आज सत्र समाप्ति के पहले ही माननीय मंत्री जी का वक्तव्य आ जायेगा ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री भूपेश बघेल :- अब क्या हो गया ?

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं अंडे में नहीं जा रहा हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता का पड़ेगा डंडा, खूब खिलाओ अंडा और लोकसभा में पड़े हैं और आगे भी पड़ेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं क्या बोलूं आप असंदी में हैं और अंडे की चर्चा हो और अंडा बांटा जाये यह दुर्भाग्यजनक है ।

अध्यक्ष महोदय :- अंडे पर तो वक्तव्य आ रहा है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नयी सरकार के गठन के पश्चात् जिस प्रकार से....।

श्री भूपेश बघेल :- अब तो आगे बढ़ गये न ।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह जीरो ऑवर्स है और जीरो ऑवर्स को आप इंटरप्ट नहीं कर सकते ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, जल्दी से समाप्त करिये न ।

असंशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- शून्यकाल तो समाप्त हो गया न ।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं हुआ है, क्या आपने समाप्त कर दिया ? मैं जब बोल रहा हूं तो आप उस बात को सुनिए ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आप अंडा खाते हैं कि नहीं खाते यह तो बताईये । माननीय कौशिक जी क्या आप अंडा खाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अंडे के बारे में छोड़िए न ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से बिना एफ.आई.आर. किये, बिना उनके खिलाफ धारा लगाये जिस प्रकार से थाने में उनको बंद किया गया और बंद करने के बाद में लॉकअप में उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी एक घटना नहीं है । मरवाही में चंद्रिका तिवारी, चंदौरा थाना में कृष्णा सारथी ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या ग्राह्य कर दिया गया है और चर्चा शुरू हो गयी है ?

अध्यक्ष महोदय :- मैं ले रहा हूं न ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी जो है इस विषय में हमने स्थगन दिया है । बहुत सारे तथ्य हैं, आप इसको स्वीकार करके चर्चा करायेंगे तो सभी सदस्य विस्तार से चर्चा करेंगे ।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बात आयी है उसी बात को रिपीट करना ठीक नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मैं खड़ा हूं ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाईंट ऑफ ऑर्डर है । किसी एक विषय के बारे में एक सदस्य बोल ले । माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, शून्यकाल में यही व्यवस्था रहती है कि आपने एक-बार एक विषय उठा लिया, दो बार उसी विषय को नहीं उठायेंगे । किसी भी माननीय सदस्य को किसी विषय को एक-बार उठाने का अवसर मिलता है । माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कितने विषय को शून्यकाल में उठा चुके हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर बोलना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, मैं खड़ा हूं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी पूछ रहे हैं कि शून्यकाल में कितने विषय उठायेंगे ? शून्यकाल का मतलब ही है कि जितने विषय माननीय सदस्य उठा सकते हैं उनको अधिकार है । मैंने तो एक ही विषय उठाया है न ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिये बैठिए । मैं खड़ा हूं । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने एक ही विषय उठाया, ऑप रिकॉर्ड निकलवा लीजिये । अंडे पर मैंने नहीं कहा है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आज मौसम बड़ा गर्म है । मैं स्थगन प्रस्ताव ले रहा हूं शायद यह महत्वपूर्ण है ।

समय :
1:08 बजे

<u>स्थगन प्रस्ताव</u>

<u>पुलिस अभिरक्षा में व्यक्तियों की मौत होना</u>

अध्यक्ष महोदय :- मेरे पास थाना चंदौरा जिला सूरजपुर में लॉकअप में व्यक्ति की हुई मौत के संबंध में 03 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं -

प्रथम सूचना - श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य

दूसरी सूचना - श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य

तीसरी सूचना - श्री अजय चंद्राकर, सदस्य

चूंकि श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त हुई है अत: उसे मैं पढ़कर सुनाता हूं ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- मात्र 03 सदस्यों की, 15 में से 03 ।

अध्यक्ष महोदय :- 26 जून, 2019 को थाना चंदौरा जिला सूरजपुर में संदेहास्पद अवस्था में लॉकअप से लोहे के गेट के अंदर कृष्णा सारथी नामक व्यक्ति का शव पाया गया । पुलिस का कथन है कि मृतक कृष्णा सारथी ने लॉकअप में कंबल फाड़कर आत्महत्या की है । जिस वक्त सारथी की मृत्यु हुई उस समय उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, ना ही थाने में रोजनामचे में उसकी गिरफ्तारी शो गई थी। मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे । मृतक व्यक्ति सुबह 8.30 बजे थाने ले जाया गया और घटना लगभग 11.30 बजे से 12 बजे के बीच हुई थी । दिन के समय थाने के लॉकअप में घटना घटित हो और थाने के स्टाफ को पता ना चले यह कैसे संभव है ? वास्तव में मृतक का ससुर उक्त थाना क्षेत्र के ग्राम का कोटवार है और उसके चलते मृतक को मारा गया, जिससे मृतक की मृत्यु हुई और पुलिस इस हत्या को आत्महत्या का प्रकरण बनाने में लगी हुई है ।

चंद्रिका प्रसाद तिवारी निवासी कुम्हारी तहसील मरवाही जिला बिलासपुर अपने पुत्र के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया, पुलिस ने उनकी रिपोर्ट पर कार्यवाही करने के बजाय श्री चंद्रिका प्रसाद तिवारी तथा उनके बेटे दिनेश तिवारी को 7 अप्रैल को थाने में बैठा लिया व रात भर दोनों को इतना मारा गया,

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

जिससे चंद्रिका प्रसाद तिवारी को आंतरिक चोटें आईं, उसका दांत भी टूट गया । 8 अप्रैल को इन्हें वहां के तहसील कोर्ट में पेश किया गया । चंद्रिका प्रसाद तिवारी कोर्ट परिसर में दर्द के कारण तड़ता रहा, लेकिन ना उसे 151 की जमानत दी गयी और ना ही उसे अस्पताल भेजा गया, उसके बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए स्थानीय सिनेटोरियम अस्पताल लेकर गये वहां के चिकित्सकों ने चंद्रिका तिवारी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसको बिलासपुर रेफर किया । बिलासपुर जाते समय रतनपुर के आसपास उसकी हालत और बिगड़ी । रतनपुर में उसे वहां के स्थानीय चिकित्सालय ले गये, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया । पुलिस के मारने से उसकी मृत्यु हुई और पुलिस इसे हार्ट अटैक का मामला बता रही है ।

सुनील श्रीवास चंगोराभाठा रायपुर निवासी को थाना पांडुका जिला गरियाबंद को 7 मई 2019 को हिरासत में लिया गया । उसका शरीर भी पांडुका थाने के बाथरूम में शर्ट को फंदा बनाकर लटका पाया गया । इसे भी पुलिस आत्महत्या का प्रकरण बता रही है, जबकि सुनील के परिजनों का कहना है कि थाने में उसे इतना प्रताड़ित किया तथा शरीरिक चोट पहुंचाई गई, जिससे उसकी मृत्यु हुई । पुलिस इस हत्या को भी आत्महत्या बताने में लगी हुई है ।

जशपुर नगर में आनंदराम को ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलते वाहन में लाठी मारकर रोकने का प्रयास किया गया, जिससे आनंदराम वाहन से गिर पड़ा और गिरते ही उसकी मृत्यु हो गयी । वहां उपस्थितजनों ने ट्रैफिक पुलिस के इस कृत्य का विरोध किया और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन लाठी मारने वाले ट्रैफिक पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई । पुलिस विभाग द्वारा दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही करने और अपराध को नियंत्रित करने के बजाय लोगों को प्रताड़ित करने में लगी हुई है, जिससे पूरे प्रदेश की जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

अतएव इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं ।

इस संबंध में शासन का क्या कहना है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 26 जून 2019 को थाना चंदोरा जिला सूरजपूर लॉकअप में हुई मृत्यु के संबंध में वस्तु स्थिति इस प्रकार है कि आवेदक प्रकाश सारथी द्वारा उनकी पुत्री सुंदरमनी के साथ उसके पति कृष्णा सारथी द्वारा झगड़ा विवाद की शिकायत थाना चंदोरा में की गई थी । शिकायत के आधार पर दिनांक 26.06.2019 को 8.00 बजे कृष्णा सारथी को थाना चंदोरा लाया गया तथा थाना के हवालात में रखा गया । जहां पुलिस अभिरक्षा में दोपहर 12.30 बजे कृष्णा सारथी के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई । जिस पर थाना चंदोरा में मर्ग क्रमांक 21/2019 कायम कर पंचनामा कार्यवाही में लिया गया है, जिसकी जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रथम श्रेणी प्रतापपुर द्वारा की जा रही है । उक्त घटना में लापरवाही बरतने वाले 10 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जांच के आदेश दिये गये हैं ।

यह सही नहीं है कि चन्द्रिका प्रसाद तिवारी निवासी कुम्हारी, तहसील मरवाही, जिला बिलासपुर अपने पुत्र के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया था, पुलिस ने उनकी रिपोर्ट पर कार्यवाही करने के बजाय श्री चंद्रिका प्रसाद तिवारी एवं उनके बेटे दिनेश तिवारी को थाने में बैठा लिया एवं रात भर मारपीट की गई । सही यह है कि ग्राम कुम्हारी निवासी पुष्पेन्द्र तिवारी, तुलसी प्रसाद तिवारी एवं चंद्रिका प्रसाद तिवारी, दिनेश कुमार तिवारी के मध्य जमीन संबंधी विवाद है । जिसकी रिपोर्ट पूर्व में दिनांक 28.03.2019 को चंद्रिका प्रसाद तिवारी के द्वारा थाना मरवाही में किये जाने पर दोनों पक्षों के विरूद्ध इस्तगासा क्र. 109,110/2019 धारा 107,116(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही की गई थी। दिनांक 07.04.2019 को पुन: दोनों पक्षों के मध्य जमीन विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा की सूचना पर डायल 112 के कर्मचारी द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों पक्ष को थाना पहुंचने बोला गया जिस पर दोनों पक्ष अपने-अपने साधन से थाना मरवाही में शाम को उपस्थित हुये, जिन्हें थाना प्रभारी मरवाही द्वारा समझाइश दिया गया, परन्तु दोनों पक्ष नहीं माने एवं थाना में ही विवाद करने लगे। इसकी रिपोर्ट थाना प्रभारी मरवाही द्वारा रोजनामचे में दर्ज कर दोनों पक्ष को धारा 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता में गिरफ्तार कर अनावेदक चंद्रिका प्रसाद तिवारी एवं दिनेश कुमार तिवारी के विरूद्ध इस्तगासा क्र. 21/2019 धारा 107, 116(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत एवं अनावेदक पुष्पेन्द्र तिवारी एवं तुलसी प्रसाद तिवारी के विरूद्ध इस्तगासा क्र. 22/2019 धारा 107,116(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत तैयार किया गया एवं दोनों पक्षों के अनावेदकों को रात होने से थाना में रखा गया, जिसे दिनांक 08.04.2019 को 11.30 बजे मय इस्तगासा के तहसील न्यायालय मरवाही में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा सभी अनावेदकों को जमानत मुचलका पर रिहा करने का आदेश दिया गया। जमानत पर रिहा होने के पश्चात् अनावेदक चंद्रिका प्रसाद तिवारी लघुशंका के लिये बाहर निकला और लघुशंका करने के पश्चात् वापस आने पर उसे चक्कर आने लगा जिसे उसके पुत्र दिनेश तिवारी ने ईलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मरवाही लेकर गया, जहां प्राथमिक उपचार के पश्चात् डॉक्टर द्वारा बिलासपुर ले जाने की सलाह दिया गया। उपचार हेतु बिलासपुर ले जा रहे थे तब रतनपुर के पास अनावेदक चंद्रिका प्रसाद तिवारी की मृत्यु हो गयी। इस संबंध में मर्ग क्रमांक 13/2019 पंजीबद्ध कर कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा शव पंचनामा कार्यवाही की गई। मृतक का डॉक्टरों की टीम द्वारा शव परीक्षण किया गया जिसमें मृतक की मृत्यु हृदयघात (हार्ट-अटैक) के कारण होना पाया गया। दिनांक 09.04.2019 को मृतक की पत्नी कली बाई तिवारी के लिखित आवेदन पर थाना मरवाही में पुलिस के विरूद्ध अपराध क्र. 35/2019 धारा 294, 506, 323 भारतीय दण्ड विधान का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो विवेचनाधीन है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दिनांक 07 मई, 2019 थाना पाण्डुका जिला गरियाबंद में धारा 420 भारतीय दण्ड विधान के आरोपी सुनील श्रीवास के लॉकअप में मृत्यु के संबंध में वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि प्रार्थी सेवकराम साहू द्वारा वाहन फायनेंस करने के नाम से आरोपी सुनील श्रीवास द्वारा 7,37,000/- रूपये की धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट थाना पाण्डुका में रिपोर्ट दर्ज कराने पर अपराध क्रमांक 76/2019 धारा 420 भारतीय दण्ड विधान पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। आरोपी सुनील श्रीवास के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से दिनांक 06.05.2019 को 19.30 बजे गिरफ्तार किया गया। रात होने से सुरक्षार्थ थाने में रखा गया था जो दिनांक 07.05.2019 को प्रात: 09.10 बजे सुनील श्रीवास द्वारा शौचालय के रोशनदान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। इस पर मर्ग क्रमांक 11/2019 दर्ज किया गया है। प्रथम दृष्टया लापरवाही बरतने वाले 05 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को निलंबित किया गया। न्यायिक जांच माननीय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजिम द्वारा की जा रही है।

यह कहना सही नहीं है कि जशपुर नगर में आनंद राम को ट्राफिक पुलिस द्वारा चलते वाहन में लाठी मार कर रोकने का प्रयास किया गया, जिससे आनन्द राम वाहन से गिर पड़ा और गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। बल्कि वस्तु स्थिति यह है कि दिनांक 16.03.2019 को कोतवाली पुलिस द्वारा शाम को वाहन चेकिंग किया जा रहा था, उसी वक्त मोटर सायकल क्रमांक सीजी-14, एमडी-0605 में 02 सवार लोग तेज व लापरवाहीपूर्वक मोटर सायकल को चलाते हुए बाल उद्यान जशपुर के पास गिर गये, जिसमें पीछे बैठे व्यक्ति आनन्द राम को चोट आने सेजिला अस्पताल जशपुर में पुलिस एवं नागरिकों के सहयोग से ईलाज हेतु भर्ती कराया गया। जहां डाक्टरों ने बेहतर ईलाज हेतु आहत को सिम्स अस्पताल रांची ले जाने रेफर किये, जिसे सिम्स रांची ले जाया गया। वहां ईलाज के दौरान आहत आनन्द राम की मृत्यु हो गई। मृतक के शव का पंचनामा एवं शव परीक्षण वरियातु पुलिस रांची (झारखण्ड) द्वारा कराया गया एवं मृतक के भाई ललित केरकेट्टा का कथन लिया गया। पुलिस द्वारा मृतक की पत्नि आशा केरकेट्टा एवं अन्य साथियों का कथन लिया गया, जिसने मृतक आनन्द राम की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में होना बताया है। दिनांक 26/03/2019 को थाना जशपुर में मर्ग क्रमांक 35/19 धारा 174 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं अपराध क्रमांक 87/19 धारा 304-ए भारतीय दण्ड विधान पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। मोटर सायकल चालक आरोपी रोहित मिंज के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ा गया है।

यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश में हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार एवं चोरी की घटना में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। बल्कि वस्तुस्थिति यह है कि हत्या, डकैती, लूट, चोरी एवं बलात्कार की घटनाओं में पिछली सरकार के 06-07 महीने की तुलना में इस सरकार के शासन में क्रमश: हत्या के अपराध में 13.20 प्रतिशत, डकैती में 52 प्रतिशत, चोरी के अपराध में 3.87 प्रतिशत एवं बलात्कार की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

घटना में 4.99 प्रतिशत की कमी हुई है। लूट, चोरी के अपराधों में शत-प्रतिशत सफलता मिली है। साथ ही हत्या का प्रयास, आपराधिक मानव वध, बलवा, अमानत में खयानत, धोखाधड़ी, जाली नोट, आगजनी, दहेज मृत्यु, शीलभंग एवं भारतीय दण्ड संहिता के अन्य अपराधों में कमी हुई है।

यह भी सही नहीं है कि पुलिस विभाग द्वारा दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करने और अपराध नियंत्रण करने के बजाय सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के इशारों पर लोगों को प्रताड़ित करने में लगी है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, शिवरतन शर्मा जी, दो मिनट में अपनी बात कहें, क्या कहना है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो चुका है। सुनियोजित ढंग से लोगों को ....।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन पर चर्चा कर रहे हैं न ?

अध्यक्ष महोदय :- जी। सुन रहा हूँ।

श्री धरम लाल कौशिक :- तो स्थगन में दो मिनट में चर्चा कैसे करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, मैंने इनका तो पढ़ ही दिया।

श्री धरम लाल कौशिक :- आपका सरंक्षण मिलना चाहिए न।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सरंक्षण दे रहा हूँ, इसीलिए तो सुन रहा हूँ नहीं तो सीधा अग्राह्य कर देता।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप ग्राह्यता पर चर्चा करा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, मैं ग्राह्यता पर चर्चा नहीं करा रहा हूँ। मैंने आपके विचार पढ़े और शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता। चलिये, ध्यानाकर्षण सूचना।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति समाप्त हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय :- अब हो गया। बात खत्म हो गई।

श्री शिवरतन शर्मा :- श्री शिवरतन शर्मा :- पुलिस अभिरक्षा में मौत की घटनाएं हो रही हैं।

समय :
1:24 बजे

<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की...।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- आप ग्राह्य करके चर्चा नहीं करायेंगे तो ग्राह्यता पर तो हम लोगों को सुनेंगे न। बिना ग्राह्यता पर सुने कैसे ? हम आपसे आग्रह करेंगे कि ग्राह्यता पर चर्चा सुने, आप उसके बाद निर्णय करें।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सुन रहा था।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आसंदी की व्यवस्था को चुनौती देना गंभीर मामला है। आपकी व्यवस्था आ जाने के बाद ऐसा करना गंभीर बात है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं समझ रहा हूँ भाई।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उस स्थगन प्रस्ताव में हमने प्रमुख मुद्दा सूरजपुर के चन्दौरा थाने की घटना को लिया है।

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी का आदेश आ गया, फिर उसमें क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138(3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में तीन ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किए जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है।

(सहमति प्रदान की गई)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा जो स्थगन है, वह महत्वपूर्ण स्थगन है।

अध्यक्ष महोदय :- किन्तु मैंने अग्राह्य कर दिया।

श्री शिवरतन शर्मा :- पुलिस के लॉकअप में मृत्यु हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- उसको अग्राह्य कर दिया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- पुलिस उसको आत्महत्या का रूप दे रही है। ....(व्यवधान)

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- अग्राह्य हो गया। ....(व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- आप ग्राह्यता पर तो चर्चा कराईये।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष ने अग्राह्य कर दिया है भाई।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- अध्यक्ष महोदय, ग्राह्यता पर चर्चा करा लीजिए, उसके बाद आसंदी का निर्णय आये । हम लोग आसंदी से आग्रह करेंगे । हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप ग्राह्यता पर चर्चा करा लीजिए और हमारे 5-6 सदस्य बोलेंगे, उस पर अपनी-अपनी बात रखेंगे । यह महत्वपूर्ण घटना है । आप वहां से सांसद रहे हैं, वहां लाकर मृत्यु हुई है । आप अभी जहां से पहले सांसद रहे हैं, वहां जेल में मृत्यु हुई है, ऐसे महत्वपूर्ण घटना पर यदि आप ग्राह्यता पर भी चर्चा नहीं

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

कराएंगे तो आखिर सदस्य अपनी बात कैसे रखेंगे इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों के ग्राह्यता के ऊपर ही बोलने दिया जाये और उसके बाद आप विचार करके आप उसमें निर्णय दें, मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने आपकी सूचना पूरी पढ़ ली और उसमें माननीय मंत्री जी का वक्तव्य भी सुन लिया । मुझे नहीं लगा कि इसमें और चर्चा होनी चाहिए इसलिए मैंने इसको अग्राह्य कर दिया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का उत्तर पूरी तरह से असत्य है । थाने में, लॉक-अप में जो आत्महत्या की घटना बतायी जा रही है, उसके ठीक सामने मुंशी बैठता है, वहां बैठकर रिपोर्ट लिखते हैं। वहां दोपहर को 12:30 बजे हत्या हो जाती है । इस गंभीर विषय पर चर्चा नहीं होगी तो कैसे होगा ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आसंदी की व्यवस्था पर आपत्ति कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन अग्रवाल जी ध्यानाकर्षण पढ़िए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, इसकी ग्राह्यता पर चर्चा करा लें । ग्राह्यता पर चर्चा करने के बाद में अग्राह्य कर दें, वह निर्णय ले लें ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने उसे अग्राह्य कर दिया है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की बातों को आप सुन लें । ....(व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- इसमें ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं, जिसको हम कहना चाहते हैं । ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं ।

श्री संतराम नेताम :- आप लोगों ने 15 साल शासन किया और ऐसे बहुत सारे गंभीर मामलों में आपने चर्चा नहीं कराई ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर हम बहिर्गमन करते हैं ।

समय :
1:27 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में</u>

(श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन किया गया)

अशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष बहिर्गमन की बात नहीं करते, दूसरे लोग बहिर्गमन कर लेते हैं । अगर बहिर्गमन करना है तो नेता प्रतिपक्ष को बहिर्गमन करना चाहिए । माननीय बृजमोहन जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाये।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष के 15 सदस्यों में तीन सदस्यों ने सूचना दी है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुमत भी माननीय बृजमोहन अग्रवाल के साथ था, लेकिन वहां प्रजातंत्र काम नहीं करता।

<u>ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)</u>

<u>(1) प्रदेश में किसानों का कृषि ऋण माफ नहीं किया जाना</u>

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर दक्षिण), (श्री अजय चन्द्राकर), (श्री अजीत जोगी) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- जून, 2019 जशपुर जिले के दुलदुला थाना क्षेत्र के चराईडांड के निवासी किसान मोहन राम निराला ने कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड से लिया गया, ऋण माफ नहीं होने के कारण आत्महत्या कर ली । सरकार ने 35 लाख किसानों से कर्ज माफी का वादा कर सत्ता प्राप्त की है, किन्तु किसान कर्ज माफी के नाम पर आत्महत्या करने, डिफाल्टर घोषित करने एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण के लिए दर-दर भटकने के लिए मजबूर हैं । सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्ज को माफ करने का एलान कर दिया है, किन्तु सरकार की ओर से किसानों की माफ की गई राशि नहीं दिये जाने से इन बैंकों से अब किसानों को कृषि ऋण नहीं मिल रहा है । प्रदेश में 80 प्रतिशत से अधिक किसान सीमान्त एवं लघु किसान हैं, जो खेतीबाड़ी के दिनों में बैंकों से ऋण लेने के लिए बाध्य होते हैं । बोवाई के लिए खाद, बीज, कीटनाशक और अन्य कार्यों के लिए किसानों को दर-दर भटकना पड़ रहा है । प्रदेश के किसान स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं । प्रदेश के सभी किसानों में राज्य सरकार की वादा खिलाफी से बेहद आक्रोश एवं रोष व्याप्त है ।

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह) :- अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है कि जून 2019 में जशपुर जिले के दुलदुला थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिरईडांड के निवासी किसान मोहन राम निराला ने कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड से लिया, ऋण माफ नहीं होने के कारण आत्महत्या कर ली । वस्तुस्थिति यह है कि श्री मोहन राम निराला द्वारा इलाहाबाद बैंक शाखा कुनकुरी से किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिनांक 16/09/2016 को रूपये तीन लाख ऋण लिया था । किसान के इस ऋण खाते में दिनांक

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

27/06/2019 को रूपये 93,838.98 की ऋण माफी की राशि जमा की गई । श्री मोहन राम निराला द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक शाखा दुलदुला से रूपये एक लाख ऋण लिया था, उनके ऋण खाते में दिनांक 26/03/2019 एवं 24/06/2019 को दो किस्तों में कुल रूपये 93,403 ऋण माफी की राशि जमा की गई ।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- कार्यसूची के क्रमांक 5 का कार्य पूर्ण होने तक भोजन अवकाश के समय में वृद्धि की जाती है । मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

श्री मोहन राम निराला की पुत्री ने दिनांक 20/06/2019 को अपने पिता द्वारा आत्महत्या करने की सूचना थाना कुनकुरी में दर्ज कराई गई। थाना कुनकुरी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है ।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17/12/2018 को प्रदेश के कृषकों का दिनांक 30/11/2018 पर बकाया समस्त अल्पकालीन कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया । प्रदेश के सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के 13.46 लाख पात्रताधारी कृषकों के रूपये 5260.15 करोड़ ऋण माफी की गई है । सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों से अल्पकालीन कृषि ऋण लेने वाले 2.72 लाख कृषकों को रूपये 2441.25 करोड़ माफ किया जा रहा है, जिसमें से बैंको को रूपये 899.21 करोड़ प्रदाय किया गया है, जो 2.17 लाख कृषकों को समानुपातिक रूप से वितरित किया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से अल्पकालीन कृषि ऋण लेने वाले 1.79 लाख कृषकों को रूपये 1208.33 करोड़ माफ किया जा रहा है, जिसमें से ग्रामीण बैंक को रूपये 701.11 करोड़ प्रदाय किया गया है, जो 1.79 लाख कृषकों को समानुपातिक रूप से वितरित किया गया है । बैंकों को दी जाने वाली ऋण माफी की शेष राशि प्रदाय करने की कार्यवाही की जा रही है ।

यह कहना सही नहीं है कि बोवाई के लिए खाद, बीज, कीटनाशक व अन्य कार्यों के लिए किसानों को दर-दर भटकना पड़ रहा है । प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों द्वारा जून 2019 तक 17309 किसानों को रू. 704.65 करोड़ एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक द्वारा 11564 किसानों को रू. 57.77 करोड़ का अल्पकालीन कृषि वितरण किया गया है । सहकारी बैंक एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से गत वर्ष 17/7/2018 की स्थिति में सहकारिता क्षेत्र में 2367.13 करोड़ 7.74 लाख कृषकों को ऋण वितरण किया गया था, जबकि चालू वर्ष में दिनांक 17/7/2019 की स्थिति में 7.95 लाख किसानों को रूपये 2401.77 करोड़ अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदाय किया गया है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 2 प्रतिशत अधिक है, जिसमें रूपये 1695.30 करोड़ नगद

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में एवं रूपये 706.47 करोड़ वस्तु ऋण रासायनिक खाद एवं प्रमाणित बीज के लिए प्रदाय किया गया है । प्रदेश के किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से कुल 3.93 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद तथा 4.52 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किया जा चुका है ।

अतएव कृषकों में राज्य सरकार के प्रति किसी प्रकार का आक्रोश एवं रोष व्याप्त नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मोहन राम निराला ने जो आत्महत्या की है, उसका कर्जा पहले माफ किया गया कि उसने आत्महत्या पहले की, यह बता दें ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह :- जो कर्जा माफी का निर्णय लिया गया था, उसमें सहकारी समितियों के जो कर्जे थे, वह तो टाईम में पूरा कर दिया गया था । लेकिन व्यावसायिक बैंक इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक इनके कर्ज के संबंध में चूंकि बाद में निर्णय हुआ है, इसलिए इसका कर्ज बाद में माफ किया गया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में अव्यवस्था की स्थिति है। आपने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि उसने व्यावसायिक बैंक से 3 लाख रूपये का ऋण लिया, आपने 93 हजार रूपये माफ किया। उसने ग्रामीण बैंक से 1 लाख रूपये का ऋण लिया, आपने 93403 रूपये माफ किया । जब आप पूरा कर्ज माफ कर रहे हैं तो इसका कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ? और कर्ज माफ नहीं होने के कारण इसे आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ा इसे आप अपने जवाब में स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। आखिर इनके आत्महत्या करने के लिए सरकार जिम्मेदार है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- ये तो भाषण दे रहे हैं। प्रश्न क्या है यह तो बताएं? अध्यक्ष महोदय, कॉलिंग अटेंशन में सप्लीमेंट्री प्रश्न करें न, ये तो भाषण देना शुरू कर दिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप क्या करते थे?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- हम जो करते थे वही करोगे क्या?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 27-06 को 93 हजार कर्ज माफ होता है और 20-06 को उसके द्वारा कर्ज के कारण आत्महत्या की जाती है। उसकी लड़की के द्वारा सूचना दी गई है। यह इतनी शर्मनाम घटना है कि उसका कर्ज माफ नहीं होने के कारण उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसके बाद भी मंत्री जी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। जब उसने आत्महत्या कर ली तब उसका कर्ज माफ करने का आदेश हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 13 लाख 46 हजार पात्रताधारी किसान हैं उनका 5260 करोड़ रूपये का ऋण माफ किया गया है। क्या सबको ऋण माफी का के.सी.सी. प्रमाण पत्र मिल गया है?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबका कर्ज माफ किया गया है और इनका के.सी.सी. का जो प्रमाण पत्र है वह सब प्रचलन में है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वितरण में के.सी.सी. प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण ही उनको दोबारा लोन नहीं मिल रहा है। आपकी सरकार है या क्या है?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सरकार हमारी ही है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्जमाफी के बाद कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। सबको ऋण मिल रहा है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 साल के इनके पापों को धोने का काम हम लोग कर रहे हैं। इन्होंने 15 सालों तक किसानों का शोषण किया। ये बता दें कि 15 सालों में इन्होंने कितने करोड़ रूपये माफ किए? हम लोग कार्य कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला ध्यानाकर्षण है, मैं पहला प्रश्नकर्ता हूं, मैं माननीय मंत्री जी से जवाब चाह रहा हूं। आखिर उनको के.सी.सी. के प्रमाण पत्र कब तक मिल जायेंगे और अभी तक नहीं मिले हैं तो क्यों नहीं मिले हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आपकी सरकार पूरी तरह सक्षम है, किसानों का कर्जा माफ करने के बाद उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है और प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण उनको बैंकों से लोन नहीं मिल रहा है और आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो आप ये बताईये कि कब तक उनको के.सी.सी. का प्रमाण पत्र दे देंगे?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 1797 करोड़ लोगों का कर्ज माफ हुआ है। उसमें से 12 लाख लोगों का वितरण हो चुका है और शेष का वितरण जारी है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हजारों किसानों ने आत्महत्या की और माननीय सदस्य उस समय कृषि मंत्री थे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के प्रश्न के जवाब में दिया है कि 2 लाख 73 हजार कृषकों को व्यावसायिक बैंकों से 2441 करोड़ रूपये का ऋण दिया गया है और व्यावसायिक बैंकों में अभी सिर्फ 899 करोड़ रूपये जमा किये गये हैं। व्यावसायिक बैंकों में 1542 करोड़ रूपये जमा नहीं किए हैं और उसके कारण किसानों को कर्ज नहीं मिल रहा है और किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। आपको इसके बारे में लज्जा आनी चाहिए कि आप कर्ज माफी की घोषणा करते हैं और किसानों का कर्ज माफ नहीं हो रहा है और कर्ज माफ नहीं होने के कारण किसानों को दोबारा लोन नहीं मिल रहा है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्ज माफी का निर्णय सरकार ने लिया है और कर्ज माफी करेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है और सबको लोन मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 17 लाख 97 हजार किसानों का 8909 करोड़ रूपये का कर्ज माफ किया है। आप लोगों ने

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कितना किया था? आपने 15 साल में केवल 260 करोड़ का माफ किया था। (सत्तापक्ष द्वारा शेम-शेम की आवाज।) यह किसानों की सरकार बनी है और किसानों के लिए काम कर रही है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 सालों में किसानों के लिए कुछ नहीं किए और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आज इनको किसानों की चिन्ता होने लगी है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने किसान हैं?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष जी ..।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- अजय चंद्राकर, क्या आप नहीं पूछेंगे ?

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, उसी का तो कर्जा माफ होगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय जोगी जी। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, तुहर सरकार ह 15 साल में....।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय अजीत प्रमोद जोगी जी। आपको चार बार बुला चुका हूं। मैंने आपका नाम चार बार लिया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में कितने किसान हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- छोड़िये न कितना पूछेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब आ जाये।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, 6 महीने में...।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, 15 साल में किसानों को.....।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- अध्यक्ष महोदय, किसानों को बोनस देने के बदले...।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिये, बैठिये। आप लोग बैठिये।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, 15 साल में किसानों के लिए चिंता नहीं किये। आज किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिये। आप फिर वही बात कर रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, 15 साल में चार बार माफ करे ह ता बता दो। 15 साल में चार आना माफ करे हव ता बतावव। अभी 6 महीना मा (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, जवाब तो मंत्री जी दे रहे हैं और प्रश्न कर रहे हैं। बाकी लोग जवाब सुन .....।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा यह बताईये, ध्यानार्षण में आप....।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, नहीं, नहीं बाकी लोग जवाब...।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा ये बताईये कि ध्यानाकर्षण की सूचना में कितने प्रश्न कर सकते हैं। ध्यानाकर्षण की सूचना में सूचना देने वाला व्यक्ति कितने प्रश्न कर सकता है।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, तीन प्रश्न कर सकते हैं। आसंदी का संरक्षण मिले।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, स्थगन को आपने परिवर्तित किया।

अध्यक्ष महोदय :- उनके चार प्रश्न हो गये हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें स्थगन लगाये थे।

अध्यक्ष महोदय :- बाकी भी तो इंपारटेंट क्वेश्चन है।

श्री धरल लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, स्थगन के बाद में यह हुआ कि उसमें बाकी सदस्यों को भी अवसर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- मैं तो दो को दे रहा हूं।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, नहीं-नहीं आसंदी के संरक्षण से ही बोल रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, यह पहले कृषि मंत्री थे। इनको प्रदेश में कितने किसान हैं पता नहीं है ?

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं मैं बोल रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक भी प्रश्न जवाब से बाहर नहीं है। जो मंत्री जी ने जवाब दिया मैं उसी के अंतर्गत प्रश्न पूछ रहा हूं। उससे बाहर नहीं पूछ रहा हूं। जामुल तनखा से 1079 हजार किसानों का 1208 करोड़ रूपये रूपये दिया। उस 1208 करोड़ रूपये से.....।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं कितने सदस्य का कर्जा माफ किया ? माननीय सदस्य कृषि मंत्री थे, आपने कितने किसानों का कर्जा माफ किया?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननननीय अध्यक्ष महोदय, ये किसानों के हितैषी बनते हैं। कृषि मंत्री थे कितने किसान है यह मालूम नहीं है। 15 साल कृषि मंत्री रहे हैं, कितने किसान हैं वह पता नहीं है ?

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, 15 सालों तक किसानों के लिए कुछ नहीं किया इसलिए 15 सीटों मे आकर सिमट गये।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया न। आप लोग डिस्टर्ब मत करिये।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- अध्यक्ष महोदय, बीमा की राशि दे देते तो और अच्छा होता।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि.....।

अध्यक्ष महोदय :- अंतिम प्रश्न।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण बैंक के और हमारे जो नेशनलाईज बैंक हैं इनके किसानों ने जो लोन लिया है और इसके साथ में ऐसे किसान जो डिफाल्टर हो गये। उन डिफाल्टर किसानों के लोन का पैसा कब तक बैंकों में जमा करवा दिया जायेगा जिससे कि उनको खरीफ फसल के लिए लोन लेने का अवसर मिल सके ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो डिफाल्टर किसान हैं, उनके लिए वन टाईम सेटलमेंट की व्यवस्था की गई है, ताकि उनको भी लोन मिल सके।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। अजय चंद्राकर जी पूछिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जवाब नहीं आया है। (हंसी)

डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, उसके लिए वन टाई सेटलमेंट की व्यवस्था की गई है, वन टाईम सेटलमेंट।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है कि बिल्कुल जितना आप कहेंगे उतना ही पूछूंगा लेकिन उत्तर वैसी ही आ जाये।

अध्यक्ष महोदय :- एक प्रश्न

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, नहीं-नहीं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, आप जैसा पूछोगे वैसा उत्तर मिलेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इसमें आपने लिखा है कि व्यावायिक बैंक के अल्पकालिक ऋण लेने वाले 272 लाख कृषकों के 2441.25 करोड़ माफ किये जा रहे हैं, एक। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अल्पकालिक ऋण वाले 179 लाख कृषकों के 1233 करोड़ रूपये माफ किया जा रहा है, किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से इस उत्तर में उल्लेखित है उसको पूछना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सब ने चुनाव प्रचार से लेकर सब जगह कहा कि 10 दिन में हमने सारे कृषकों का कर्जा माफ कर दिया। यह इनका श्लोगन था, यह इनका एजेंडा था। मेरे ऊपर 10 प्रकार की बात कही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुरूद के प्रचार में मेरे लिए क्या कही वह भी मैं समय पर बताऊंगा। लेकिन जब किया जा रहा है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि.....।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, आप तो इस्तीफा भी देने वाले थे। एक का भी कर्ज माफ जो जायेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा बोले थे क्या हुआ ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, इस्तीफा कब दोगे ? (व्यवधान) लेकिन आपने इस्तीफा नहीं दिया। (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- अध्यक्ष महोदय, आपकी इस्तीफा कहां गई ? (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। (व्यवधान)

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिये नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि ....।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 दिन में कर्जा माफ हो गया। इनका इस्तीफा नहीं आया। आपको दिया होगा तो हम लोग को कृपया बता दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, कब हुआ था 10 दिन में माफ जरा बता दीजिए तो कब हुआ था। यह उत्तर में बता रहा है कि छठवें महीने में पैसा जमा किये हो। बोलते हुए [XX][8] नहीं आती बोलते हुए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, आपको [XX] आनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, 15 साल में कोई कर्ज माफ नई करे हे ....।(व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- अध्यक्ष महोदय, भाई इतने कर्जे में छोड़कर चले गये तो कहां से डालेंगे। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आपकी सरकार ने 2100 रूपये की बात की, बोनस की बात की, तब आपको [XX] नहीं आई। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- आपकी सरकार ने 2100 रूपये और आपकी सरकार ने बोनस देने की बात की, तब आपको [XX] नहीं आयी ? (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- पिछली बार आपकी सरकार को [XX] करना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- अब माननीय सदस्य आप लोग बैठिए।

श्री संतराम नेताम :- आपने कहा था कि 300 रूपये बोनस देंगे। क्या आपने वायदा निभाया? (व्यवधान)

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्वाईंट ऑफ ऑर्डर।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्वाईंट ऑफ ऑर्डर। मैंने पहले प्वाईंट ऑफ ऑर्डर कहा है।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा पहले आप सुनाईये। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपके सदस्य पहले बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय शर्मा जी, पहले आपका प्वाईंट ऑफ ऑर्डर बताईये। पहले उनका प्वाईंट ऑफ ऑर्डर सुन लेते हैं।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

[8] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित किया गया.

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य शिवरतन शर्मा जी ने जिस लहज़े में बात की है और [XX] [9] शब्द असंसदीय है। माननीय शिवरतन शर्मा जी इतने पुराने सदस्य हैं। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने किस तरह की बात कही है, आप कार्यवाही उठाकर देख लें।

अध्यक्ष महोदय :- मैं देख लेता हूँ। (व्यवधान) आपका प्वाईंट ऑफ ऑर्डर क्या है ?

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, [XX] आती है। ये घोर आपत्तिजनक है। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको विलोपित किया जाये। (व्यवधान)

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय शिवरतन शर्मा जी ऐसी बात करते हैं (व्यवधान)। ये देखते-वेखते नहीं हैं। ये कुछ भी बोल देते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्वाईंट ऑफ ऑर्डर बतायें ? नहीं, फिर मुझे कहना पड़ेगा कि आप अनावश्यक रूप से खड़े होते हैं। आप प्वाईंट ऑफ ऑर्डर बतायें ?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, [XX] आनी चाहिए,शब्द को विलोपित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्वाईंट ऑफ ऑर्डर बतायें ?

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बैठे तब। मेरा प्वाईंट ऑफ ऑर्डर ये है कि माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं या ये सब सदस्य जवाब दे रहे हैं। ये आप ऑर्डर कर दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा चलिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, उधर वाले खड़े हो गये।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ भी बोलेंगे। (व्यवधान) बात नहीं रखेंगे।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत है। यही तो मेरा प्वाईंट ऑफ ऑर्डर है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नियम सबके लिए है।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं नियम सबके लिए है, लेकिन सब बोलने के लिए नहीं हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- जिन-जिन सदस्यों ने [XX] नहीं आती। इस तरह की शब्दावली का उपयोग किया है, उसे कार्यवाही से विलोपित करता हूँ। (मेजों की थपथपाहट) माननीय चन्द्राकर जी, आपका प्रश्न अधूरा है, आप प्रश्न पूछ लीजिए।

---

[9] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित किया गया.

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि अल्पकालीक ऋण व्यवसायिक बैंक के लिए और अल्पकालीक ऋण राज्य ग्रामीण विकास बैंक के लिए कितने पैसे का बजट आवंटित किया गया है कब तक वह संस्थाओं को चला जाएगा और ऋण माफी की पूरी प्रक्रिया कब तक हो जाएगी, तारीख सहित या अवधि सहित बताने का कष्ट करें। यह मेरा पहला प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी आपके पास इसकी जानकारी है तो आप बता दीजिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारी बैंक का पूरा ऋण माफी हो चुका है। व्यावसायिक, ग्रामीण बैंक का ये प्रक्रिया में है। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन निर्णय ले-लेकर सबका माफ कर दिया जायेगा, सबका माफ हो जायेगा और मांग के अनुसार सभी समितियों में खाद उपलब्ध है कहीं कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दिक्कत की बात नहीं की है। आपने कहा है कि करोड़ माफ किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों से अल्पकालीन कृषि ऋण लेने वाले, जो उत्तर में लिखा है मैं उसी का उल्लेख कर रहा हूँ और दूसरा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के अल्पकालीक लोन का, जो आपने अल्पकालीन कहा, उसमें भी आपने राशि का उल्लेख किया है। माफ किया जा रहा है, यही ध्यानाकर्षण का विषय है कि उनके ऋण माफ नहीं हुए। इसलिए नया ऋण नहीं मिल रहा है। तो यह कब तक माफ किया जायेगा? पूरा कृषि का समय निकल जायेगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि वह ऋण माफी कब तक की जायेगी? ये अवधि बतायें ताकि किसान को खेती के लिए कर्जा मिल सके, यह मेरा पहला प्रश्न है। यदि नहीं बतायेंगे तो मैं एक छोटा सा दूसरा प्रश्न करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप केवल एक ही प्रश्न कर सकते हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप कितना प्रश्न करोगे? ये 4-5 प्रश्न कर लिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर ही नहीं आ रहा है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबकी चिंता है कि किसानों को ऋण मिले। सबको ऋण मिल रहा है। सभी समितियों में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है और हम लोग जो कहे हैं, वह पूरा करेंगे। आप लोगों जैसे (व्यवधान) नहीं मनाते।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ। सहकारी बैंक, कॉपरेटिव बैंक के ऋण माफी के कागजात पहुंचे, लेकिन उसमें विषय ये है कि जिस अवधि का है। संयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी भी सुन रहे हैं। लेकिन उसमें जो ब्याज का जो पैसा है, वह सोसायटियों को नहीं दिया गया, इसलिए बहुत सारी सोसायटियां ऋण नहीं दे रही हैं। क्योंकि बैंक ब्याज नहीं पटाने के कारण ऋण नहीं दे रहे हैं, एक स्थिति है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दूसरी जो बहुत सारे किसान जो सोसायटी में सदस्य नहीं है, वह भूमि विकास बैंक और सार्वजनिक बैंक से कर्ज लेते हैं, वह कर्ज माफ नहीं हुए हैं, उनको प्रमाण पत्र नहीं मिला है, इसलिए भूमि विकास बैंक और सार्वजनिक बैंक जो हैं, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायिक बैंक लिखा है। आपने स्वीकार किया है कि प्रकिया की जा रही है। चूंकि खेती का समय चल रहा है इसलिए मैंने पूछा है कि कि आप कब तक करने जा रहे हैं ?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमि विकास बैंक कब के बंद हो गये हैं, इनको जानकारी नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें समय का महत्व है। यह राजनीति से विषय नहीं है। इसमें समय का महत्व है, हम करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है।

श्री मोहन मरकाम :- भूमि विकास बैंक साल भर से ज्यादा समय हो गया है, कोआपरेटिव बैंक में मर्ज हो गया है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है, उसे आप परीक्षण कर लीजियेगा। माननीय जोगी जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा बिन्दु है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की।

अध्यक्ष महोदय :- आपको कोई प्रश्न छोटा होता नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत छोटा सा प्रश्न है। मैं कह रहा हूं संयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। उनकी उपस्थित का प्रदेश को लाभ मिले।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करो, आपने 2003 में कर्ज माफ नहीं किया था, मुख्यमंत्री जी ने 10 दिन के अंदर कर दिया और इस्तीफा भी जल्दी दे दो।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदैव सम्मान करता हूं, भगवान की कृपा से आपसे मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये एक छोटा सा प्रश्न कर लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 1 लाख 18 हजार एन.पी.ए. किसानों की संख्या है, आज के प्रश्न में उत्तर है। आपने उत्तर दिया है, अतारांकित में देख लीजिए। 1 लाख 18 हजार एन.पी.ए. किसानों के लिए ये सरकार क्या करने जा रही है ? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सामने मौजूद हैं, इसका लाभ मिलना चाहिए, हम उन डिफाल्टर किसानों को ऋण देंगे, उन डिफाल्टर

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

किसानों को कब तक ऋण देंगे ? आप 4 महीने बाद देते हैं तो ये रिलेवेन्ट नहीं है। उन दोनों संस्थाओं के लिये और एन.पी.ए. कृषकों के लिए अभी और तत्काल कदम उठाते हैं तब मैं मानूंगा कि आप कृषक हितैषी हैं, बाकी सब राजनीतिक बाते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं कहता हूं कि एन.पी.ए. किसानों का कब तक करेंगे?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूछ रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 1 लाख 18 हजार डिफाल्टर किसान हैं, उनके लिए कब तक कर रहे हैं ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों का पूरा एन.पी.ए. ऋण माफ होगा और बैंक से वन टाईम सेटलमेन्ट किया जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किया जायेगा, किया जायेगा, हो रहा है, ये विषय नहीं है। अभी खेती का समय चल रहा है, मैं दोनों में यही पूछा हूं कि कब करेंगे ? अभी तुरंत बताईये ... (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको कोई जानकारी तो है नहीं। .. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठ जाईये। माननीय जोगी जी का प्रश्न आने दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग छत्तीसगढ़ में सरकार की गलत नीतियों के कारण लगभग 6 लाख किसान लोन से वंचित हो रहे हैं और अभी अकाल की स्थिति है।.. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- हो गया। माननीय जोगी जी।

श्री बृहस्पत सिंह :- यह 15 साल आपने जो गड़बड़ी किया है, इसके कारण सब घपला हुआ है। आपने 15 साल गड़बड़ी किया, फिर गड़बड़ी करना चाहते हैं।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के किसानों की क्षमता बढ़ी है, वह अधिक कर्ज ले रहे हैं। मैं माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बार ज्यादा मात्रा में किसान कर्ज ले रहे हैं। सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। माननीय अजय चन्द्राकर जी, इस बार किसानों ने ज्यादा मात्रा में कर्ज ले रहे हैं। सरकार के पास आंकड़े हैं, आप बोलेंगे तो सरकार आंकड़ें भी बता देगी।

अध्यक्ष महोदय :- जोगी जी, अपना प्रश्न करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका तीन प्रश्न हो गया।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सब किसान वंचित हो रहे हैं, उनको लोन नहीं मिल रहा है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चन्द्राकर जी, भाषण दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाया, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट किया है। पहले हम लोगों ने कोऑपरेटिव बैंक का ऋण माफ किया, फिर जो ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, इसके ऋण माफी की कार्यवाही चली। अभी माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, जो डिफाल्टर किसान हैं, जहां तक बात है डिफाल्टर किसानों के लिए भी हम लोगों ने उसमें विचार किया और निर्णय लिया । कैबिनेट में भी निर्णय हुआ। मुख्य बात यह है कि जितने राष्ट्रीयकृत बैंक में जो डिफॉल्टर किसान हैं उसके वन टाईम सेटलमेंट की उसमें व्यवस्था होती है और चूंकि बहुत सारे राष्ट्रीयकृत बैंक से यह लोन लिये गये हैं और सभी बैंकों से बात करना होता है, उनके हेड ऑफिस से अनुमति लेनी पड़ती है, आखिरी में फिर आर.बी.आई. से भी तो इसलिये माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वन टाईम सेटलमेंट कर रहे हैं और कोई किसान नहीं बचेगा जिसका ऋण माफ नहीं होगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता था ।

श्री भूपेश बघेल :- आप पहले सुन लीजिये । जब आपने कहा तो आपके आग्रह से खड़ा हुआ इसके पहले तो हम लोग नाक रगड़ लेते थे और इधर से कुछ जवाब ही नहीं आता था । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें किसानों की चिंता है और हम लोग लगातार उस दिशा में काम भी कर रहे हैं और चूंकि वे डिफाल्टर किसान थे, वे वर्षों से डिफाल्टर हैं तो उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा और छत्तीसगढ़ में कोई किसान ऋणी नहीं रहेगा आप चिंता न करें । (मेजों की थपथपाहट) यह छत्तीसगढ़ किसानों की सरकार है और हमने व्यवस्था की है, आज किसान सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं । जिंदगी में पहली बार तो वे ऋण से मुक्त हुए हैं । जो शासकीय बैंक हैं उसके आज कोई किसान ऋणी नहीं हैं । अब मैंने आपका जवाब दे दिया, उसके बाद आप फिर सवाल पूछेंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, आपको एक चीज एड करने के लिये कह रहा हूं ।

श्री भूपेश बघेल :- देखिये, आप लोगों की अंडे पर मांग हुई तो मैंने तुरंत कहा कि आज जवाब आ जायेगा । इस सदन में आप लोगों का पूरा सम्मान है । आप बार-बार कहते हैं कि बहुमत है, संख्या बल अधिक है । हम प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं (मेजों की थपथपाहट) और आपका जो जवाब है, सदन में जो सवाल उठाये जा रहे हैं उसका जवाब जरूर सत्तापक्ष से देने की हम कोशिश कर रहे हैं और अभी भी आपने जो बात कही, मंत्री जी ने वन टाईम सेटलमेंट कह दिया है । माननीय अध्यक्ष

अप्रमाणित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

महोदय, प्रक्रिया में समय तो लगता है और बहुत सारे बैंक हैं, कोई एक राष्ट्रीयकृत बैंक तो नहीं है । कॉपरेटिव बैंक एक है तो उसमें तुरंत प्रक्रिया हो गई । देखिये राष्ट्रीयकृत बैंक बहुत सारे हैं, वह सूची बहुत लंबी है । सभी से बात करना है तो बात करने में समय तो लगेगा और उनकी भी अपनी प्रक्रिया होती है वह हमारी प्रक्रिया नहीं है। कॉपरेटिव बैंक में शासन का सीधा दखल रहता है तो उसमें हम लोग सीधे निर्णय ले लेते हैं लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक में उनकी अपनी व्यवस्था है उसके अनुरूप वे बात कर रहे हैं और माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है और सदन के माध्यम से उन किसानों को जो डिफॉल्टर हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक से जिन्होंने लोन लिया है सबका वनटाईम सेटलमेंट होगा, वे सारे लोग ऋण होंगे ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- श्री अजीत जोगी जी क्या आप कुछ पूछ रहे हैं ? आप बोलिये । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने एनपीए पर वक्तव्य दिया। (व्यवधान)

श्री संतकुमार नेताम :- पूरे सदन का समय नष्ट करते हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- श्री अजीत जोगी जी ।

श्री अजीत जोगी (मरवाही) :- माननी अध्यक्ष महोदय, यद्यपि यह सही है कि प्रदेश में कर्ज माफी से लाखों की संख्या में किसानों को लाभ मिला है तथापि मैं यह कहना चाहूंगा कि किसानों के हृदय में एक बात जम गयी थी कि यह सरकार हर किसान का हर कर्जा माफ करेगी । वास्तविक स्थिति यह है कि अल्पकालीन कर्ज ही माफ किया गया । वास्तविकता यह भी है कि यदि अन्य सब कर्ज माफ करने पड़ें तो लगभग 40 हजार करोड़ रूपये और अतिरिक्त व्यय होगा इस परिवेश में यह प्रश्न करना चाहता हूं कि जबकि आपका वायदा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वायदा हर किसान के हर कर्ज माफ करने का था तो क्या आप मध्यकालीन और दीर्घकालीन कर्ज भी माफ करेंगे ? क्या आप आर.बी.आई. द्वारा संचालित बैंकों के ऋण भी माफ करेंगे ? क्या आप निजी-वित्तीय और गैर वित्तीय कॉर्पोरेट, ट्रस्ट, पार्टनरशिप संस्थाओं से लिये गये कर्ज भी माफ करेंगे और क्या किसानों द्वारा साहूकारों से लिये गये कर्ज भी माफ करेंगे ? आर.बी.आई. के अध्ययन के अनुसार सहकारिता से केवल 10 प्रतिशत कर्ज लिया जाता है, 70 परसेंट 70 परसेंट निजी स्रोतों से लिया जाता है ।

समय :
2:00 बजे

इसलिए यदि वायदा पूरे कर्ज को करने का था, तो उससे यह कन्फ्यूजन हुआ । बहुत से लोग जेल भी गए, राजनांदगांव के दो किसान मेरे सामने आए जो जेल गए क्योंकि उन्होंने यह सोच लिया था कि हमारा आईएफडीसी का भी कर्ज माफ होगा । मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि जब हर किसान का हर कर्ज माफ करने का दस दिन का वायदा था तो क्या 4 श्रेणियों के कर्ज भी माफ करेंगे, जिसके लिए

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

आपको 40 हजार करोड़ रूपए देने पड़ेंगे । जो माफ कर दिया उसके लिए आपको धन्यवाद, लेकिन जो माफ नहीं किया, उसे आप माफ करेंगे या नहीं, मैं यह जानना चाहता हूं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, अल्पकालिक कृषि ऋण को ही माफ करने का वायदा ही हमने किया था ।

श्री अजीत जोगी :- घोषणा पत्र में लिखा है कि हर किसान ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- सहकारी बैंको से जिन्होंने भी अल्पकालिक ऋण लिया था । 30 नवम्बर, 2018 के पहले के जो अल्पकालिक लोन थे वे पूरे माफ हो चुके हैं और इससे आगे बढ़कर जो व्यवसायिक बैंक हैं ।

श्री अजीत जोगी :- मैं बाकी का पूछ रहा हूं । बाकी का करोगे या नहीं, यह बता दो ताकि किसानों को साफ हो जाए कि कर्जा माफ नहीं होगा ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, किसी ने गाड़ी के लिए कर्ज लिया है, किसी ने मकान के लिए कर्ज लिया है, ऐसे कर्ज माफ नहीं होंगे ।

श्री अजीत जोगी :- घोषणा पत्र पढ़ लीजिए ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- घोषणा पत्र में यही है । आप भी पढ़ लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, माननीय मंत्री जी समाप्त कीजिए । श्री धनेन्द्र साहू ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, हमने भी सूचना दी है । मेरी भी ध्यानाकर्षण सूचना थी ।

अध्यक्ष महोदय :- आप ध्यानाकर्षण पढ़ लीजिए, इसमें आपका नाम नहीं है । आप नियम पढ़ लीजिए । ध्यानाकर्षण में तीन से ज्यादा नाम नहीं आते । हर बात में आप चर्चा करें, ऐसा जरूरी नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण सूचना जमा की है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये बीच में फिर टपक गए ।

अध्यक्ष महोदय :- आप ध्यानाकर्षण का नियम पढ़ लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- धनेन्द्र साहू ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरा एक अंतिम प्रश्न है । चूंकि हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था और बाकी सदस्यों ने ध्यानाकर्षण सूचना दी थी । (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- अध्यक्ष महोदय, कल जो चर्चा हुई थी उसमें यही आया था कि स्थगन में सभी का नाम है, इसलिए ध्यानाकर्षण में एक-एक प्रश्न सभी पूछ लेंगे । हमने स्थगन

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

में तो सभी का नाम दिया था, कुछ लोगों ने इसी विषय पर अलग से ध्यानाकर्षण दिया था । इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप उन्हें एक-एक प्रश्न करने की अनुमति देंगे तो एक-एक प्रश्न कर लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- एक प्रश्न यदि करें तो मैं दोनों को अवसर दे सकता हूं । भाषण देंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाउंगा । चलिए पूछिये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- महोदय, मैं प्वाइंटेड प्रश्न पूछ रहा हूं । उसके पहले मैं एक पत्र दिखाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- फिर वही बात ।

श्री शिवरतन शर्मा :- चलिए पत्र नहीं दिखाता । माननीय मंत्री जी मुझे बता दें कि ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी दो दिन पहले इन्होंने बस्तर के दो लोगों को मरा हुआ बता दिया था, बाद में पुलिस ने बताया कि वे तो जिंदा हैं । ये फिर से कागज दिखा रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि मोहन निराला के 3 लाख के कर्ज में से आपने 93 हजार माफ किया । मोहन निराला का ग्रामीण बैंक का 1 लाख का कर्ज था उसमें से आपने 93 हजार माफ किया । यदि आपकी घोषणा पूरा ऋण माफ करने की थी तो आपने पूरा माफ न करके 93 हजार माफ क्यों किया । दूसरा, 17 दिसम्बर को माननीय भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली । इनके घोषणा पत्र में था कि हम 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ करेंगे । कितने किसानों के बैंक एकाउंट में आपने 10 दिनों के अंदर पैसा जमा किया, उनकी संख्या बता दें ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सहकारी सोसायटियों के सारे किसानों के खाते में जमा हो गया था ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उत्तर वे देंगे ना । माननीय अध्यक्ष जी, यह घोर आपत्ति की बात है । उत्तर उनको देना है और खड़े शिव डहरिया जी हो रहे हैं । आपने दस दिनों के अंदर कितने किसानों के बैंक खातों में पैसा जमा किया, यह बता दीजिए ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- बता रहा हूं ना । अध्यक्ष महोदय, हमारी जो घोषणा थी उसमें सहकारी बैंक के सभी कर्ज को हमने माफ कर दिया । घोषणा पत्र में समय सीमा केवल सहकारी बैंकों के लिए थी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सहकारी बैंक में जमा किये हैं, बता दीजिए न।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- सुन लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। बाकी जो व्यावसायिक बैंक हैं, उनकी भी अभी घोषणा हुई है कि उनका भी कर्ज माफ करेंगे। वह प्रक्रिया में है और उसमें चर्चा भी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा डिटेल भी बता दिया है...।

अशुद्धित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने बहुत पॉइण्टेड प्रश्न किया है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मुख्यमंत्री जी हा बता दिस, तभो ले समझ में नहीं आइसे।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपके घोषणा पत्र में है कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आपने कितने किसानों के एकाउण्ट में 10 दिनों में पैसा जमा किया ? मुझे यह बता दीजिए। मेरा बिल्कुल पॉइण्टेड प्रश्न है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- सरकार ने तो 10 दिन भी इंतजार नहीं किया। तीन दिन में पैसा ले लिया था। अब यह बैंक की प्रक्रिया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने किसानों की संख्या पूछी है। 10 दिनों में आपने कितने किसानों के खाते में पैसे जमा किये हैं, यह पूछा। इसकी संख्या बताइए न।

श्री मोहन मरकाम :- इन्होंने 15 सालों में (व्यवधान) एक भी घोषणा पत्र को क्या पूरा किया ?

अध्यक्ष महोदय :- बैठिए मरकाम जी। बैठ जाइए। प्लीज।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, मैंने बहुत ही पॉइण्टेड प्रश्न किया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठो। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- एक भी घोषणा पत्र। किस घोषणा पत्र की बात करते हैं। 15 सालों में... (व्यवधान)

श्री ननकी राम कंवर :- पहले आप अपना घोषणा पत्र (व्यवधान)

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- ये उन्हीं किसानों की बात कर रहे हैं, जिनका बोनस इन्होंने नहीं दिया है। ये उन्हीं किसानों की बात कर रहे हैं जिनका बोनस 2013 से 2018 के बीच लंबित है।

श्री धरमलाल कौशिक :- ये 15 साल के सरकार का हिसाब ले रहे हैं। ध्यानाकर्षण इस पर नहीं है कि 15 साल में हमने क्या किया ?

श्री मोहन मरकाम :- घोषणा पत्र (व्यवधान)

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- आप जिन किसानों के बात कर रहे हैं, उन किसानों की बात हम भी बता रहे हैं। जिनके बोनस लंबित हैं, उन किसानों की बात हम भी कर रहे हैं।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हम 15 लाख देने की घोषणा नहीं करते। जो बोलते हैं, वह करते हैं। जो बोला, वह हमने किया और कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मोहले जी का राशन कार्ड बन रहा है। कितना कार्ड बन रहा है, यह भी बता दीजिए।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, और कोई बोलना चाहता है। सत्ता पक्ष के और कोई सदस्य बोलना चाहते हैं। मरकाम जी आप और कुछ बोलेंगे? नहीं, जरूरत से ज्यादा आप लोग इंटरप्ट कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे सवाल हैं। दो दिन बचे हैं...।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मुझे एक बात कहनी है। किसी भी ध्यानाकर्षण का समय-सीमा का भी ध्यान रखा करें।

अध्यक्ष महोदय :- तो समय-सीमा आप आप कहां रखने दे रहे हैं?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- ये बहुत लंबा समय खींच रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- समय-सीमा आप रखेंगे क्या?

श्री बृहस्पत सिंह :- आप लोग 4-4 5-5 लोग हैं। एक ही बात को 4-4 5-5 लोग उठाते हैं।

श्री संतराम नेताम :- हम लोग जब ध्यानाकर्षण लगाते थे तो पिछले सदन में उसमें कुछ होता था क्या ? आप लोगों को तो कई मौके मिल रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- आपकी सरकार ने 15 पैसे का माफ नहीं किया। इनको बोलने का अधिकार कहां है?

अध्यक्ष महोदय :- बैठो दादी। बैठ जाओ। मोहले जी।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम राष्ट्रीयकृत बैंकों का सेटलमेंट कर रहे हैं। सेटलमेंट में 2 लाख हो सकता है। 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख जितना भी हो, मैं नहीं कह सकता कि वे कितना करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से या मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि सेटलमेंट की राशि जहां तक मैं जानता हूं जोकि 50 प्रतिशत है। हमने 2-4 जगह कराये हैं या जितने में सेटलमेंट होता। सेटलमेंट की बकाया राशि को राज्य सरकार देगी तो कब तक देगी ? मेरा यह कहना है कि सेटलमेंट के पैसे को राज्य सरकार किसानों को देगी या नहीं देगी। मेरा प्रश्न बस इतना है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बड़ा स्पष्ट किया है कि अलग-अलग बैंक हैं, उनसे चर्चा चल रही है और सभी के अलग-अलग नियम हैं। चर्चा उपरांत उसमें तय करेंगे कि उसमें किस ढंग से हो सकता है, लेकिन हमारी भावना बिल्कुल साफ है। हम किसानों के साथ हैं।

अध्यक्ष महोदय :- धनेन्द्र साहू जी। प्लीज।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण था। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं। माननीय मंत्री जी हैं। किसानों के बीमे का पैसा उनके खाते में जमा हुआ और उस बीमे के पैसे को भी ऋण में समाहित कर लिया गया। खाली दुर्ग जिले 53 हजार किसान हैं। छत्तीसगढ़ के ऐसे लाखों किसान हैं, बीमे की राशि उनके एकाउन्ट में आई, उसको ऋण में समाहित कर लिया गया।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तो उस बीमे की राशि को अलग करके उनका ऋण माफ किया जायेगा क्या ? इसका जवाब माननीय मंत्री जी दे दें।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बीमे का पैसा बीमा अनुसार ऋण खाते में ही जमा होना चाहिए। राजनांदगांव और दुर्ग जिले में राजनीतिक लाभ के लिए कुछ लोगों ने उसको ऋण खाते में जमा न कराकर सेविंग खाते में डाल दिया। सेविंग खाते के कारण जब ऋण माफी करने की बात आई, तो चूंकि उतना पैसा जितना ऋण खाते में जमा होना था, उतना उन्होंने सेविंग में डाल दिया। चार दिन तक बैठक लेकर के सबको वापस करना पड़ा। यह त्रुटिपूर्ण कार्य करने के बाद उल्टा आरोप लगाते हैं, यह उचित नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब स्पष्ट सवाल कर रहा हूँ, आपने कहा जिन्होंने शार्ट टर्म लोन लिया है, उनका पूरा कर्जा माफ होगा। लोगों को बीमे की राशि मिली और बीमे की राशि को ऋण की राशि में समाहित कर लिया गया। मैं आपकी बातों का विरोध नहीं कर रहा हूँ। यह सही है कि ऋण की राशि में ही उनके बीमें की राशि जमा होनी चाहिए।

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- यह नियम तो आप ही का बनाया हुआ है। हमारा नियम बनाया हुआ नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- परन्तु जो समाहित कर लिया गया है, उसको बीमे की राशि को अलग करके पूरा ऋण माफ किया जायेगा या नहीं, मैं इसके बारे में जवाब चाहता हूँ।

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- उत्तर आ गया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये आप, अपना ध्यानाकर्षण पढ़िये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री का जवाब संतोषपूर्ण नहीं होने के कारण हम बहिर्गमन करते है।

समय :
2:11 बजे

बहिर्गमन

<u>भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में</u>

(श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में बहिर्गमन किया गया।)

डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरी बात बताई है। मैंने उनको पूरा जवाब दिया है। ये पलायनवादी ...।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बृजमोहन भैय्या को नेता प्रतिपक्ष की जगह बैठाया जाये।

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) अटल नगर विकास प्राधिकरण, नवा रायपुर में भू-माफियाओं द्वारा नहरों को समतलीकरण कर अवैध कब्जा किया जाना।

श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नई राजधानी बनने के बाद एन0आर0डी0ए0 (अटल नगर विकास प्राधिकरण, नवा रायपुर) ने नया रायपुर बनने के बाद से ही सिंचाई हेतु बने नहरों को राजधानी निर्माण हेतु अधिग्रहण किया जा रहा है। इन नहरों के माध्यम से एन0आर0डी0ए0 के अधीनस्थ अधिकतर ग्रामों के तालाबों को भरा जाता था एवं खेतों में सिंचाई होती थी। एन0आर0डी0ए0 एवं भू-माफिया के सांठ-गांठ से इन नहरों को समतलीकरण कर समाप्त किया जा रहा है। भू-माफिया नहरों को जगह-जगह काटकर समतलीकरण कर अवैध कब्जा कर रहे हैं। नहरों को एन0आर0डी0ए0 द्वारा समतल कर दिए जाने के कारण एन0आर0डी0ए0के अधीनस्थ गांवों के तालाबों में नहर के माध्यम से पानी आना बंद हो गया है। भू-माफियाओं द्वारा नहरों को जगह-जगह काटकर समतलीकरण कर कब्जा करने से ग्रामीणों में शासन के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिये। मैं आपके माध्यम से सभी मंत्रियों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वे अपना वक्तव्य छोटे से छोटा दिया करें। दो पेज का वक्तव्य आता है उससे ये लोग बहुत सारे प्रश्न खोज लेते हैं और उसमें तरह-तरह के प्रश्न उपस्थित होते हैं। तो कम से कम शब्दों में आप लोग जवाब दें, यह मेरा कहना है।

समय :
2:13 बजे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (मोहम्मद अकबर) :- माननीय सभापति महोदय, यह कहना सही नहीं है कि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा सिंचाई हेतु बने नहरों को राजधानी निर्माण हेतु अधिग्रहण किया जा रहा है। अपितु यह कि नवा रायपुर स्थित खण्डवा जलाशय एवं उपरवारा जलाशय के शीर्ष कार्य एवं नहर झांझ-नवागांव जलाशय की दांयी एवं बांयी तट नहर तथा अभनपुर उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत आने वाली मुख्य नहर की आर0डी0 1458 से 19,140 मीटर तक वितरक शाखा 4 से 17 तक को जल संसाधन विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 26.04.2012 एवं 20.12.2013 के द्वारा राजस्व विभाग को हस्तान्तरित किया गया है। कलेक्टर रायपुर द्वारा दिनांक 15.01.2014 को उक्त

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आदेश को पृष्ठांकित करते हुए तहसीलदार आरंग, अभनपुर, मंदिर हसौद, गोबरा नवापारा को निर्देशित किया कि जल संसाधन विभाग के उक्त आदेश के पालन में संबंधित नहर को नवा रायपुर के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण की कार्यवाही की जाय। कतिपय नहरों का नामान्तरण प्रक्रियाधीन है। यह सही नहीं है कि एन0आर0डी0ए0 एवं भू-माफिया के सांठ-गांठ से राजधानी निर्माण के नाम पर इन नहरों को समतलीकरण कर समाप्त कर दिया जा रहा है। जल संसाधन विभाग द्वारा विकसित की गई कतिपय नहरों से जिन कृषि भूमि की सिंचाई हो रही थी, वे नया रायपुर परियोजना के लिए एन0आर0डी0ए0 द्वारा क्रय या अर्जित की जा चुकी है। जिससे उक्त नहरों की उपयोगिता समाप्त हो जाने के कारण ऐसी नहरों के अधिकांश भाग को नया रायपुर विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार यथासंभव मूल स्वरूप में रखा जाना है। केवल कतिपय भागों को भू-उपयोग एवं नियोजन की दृष्टि से सुसंगत उपयोग में लिए जाने का प्रावधान किया गया है। अत: विकास योजना की आवश्यकता के अनुरूप कतिपय नहरों का समतलीकरण नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। नया रायपुर परियोजना हेतु नवा रायपुर की सीमा की नहरों का हस्तान्तरण होने के पूर्व कतिपय नहरों से कृषि हेतु पानी दिया जा रहा है। एन.आर.डी.ए. के अधीनस्थ गांवों में जल संसाधन विभाग के द्वारा इन नहरों का उपयोग आस-पास के ग्रामों में निस्तारी तालाबों को भरने के लिए किया जाता था । वर्तमान में नवा रायपुर क्षेत्र में स्थित ग्रामों के तालाबों में नहर के माध्यम से जल संसाधन विभाग द्वारा निस्तारी पानी दिया जा रहा है । नया रायपुर क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत भूमाफियाओं द्वारा नहरों को जगह-जगह काटकर समतलीकरण कर कब्जा करने की कोई शिकायत अब तक प्राप्त नहीं हुई है । अत: नया रायपुर क्षेत्र के ग्रामीणों में शासन के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश की स्थिति नहीं है ।

श्री धनेन्द्र साहू :- सभापति महोदय, एशिया की ये सबसे बड़ी उद्वहन नगर सिंचाई योजना थी और आज भी उसमें सिंचाई हो रही है । एन.आर.डी.ए. ने अभी तक पूरी भूमि नहीं ली है । एन.आर.डी.ए. की अभी भी अनेक गांव की जमीन शेष बची हुई है, उसमें अभी भी लोग खेती करते आ रहे हैं । साथ ही निस्तारी के लिए तालाबों को भरने के लिए और कोई साधन नहीं है, यही नहरें हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि पिछली सरकार ने किन उद्देश्यों के तहत जल संसाधन विभाग की इस नहर का बड़ा हिस्सा, मैं समझता हूं कि इस पूरी परियोजना का लगभग 90 प्रतिशत हिस्से को अपने अधीन ले लिया । कोई मरम्मत नहीं है, कोई देख-रेख नहीं है और जहां मर्जी आये, भू-माफिया लोग लगातार कब्जा कर रहे हैं। मेरे पास सारे फोटोग्राफ्स हैं। (फोटोग्राफ्स दिखाया गया) जितने नहरों का काटकर समतल करा दिया गया है, वहां पर कब्जा करके बड़े-बड़े निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं । रख-रखाव के लिए अभी तक कोई काम नहीं किया, 2012 से नहर का अधिग्रहण किया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहूंगा कि लगभग 90 प्रतिशत नहरों का अधिग्रहण किया है, जहां

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अभी भी सिंचाई हो रही है, लेकिन इन नहरों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है । यदि माननीय मंत्री जी की जानकारी में है तो एन.आर.डी.ए. के द्वारा इन नहरों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए 2012 से लेकर अभी तक कितनी राशि खर्च की गई है ? कम से कम इसकी जानकारी दे दें ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, रख-रखाव और मरम्मत के लिए जो भी राशि खर्च की गई होगी, उसकी जानकारी मैं आपको अलग से दे दूंगा, लेकिन इस बात की समीक्षा करने की आवश्यकता है कि नहरों की उपयोगिता कितनी है और किन नहरों को मेंटनेंस किया जाना है और किन नहरों को मेंटनेंस की आवश्यकता नहीं है । जहां तक नहर को काटकर और कुछ भू-माफिया द्वारा उसको समतलीकरण करने की जो बात सामने आई है तो निश्चित रूप से यह चिन्ता का विषय है और इस पूरे मामले में मैं जांच की घोषणा करता हूं और दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की बात रखता हूं ।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जांच करने की विस्तृत बात स्वीकार की है । मैंने मई में शिकायत की थी । नहरों को काट रहे हैं, उसकी शिकायत मैंने एन.आर.डी.ए. में मई महीने में की है, मेरे पास उस शिकायत की पावती है । अभी भी उन नहरों की आवश्यकता एन.आर.डी.ए. को नहीं है, यदि एन.आर.डी.ए. वहां पर निर्माण कार्य कर रहे हैं, यदि उसमें बाधा पहुंच रही है तो समझ में आता है। उन नहरों के अस्तित्व को समाप्त न किया जाये, उन नहरों को यथावत् पुन: जल संसाधन विभाग को सौंप दिया जाये, ताकि वे लोग नियमित तौर पर उसकी मरम्मत और देखभाल करते रहें । सड़कों के बारे में आज तक उन तीन गांव में जिसकी मैंने पिछले विधान सभा में प्रश्न उठायी थी, पी.डब्ल्यू.डी. के लोग टेण्डर कर रहे थे, सड़क बना रहे थे तो एन.आर.डी.ए. के द्वारा उनको जेल भेजने की धमकी दी गई कि तुम इसमें सड़क का काम करोगे तो जेल भेज देंगे, उस कारण आजतक वह सड़क नहीं बनी । राजधानी के नीचे जहां एक तरफ चकाचक सड़कें हैं और तीन गांव अभी भी सड़क नहीं बनी है, वही स्थिति नहरों की है । हम पानी मांगते हैं, खरखरा जलाशय, जिसमें आप जंगल सफारी बनाए हुए हैं, आज भी लगभग ढाई सौ एकड़ सिंचाई होना है ।

सभापति महोदय :- माननीय साहू जी, आप प्रश्न पूछिए ।

श्री धनेन्द्र साहू :- सभापति महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं । वहां पर आज भी ढाई सौ एकड़ में सिंचाई होनी है, जो एन.आर.डी.ए. में अधिग्रहण नहीं किया है । ढाई सौ एकड़ खेती की जमीन बची हुई है, लेकिन उस खण्डवा जलाशय से उनको पानी नहीं देते, उसमें गांव वालों को निस्तार के लिए नहाने नहीं देते। एक तरफ आज जंगल सफारी बनाये हैं, सारे लोगों को लाकर सैलानी दिखा रहे हैं । उस गांव में, खण्डवा में मात्र एक तालाब है, उसमें आप गांव के लोगों को निस्तारी नहीं करने देते । आप जांच कराएं, उन अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही करिए । आखिर वहां पर इतना अतिक्रमण हो रहा है, उस

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

अतिक्रमण की शिकायत के बावजूद भी क्यों कार्यवाही नहीं की गई, कौन दोषी अधिकारी है, उस पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें और जिन नहरों की आवश्यकता एन.आर.डी.ए. को नहीं है, जिनकी आवश्यकता किसानों को है, उनको पुन: जल संसाधन विभाग को सौंप दिया जाये।

सभापति महोदय :-माननीय मंत्री जी का जवाब आ गया है, जांच के लिए आदेश दिया है । इनको भी देख लेंगे ।

श्री धनेन्द्र साहू :- उन नहरों को वापस जल संसाधन विभाग को सौंप दिया जाये ।

सभापति महोदय :- यह आपका सुझाव है, माननीय मंत्री जी देख लेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, सुन लीजिए । हालांकि उनका है । नहर एक महत्वपूर्ण साधन है । तालाब, पानी, नहर, इसको पाटना अच्छी बात नहीं है । पता नहीं कौन अधिकारी सलाह दे दिया कि इसका उपयोग नहीं है । आप तो उसको अच्छे से लाइनिंग करा दीजिए । उससे तालाब भरता है । अभी तो पानी का संकट आना है । यह अधिकारी लोग कुछ भी सलाह देते हों, उससे कोई भला नहीं होगा । जो भी पुरानी नहर है, उसको अच्छा कराके, सौंदर्यीकरण कराके, उसके किनारे प्लाण्टेशन लगाईये, उसके माध्यम से पॉण्डस भरिये, बडे-बड़े वहां माइन्स के गडढ़े है, उसको भरिये । अध्यक्ष जी, नये राजधानी के मंत्रालय के सामने में कई करोड़ रूपये का नकली तालाब बनाया जा रहा है । नहर को मत खराब करिये ।

सभापति महोदय :- इस ध्यानाकर्षण में नहीं है । माननीय धर्मजीत सिंह जी बैठिये ।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सिंचाई विभाग के मैनुअल के अनुसार यदि कोई भी आदमी नहर के संसाधन को क्षति पहुंचाता है तो उसमें देशद्रोह का धारा लगता है। उसमें राष्ट्रद्रोह का धारा है । जिन लोगों ने नहर को काटकर पूरी तरह समतल कर दिया, पजेशन में ले लिया, वहां पर भवन निर्माण कर रहे हैं । उस पर कड़ी कार्यवाही करें । मैं आपसे एक जवाब चाह रहा था कि उन नहरों को जिसकी आपकी आवश्यकता नहीं है, किसानों की आवश्यकता है, उन नहरों को पुन: वापस जल संसाधन विभाग को सौंप दें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये घर के बात ए भांटो ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, नहरों की आवश्यकता, उसका मैंटेनेंस, कितनी उपयोगिता है, उसके बारे में हम लोग समीक्षा कर लेंगे । लेकिन जिन्होंने नहरों को काटकर समतलीकरण कर दिया, उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

सभापति महोदय :- माननीय ननकीराम कंवर जी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(3) जिला कोरबा में समाज कल्याण विभाग द्वारा हितग्राहियों को पेंशन वितरण न किया जाना ।

श्री ननकीराम कंवर (रामपुर) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

कोरबा जिला अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, विकलांग पेंशन का नियमित रूप से वितरण नहीं किया जा रहा है, जिससे हितग्राहियों को बहुत परेशानी हो रही है । मेरे द्वारा कलेक्टर कार्यालय कोरबा के समक्ष धरना दिये जाने के पश्चात आंशिक रूप से पेंशन का वितरण कलेक्टर कोरबा द्वारा कराया गया, किन्तु कुछ माह का भुगतान करने के पश्चात पुन: पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा यह भी शिकायत है कि पहले पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों में से कई हितग्राहियों का नाम काट दिया गया है । इससे पेंशन भोगियों में भारी आक्रोश व्याप्त है ।

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती अनिला भेंड़िया) :- अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, विकलांग पेंशन, का नियमित रूप से वितरण नहीं किया जा रहा है, अपितु सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित समस्त पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों को प्रतिमाह नियमित पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है । यह भी कहना सही नहीं है कि माननीय सदस्य द्वारा कलेक्टर कार्यालय कोरबा के समक्ष धरना दिये जाने के पश्चात आंशिक रूप से पेंशन का वितरण कलेक्टर कोरबा द्वारा कराया गया था किन्तु कुछ माह का भुगतान करने के पश्चात पुन: पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि तथ्य यह है कि तकनीकी कारणों से जिन हितग्राहियों के खाते में पेंशन की राशि जमा नहीं हो पायी थी, उन्हें शिविर लगाकर भुगतान कराया गया है। यह भी कहना सही नहीं है कि कुछ माह का भुगतान के पश्चात पुन: पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि तथ्य यह है कि हितग्राहियों को माह जून, 2019 तक पेंशन का भुगतान उनके खाते में किया जा चुका है । यह भी कहना सही नही है कि पहले से पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों में से कई हितग्राहियों का नाम काट दिया गया है, अपितु पूर्व से स्वीकृत हितग्राहियों को पूर्ववत पेंशन का लाभ दिया जा रहा है ।

अस्तु पेंशन भुगतान को लेकर पेंशन भोगियों में किसी भी प्रकार का आक्रोश व्याप्त नहीं है ।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि कलेक्टर को मैं आवेदन पत्र दिया था । उसमें कितने माह का लोगों को पेंशन नहीं मिला था । माननीय सभापति जी, अगर ये जांच किये होंगे तो कलेक्टर का पत्र भी देखे होंगे । यह बता दें कि कितने महीने का पेंशन नहीं मिला था । मैं तो यह चाहता था कि मंत्री जी जवाब देते । आपके समय में पेंशन नहीं दिया गया था । लेकिन दुर्भाग्य से कह रहा हूँ कि आठ महीने का पेंशन कई लोगों को नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मिला । मैं जानना चाहता हूं कि सचमुच में 8 महीने का पेंशन क्यों नहीं मिला था इसकी आप जांच करवाईये तब मालूम होगा कि किस अधिकारी/कर्मचारी ने पेंशन का गबन किया था? मैं तो आप लोगों की मदद कर रहा हूं। अधिकारी लोग जैसा कहते हैं, वैसा जवाब देते हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- ये पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा घपला किया गया है जिसकी माननीय चिन्ता कर रहे हैं।

श्री ननकीराम कंवर :- आपको कुछ समझ में नहीं आयेगा।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सभापति महोदय, आप मदद कर रहे हैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, हमारे सदस्य की चिन्ता वास्तव में सही है परंतु ये भारत सरकार की योजना है और इस योजना को डी.बी.टी. के माध्यम से हितग्राहियों को डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाया जाता है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जैसे उनके कई एकाउंट हैं, जैसे उनका गैस वाला एकाउंट है या मनरेगा का एकाउंट है तो कभी-कभी उनके अलग एकाउंट में चला जाता है और जिसमें पेंशन जाता है उसमें पैसा न जाकर उनके किसी दूसरे एकाउंट में चला जाता है और यह भी कारण होता है कि उनको समय से भुगतान नहीं हो पाता। यह भारत सरकार की योजना है और डायरेक्ट डी.बी.टी. के माध्यम से इसे हम हितग्राहियों तक पहुंचाते हैं।

श्री ननकीराम कंवर :- यह भारत सरकार की योजना है जो हितग्राहियों तक नहीं पहुंची। अच्छा, आप यह बता दीजिए कि बैंक में कब से पैसा जमा होना शुरू हुआ है? आपको याद है या नहीं कि इसके पहले सचिव और सरपंच देते थे।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- बैंक के माध्यम से देना आपके शासनकाल से ही चालू हुआ है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, पेंशन सही मायने में गांव के गरीबों को नहीं मिल रहा है। हम लोग जाते हैं तो शिकायत आती है। बोलने का आशय यह है कि नहीं मिल रहा है तो आप उसमें अपमानित मत होईये, आप कोशिश करके अपने अधिकारियों को बोलिए कि वह कियोस्क होता है, अंगूठे का निशान नहीं मिलता है तो इन सबकी व्यवस्था को आप सुधारिये न।

सभापति महोदय :- चलिए, माननीय मंत्री जी ने नोटिश में लिया है।

समय :
2:27 बजे

<u>नियम 267 "क" के अंतर्गत विषय</u>

सभापति महोदय :- नियम 267 "क" (2) को शिथिल कर आज दिनांक 18 जुलाई, 2019 को मैंने सदन में 24 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्री अजय चन्द्राकर
2. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
3. श्री कुलदीप जुनेजा
4. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
5. श्री नारायण चंदेल
6. श्री सौरभ सिंह
7. श्री दलेश्वर साहू
8. श्री ननकीराम कंवर
9. श्री देवव्रत सिंह
10. श्री धरमलाल कौशिक
11. श्री अरूण वोरा
12. श्री मोहन मरकाम
13. श्री बृजमोहन अग्रवाल
14. श्री कुंवर सिंह निषाद
15. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
16. श्री धनेन्द्र साहू
17. श्रीमती इंदू बंजारे
18. श्री रजनीश कुमार सिंह
19. श्री रामपुकार सिंह ठाकुर
20. श्री बघेल लखेश्वर
21. श्री सत्यनारायण शर्मा
22. श्री गुलाब कमरो
23. श्री शैलेष पाण्डेय
24. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

2:28 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नलिखित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्री विनय कुमार भगत
2. श्री बघेल लखेश्वर
3. श्री प्रमोद कुमार शर्मा

समय :

2:28 बजे

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- सभापति महोदय, मैं, राज्यपाल महोदया के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करता हूं।

सभापति महोदय :- मैं, अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2019 की तिथि निर्धारित करता हूं।

सदन की कार्यवाही भोजन अवकाश के लिए 4.00 बजे तक के लिए स्थगित।

(2.29 से 4.00 बजे तक अंतराल)

समय :

4:00 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 15 सन् 2019)

अध्यक्ष महोदय :- श्री अमरजीत जी।

श्री अमरजीत भगत (खाद्य, नागरिक आपूत्रि एवं उपभोक्ता संरक्षण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 15 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 15 सन् 2019) के पुर: स्थापन की अनुमति दी जाये।

(अनुमति प्रदान की गई।)

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 15 सन् 2019) का पुर:स्थापना करता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 16 सन् 2019)

श्री टी.एस.सिंहदेव (पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 16 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 19 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

(अनुमति प्रदान की गई।)

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 16 सन् 2019) का पुर:स्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- शासन की ओर से प्राप्त विधेयकों की सूचना पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु मैंने उसके समक्ष अंकित समय निर्धारित किया है, जो इस प्रकार है :-

(1) छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 15 सन् 2019) 1 घंटा

(2) छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 16 सन् 2019) 30 मिनट

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अध्यक्ष महोदय :- उमेश पटेल जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(3) पंडित सुंदर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019)

श्री उमेश पटेल (उच्च शिक्षा मंत्री) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पंडित सुंदर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि पंडित सुंदर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) पर विचार किया जाये। अजय चंद्राकर जी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट सत्र में इसी तरह के दो और विधेयक आये थे। उसमें मैंने संशोधन दिया था। उस समय एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि बहुमत का जो नृसंशतापूर्वक प्रदर्शन है वह इस विधेयक में हो रहा है। आज भी मैं संशोधन देना चाहता था पर मैं इसमें जानबूझकर संशोधन नहीं दिया। यह नौजवान मंत्री माननीय श्री उमेश पटेल जी जो हैं, कल एक निजी विश्वविद्यालय में मामले में खड़े हुए थे तो यू.जी.सी. गाईडलाईन का उल्लेख कर रहे थे तो मैं हंसने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। क्या यह सरकार यू.जी.सी. गाईडलाईन मानती है ? मानती है तो यह विधेयक मजाक है। मैं पिछली बार पढ़ा था। आज भी सिर्फ आपकी जानकारी के लिए पढ़ देता हूं और फिर मैं इस पर एक आरोप लगाने वाला हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, वह तो सदैव लगाते रहे हैं। कोई पहली बार थोड़ी है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, जो समझ में न आये उसमें भी खड़ा मत हुआ करो न।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, विधेयक में तो कम से कम आराम से चर्चा होने दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, जो समझ में आये उसमें खड़े हो तो फिर जातिवादी हो जायेंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, नहीं-नहीं जातिवाद की बात नहीं। किसी काम में आरोप नहीं लगाये हो क्या ? लगाना चाहिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 7.3.0. VICE CHANCELLOR: Persons of the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment are to be appointed as Vice-chancellors. The Vice-Chancellor to be appointed should be a distinguished academician, with a minimum of ten years of experience as professor in a University system of ten years of experience in an equivalent position in a reputed srearch and / of academic administrative organization.

श्री बृहस्पत सिंह :- आप हिन्दी में भी बता दें तो हम लोग भी समझ लें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा है विधायक दल की बैठक लेकर आपकी बीमारी का इलाज तो सिखा दिये हैं। आपको हर बात में खड़े होना है। विषय की गंभीरता तो आप समझते नहीं है।

श्री बृहस्पत सिंह :- नहीं-नहीं। अगर सदन में माननीय सदस्यों को नहीं समझ में आ रहा है तो यह पूछना गुनाह है तो मैं क्षमा चाहूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप खड़े हो जाएंगे, जो उसमें तरीका अपनाये हैं।

श्री सौरभ सिंह :- उसमें आपके पास ट्रांसलेटर है। आप ट्रांसलेटर को लगा लीजिए, अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी हो जाएगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- नहीं। ये छत्तीसगढ़ी से हिन्दी है। इसमें अंग्रेजी से हिन्दी नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में नई शिक्षा नीति का प्रारूप जारी हो चुका। 400 करोड़ रूपये उत्कृष्ट संस्थान बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है, इस देश में जीईआर को बढ़ाने के लक्ष्य निर्धारित किये हैं। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी एक दिन हाऊस में निजी विश्वविद्यालय के मामले में कहते हैं कि हम इस विषय में यू.जी.सी. गाईड लाईन का पालन कर रहे हैं। वाईस चांसलर, जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें वे यू.जी.सी. के गाईड लाईन को क्यों नहीं मान रहे हैं? जब विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को रख रहे हैं इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि इनकी स्वायत्ता खत्म करना, इसको अपनी मनमर्जी से चलाना, इसमें छत्तीसगढ़ की शिक्षा के स्तर को नीचे गिराना, क्योंकि एक्मिडिशियन नहीं है। वहां आपकी कठपुतली बैठाना चाहते हैं। आपने एक यूनिवर्सिटी लैजिसलेट की है आपने दूसरा बनाने की उद्यानिकी के बारे में संकल्पना जाहिर की है । आप कृपा करके ये संशोधन मत रखियेगा। पहले से प्रावधान कर दीजियेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब ये इसलिए किये जा रहे हैं कि इस प्रदेश में कोई भी एकेडमिक आदमी काम नहीं करना चाहता और इसलिए सरकारी अधिकारी या उस लेवल के लोगों को अप्वाईंट करना चाहते हैं और मेरा आरोप है मैं उसको समय पर तथ्यों से इस सदन में रखूंगा कि कांग्रेस के एक विधायक ने दुर्ग विश्वविद्यालय के कुलपति को विधिवत् 200 लोगों की लिस्ट देकर चिट्ठी लिखी कि इनको पास करवाईये और मुझे शाम तक सूचित करिये। उसके बाद, उसके कक्ष में लड़कों को भेजा गया, उसके कक्ष में लड़कियों को भेजा गया, उनसे इस्तीफा लिया गया। कहां है, अरूण वोरा जी नहीं हैं क्या ? उनको पूरी बात मालूम है।

श्री बृहस्पत सिंह :-सर, आप बता दीजिए। हम लोगों ने दामाद की नियुक्ति नहीं की।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके समय में तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं करता था, आपने उसको वाईस चांसलर बना दिया। 5 साल का प्रोफेसर का एक्सपियरेंस नहीं था।

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा है। अच्छा चलिये, अब आपके समय में तो कुलपति लूना में चलते थे और पंचर बनवाते थे। आपने 125 विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड तोड़ा, मैंने उसको बनवाया। मैंने रेग्युलेट किया, ये नये बच्चे नहीं जानते। आप मुझे शिक्षा के प्रति योगदान के बारे में मत बताईये, जो नहीं जानते, आप उनको बताना।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपने क्या किया? मैं अभी बताऊं?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो किया हो। आप इधर-उधर नहीं, विषय में बात करिये।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- इतना बड़ा कारोबार है कि मत पूछिये। कई जगह मामले चल रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मामले चलें, उससे क्या है? ये कौन सा विषय है? क्या आप विधेयक पर बोल रहे हैं? मैंने सोचा कि आप विधेयक पर बोल रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप दवाई तो खाना नहीं भूले हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में कोई शिक्षाविद् नहीं आएगा। जिस दुर्ग विश्वविद्यालय के कुलपति को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया। मैं तो एक लाईन बोलूंगा कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी उसके एकेडमिक ट्रेक रिकॉर्ड को देखिये, कितना शानदार है? आपकी जो प्रमुख सचिव हैं, वह बहुत अच्छे से जानती हैं और बहुत अच्छा काम करती है। उच्च शिक्षा में उनके अनुभव है, उनका लाभ लीजिए। ये सामने बैठे हैं। जब पहला शासन बना तो पहला यूनिवर्सिटी लेजिसलेट किया और इनसे पूछिये, ये विशेष सचिव क्यों बनाया जा रहा है? आप उसमें अवधि डाल सकते हैं कि इतने दिन में नहीं मिला तो उसके कार्यकाल में विस्तार दिया जायेगा। लेकिन ये विधेयक के माध्यम से इससे खतरनाक तो दूसरा वाला एक और आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जितना विरोध किया जाये, वह कम है। मैं फिर से इस बात को कहूंगा कि वही बात को लागू करने के लिए कि 200 लोगों को पास करिये और मुझे शाम तक सूचित करिये, नहीं तो अपमानित होकर इस्तीफा दीजिये। इन संस्थाओं में फर्जी तौर तरीके अपनाकर, छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य को खराब करने, उसको व्यावसायिक बनाने, धंधा करने के लिए ये लगातार संशोधन लाकर, उसकी शिक्षा, संस्था की आत्मा को, उन महान लोगों ने जो इस संस्था की परिकल्पना की, उसको नष्ट करने का सिर्फ और सिर्फ षडयंत्र है। मैं और मेरा दल इसका घोर विरोध करता है। मैं अपने दोनों-तीनों के बाद माननीय महामहिम से मिलूंगा और ये कहूंगा कि इसको स्टैण्ड देने से रोका जाये, ये छत्तीसगढ़ के शिक्षा के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसका पुरजोर विरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। शैलेष पांडे जी।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शैलेष पांडे (बिलासपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा उच्च शिक्षा हेतु प्रस्तुत पंडित सुंदर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2019 का समर्थन करता हूं। मैं इसलिए समर्थन करता हूं इससे शिक्षा की जो गुणवत्ता है, किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर कुलपति की नियुक्ति एक सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। विश्वविद्यालय एक आटोनॉमिक बाडी होती है और उसके संचालन की व्यवस्था कुलपति करता है और कुलपति ही उसको संचालित करता है। ऐसी परिस्थितियों में कुलपति की नियुक्ति को लेकर यू.जी.सी. की गाईडलाईन है, उसमें वाईस चांसलर की जो योग्यता होनी चाहिए, उसके समकक्ष और भी योग्यता डिफाईन की गई है कि उसको इंडस्ट्रीयल अनुभव भी होना चाहिए, यह जरूरी नहीं है कि वह कालेज का प्रोफेसर हो। तीसरा उसमें साइंटिफिक अनुभव की भी गणना होती है, यह जरूरी नहीं है कि वह प्रोफेसर ही हो। कुलपति एक वैज्ञानिक भी हो सकता है, एक इंडस्ट्रीयल अनुभव वाला व्यक्ति भी हो सकता है और एक शिक्षा के क्षेत्र का व्यक्ति भी हो सकता है। यह समस्त चीजें यू.जी.सी. की गाईडलाईन में दी हुई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुरानी सरकार के किये हुए कामों में नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी यहां पर बिलासपुर के महाविद्यालयों के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने दुर्भावनापूर्वक बिलासपुर के जो महाविद्यालय थे, उसमें उनकी स्वायत्तता खत्म करने के लिए एक प्रशासक बिठाने के लिए उनसे दुश्मनियॉ निकालने के लिए वहां पर जांच करवाते थे और बिलासपुर के महाविद्यालयों, निजी महाविद्यालयों को जो 60-70 साल पुराने हैं, उनको परेशान किया जाता था। आज हमारी सरकार को बने हुए 6 महीने हो गये हैं, आज कम से कम यह काम तो नहीं किया है। मैं यह नहीं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता ऐसे हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे जरूर थे जो बिलासपुर में बदमाशी करते थे और संस्थाओं को परेशान करने का काम करते थे। हमारी सरकार ने आज जो यहां पर विधेयक में संशोधन लाई है, मैं उसका समर्थन करता हूं। कुलपति की नियुक्ति राज्य शासन के अनुसार होती है और राज्यपाल महोदया के द्वारा नियुक्ति की जाती है। मैं इसका पूरा-पूरा समर्थन करता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कुलपति वगैरह की नियुक्ति के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक पेश किया है। बाकी विश्वविद्यालयों में ये नियम लागू है या नहीं है और यदि नहीं है तो क्या यही नियम उनके लिए भी लागू करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, ये एक शैक्षणिक संस्था है और शैक्षणिक संस्था में किसी शिक्षाविद की नियुक्ति होनी चाहिए, इस बात से किसी को कोई इंकार नहीं है। लेकिन एक मसला बार-बार आता है, कभी-कभी राजभवन और राज्य सरकार में टकराव की स्थिति आती है। आपके इस विधेयक से कहीं ऐसा न हो कि अभी छत्तीसगढ़ में पहली बार नई राज्यपाल की नियुक्ति मिली है, सरकार इसमें 2, 4, 6 महीने तक, इसमें कोई अवधि तो है नहीं, तब तक के लिए जब तक की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

राज्यपाल से वहां पर कुलपति की नियुक्ति नहीं हो, तब तक आप अपने किसी पसंदीदा अफसर को या उस समकक्ष अधिकारी को नियुक्त कर देंगे। इसका कोई स्पष्ट पैमाना रखिये कि कौन किस-किस स्तर के, किस-किस योग्यता के व्यक्ति को आप नियुक्ति करेंगे। अभी आबकारी विभाग में कोई एडिश्नल मैनेजिंग डायरेक्टर कोई पंडित जी बी.एस.एन.एल. के कर्मचारी हैं, यहां बैठकर रोज करोड़ों रुपये के वारा-न्यारा कर रहे हैं। रोज वसूली कर रहे हैं, शराब का हिसाब-किताब देख रहे हैं। अगर इस टाईप के लोगों को इसमें नियुक्ति करेंगे तो ये शिक्षा संस्थान रसातल में चला जायेगा। वैसे भी हमारे प्रदेश का शिक्षा का स्तर दूसरे प्रदेशों की तुलना में बहुत कम है। अध्यक्ष महोदय, अखाड़े बने हुए हैं, विश्वविद्यालय में अखाड़ेबाजी हो रही है। चाहे कोई भी विश्वविद्यालय हो, गुटबाजी है। कुछ लोग गुट बनाकर किसी प्रोफेसर, कुलपति को तंग करेंगे, कहीं कुलसचिव एक गुट में हो जाता है और वह दुनिया भर की परेशानियां, पेचीदगियॉ पैदा करते हैं। हमने आपकी इस मंशा को सरल भाषा में पढ़ा है उसमें यह समझ रहे हैं कि आप विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिये बनाना चाहते हैं लेकिन इसका अगर दूरगामी उद्देश्य बहुत गलत होगा तो यह निर्णय बहुत घातक होगा इसलिये कृपा करके आप सदन को इस बात से आश्वस्त करायें कि राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच में इन शिक्षण संस्थाओं को इस कानून के माध्यम से आप अखाड़ा नहीं बनने देंगे और आप किसी आबकारी के उस अफसर के समान जो दिनभर शराब की बाटलें गिनकर के ऊपर का उचन्ती हिसाब करके और कहां-कहां बांटता है इस टाईप के अफसरों की वहां पर नियुक्ति नहीं करेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- विशेष सचिव लेवल का कोई भी उचन्ती वाला नियुक्त हो सकता है । उसका कोई सी.आर. नहीं देखा जायेगा कि कौन सा अच्छा है या कौन सा बुरा है । विशेष सचिव लेवल का होना चाहिए । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- श्री चंद्राकर जी, आप चिंता मत करिये । आप जैसी नियुक्ति करते थे वैसी नियुक्ति नहीं होगी । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- श्री बृहस्पत जी, इस विधेयक पर बोलने के लिये आपको या किसी को भी हमने मना नहीं किया है । (व्यवधान)

श्री देवेंद्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने एक विचारधारा को विश्वविद्यालय में थोपने का प्रयास किया है, एक विचार को विश्वविद्यालय में थोपने का प्रयास किया । पूर्व की सरकारों ने केवल संघवाद को बढ़ावा देने के लिये ऐसे कुलपतियों को नियुक्त किया जो वैचारिक रूप से बच्चों के बीच में अपने विचार को देने का प्रयास करते थे, वह गलत था । (व्यवधान)

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बार-बार यह बात आती है कि हम जब भी कोई बोलने के लिये खड़े होते हैं तो उसमें यही बात आती है कि पूर्व की सरकार, मैं कहता हूं कि आप 2-4 एस.आई.टी. और बना लीजिये न किसने मना किया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप रोज एस.आई.टी. बनाईये न ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप रोज एस.आई.टी. बनाईये न । पूरी पुलिस को एस.आई.टी. में लगा दीजिये, आपको कौन मना कर रहा है ? क्या आपको कोई मना कर रहा है ? आपने क्या किया उसको बताईये । 6 महीने में आप तो कुछ कर नहीं पाये । आप अगर कुछ कर पाये हैं तो उसको बताईये न । (व्यवधान)

श्री देवेंद्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं गलत है । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- श्री धर्मजीत भैया, आप बहुत सम्मानित सदस्य हैं, आप बोलिये । आपका स्वागत है । (व्यवधान)

श्री देवेंद्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि सम्माननीय सदस्य हम लोगों से नाम साझा करें और साझा करें जिस तरीके से वे आरोप लगा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- श्री धर्मजीत सिंह जी आप जो बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं लेकिन 15 साल तक....(व्यवधान)

श्री देवेंद्र यादव :- यदि वे बोल रहे हैं तो उसको साझा करें न । अगर उनके पास है तो पटल पर रखें । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- 15 साल तक रहे और अब उंगली उठा रहे हैं तो वह शोभा नहीं देता । (व्यवधान)

श्री देवेंद्र यादव :- तथ्यहीन आरोप और औचित्यहीन बात । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये बोल रहा हूं आप स्वयं भोपाल में....।

श्री मोहन मरकाम :- इधर विपक्ष में बदलापुर-बदलापुर की बात क्यों आती है? अगर सहन करने की इतनी ही हिम्मत है तो फिर बदलापुर की बात क्यों आ रही है? अगर आपमें हिम्मत है तो उसका सामना करिये न । आप बदलापुर की बात क्यों करते हैं ?

श्री धर्मजीत सिंह :- जब आप एस.आई.टी. बनाओगे तब तो सामना करेंगे न। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- हमने तो एस.आई.टी. बनायी है न । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- देखिये सामना सब कर रहे हैं । आप एस.आई.टी. बनाईये तब सामना होगा । जितना बन चुका है उसका सामना हो रहा है, हम उसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं । माननीय अध्यक्ष

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जी प्रश्न यह है कि आप भी भोपाल में पढ़े हैं, इनमें बहुत से लोग स्वयं श्री उमेश पटेल जी और इनके बड़े भाई तो दिल्ली में भी पढ़ते थे वहां का जो स्तर है हमको उस स्तर में पहुंचना चाहिए क्योंकि यह एक सामान्य सा संशोधन नहीं है । यहां के शिक्षा व्यवस्था के रीढ़ की हड्डी है । ऐसी व्यवस्था करिये जिसमें कोई हल्का आदमी इस कानून के माध्यम से वहां पर मत बैठे । अगर कोई बैठे तो लोग उसको सम्मान दें और कोई किसी का निजी सेवक हो, अगर कोई किसी का बहुत प्रिय पात्र हो और अगर वह बहुत अक्षम हो । अभी समय नहीं है वरना मैं आपको अकबर और बीरबल के बारे में एक किस्सा सुना देता तो उसमें फिर पूरी बात स्पष्ट हो जाती । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- अभी रहने दीजिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब यह है कि माननीय राज्यपाल और सरकार के बीच में इस कानून से कोई तनाव पैदा न हो । आप शिक्षाविदों को सम्मान देने के लिये माननीय राज्यपाल और सरकार सहमत होकर के काम करे और इस कानून से आपको जो अधिकार मिलेगा उसका आप दुरूपयोग मत करियेगा, आप होनहार युवा मंत्री हैं, आपका पूरा भविष्य है, आपकी छवि अच्छी है, आप एक बहुत अच्छे परिवार के बहुत होनहार पुत्र हैं । आप सम्माननीय पिता के एक होनहार पुत्र हैं, हमको आपके ऊपर भरोसा है । आप एक यशस्वी पिता के यशस्वी संतान हैं लेकिन हमको यह डर लगता है कि दबाव की राजनीति में आपके पैर कहीं मत डगमगाएं इसलिये आप इस कानून का छात्रों के हित में उपयोग करियेगा । इसे अपने किसी नेता को खुश करने के लिये निजी हित में उपयोग न हो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम आदरणीय अजय चंद्राकर जी, आदरणीय धर्मजीत भैया, आदरणीय शैलेष पाण्डेय जी को धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने इस विधेयक की चर्चा में भाग लिया । सरकार की तरफ से जो जवाब आ रहा है और यदि आपने प्रश्न उठाया है तो मुझे लगता है कि मैं जो जवाब दे रहा हूं अगर आप उसे सुनें तो अच्छा रहेगा ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्री धर्मजीत जी ने प्रश्न उठाया है कि इससे कहीं महामहिम राज्यपाल और सरकार के बीच में तनाव तो नहीं बढ़ जायेगा ? मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो यह कुलपति पूरे समय के लिये है उसके लिये यह विधेयक है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो कुलपति पूरे समय के लिए है, उसके लिए यह संशोधन नहीं आया है । यह सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पर यदि किसी कुलपति की मृत्यु हो जाए या वह स्वयं इस्तीफा दे दे या धारा 52 के तहत हटा दिया जाए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, मैं वही कह रहा हूं कि जब दिल्ली में सरकार बदली तो कई

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

राज्यपालों से इस्तीफे ले लिए गए । उनको किसी ने हंटर नहीं मारा । इस्तीफा मांगने का तरीका होता है । आपकी सरकार में भी कई के इस्तीफे लिए गए हैं । आप कृपा करके शैक्षणिक संस्थाओं को राजनीतिक चश्मे से न देखकर, गुणदोष के आधार पर फैसले लीजिएगा, केवल इतना ही कहना है ।

श्री उमेश पटेल :- इस संशोधन के माध्यम से जो बदलाव हो रहा है, वह 6 महीने के लिए आने वाले कुलपति के लिए है । जगह खाली होने के कारण जो 6 महीने के लिए कुलपति बनाया जाएगा, उसके लिए यह विधोयक लाया गया है । यह विधेयक ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय ।

श्री उमेश पटेल :- भइया मैंने आपको टोका नहीं है । आप मेरी बात सुन लीजिए आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आ जाएगा ।

श्री बृहस्पत सिंह :- जिस तरह से आप कुलपति नियुक्त करते थे, वैसा कुलपति नियुक्त करने के लिए नहीं है । सुन तो लीजिए । आपने बोला है तो मंत्री जी का जवाब भी सुन लीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप मेरी बात सुन लीजिए, जवाब में शामिल कर लीजिएगा । खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के कुलपति का कार्यकाल खत्म हो चुका है, वह अभी भी काम कर रही है तो इस पीरियड को क्या माना जाए, आप जो नियम कानून ला रहे हैं उसमें ? वह कब तक कैसे होगा, इस बारे में भी थोड़ा बताएं । प्रावधान में उसका उल्लेख है या नहीं ?

श्री उमेश पटेल :- मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि कुलपति जब हटते हैं तो मृत्यु के कारण या उनके द्वारा इस्तीफा दिए जाने के कारण या किसी अन्य कारण से । वह जो 6 महीने का पीरियड होता है उसमें कुलपति को टेम्परेरी बेसिस पर नियुक्त करना है उसके लिए यह विधेयक है । जो मुख्य कुलपति होगा, उसके चयन की प्रक्रिया अभी भी वैसी ही है । उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, उसका चयन, समिति करेगी । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह भी प्रश्न उठाया कि इससे तनाव की स्थिति बनेगी । अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि तनाव की स्थिति न बने, इसीलिए यह विधेयक लाया जा रहा है । पहले कई जगह तनाव की स्थिति बनी है, मैं इनके कार्यकाल का एक उदाहरण देता हूं । इन्होंने सरगुजा यूनिवर्सिटी के वी.सी. को हटाया, इस्तीफा लिया, आपने जिस भी आधार पर लिया हो । इन्होंने सरगुजा युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हटा दिया । हटाने के बाद क्या किया ? बिना कानून को बदले, राज्यपाल से, जिसके बारे में यह बोल रहे हैं स्पेशल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को इन्होंने बैठाया । बिना कानून को बदले (शेम-शेम की आवाज) राज्यपाल जी के द्वारा बिना कानून बने हुए, यह कार्य करवाया । हम नहीं चाहते कि इस तरह की स्थित पैदा हो । तनाव की स्थिति न हो इसलिए विधेयक में बदलाव किया जा रहा है । आप भी जानते हैं, सभी माननीय सदस्य अवगत होंगे किसी भी शैक्षणिक संस्थान में स्थान को खाली छोड़ना बहुत मुश्किल चीज है । कई बार ऐसी स्थिति बनती है

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

और विधेयक में हम जो संशोधन कर रहे हैं, उसमें हमने किसी क्राइटेरिया को नहीं बदला है । हमने एक लाईन जोड़ी है, स्पेशल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को भी दिया जा सकता है । लेकिन जो क्राइटेरिया ऊपर में है उसमें कहीं बदलाव नहीं है । केवल एक लाइन जोड़ी गई है कि इनके अलावा, इनको भी किया जा सकता है । इसका मतलब यह नहीं है कि केवल स्पेशल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को ही दिया जा सकता है । एक ऑप्शन एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं । हम किसी को कम नहीं कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य अजय चन्द्राकर जी ने जो प्रश्न उठाया, हमने पिछले बजट सत्र में भी यह लाया था, उस समय भी आपने यही प्रश्न उठाया था । मैं यह कहना चाह रहा हूं कि इसका हम दुरूपयोग नहीं करेंगे और न ही होगा । इसमें केवल ऑप्शन बढ़ाने की बात कही गई है । किसी तरह से किसी के अधिकार को कम करने की बात नहीं है और न ही हम किसी शिक्षाविद् के अधिकार को कम कर रहे हैं । सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बढ़ा रहे हैं ताकि किसी गंभीर परिस्थिति में हमारे पास कोई न कोई उपलब्ध हो, जिसे हम टेम्परेरी बेसिस पर वाइस चांसलर बना सकें । पद को खाली न रखा जाए । इसलिए यह बदलाव लाया जा रहा है । इसके पीछे कोई गलत मकसद नहीं है और न ही किसी तरह का संशय है । न ही किसी शिक्षाविद् का अधिकार कम हो रहा है । सिर्फ एक ऑप्शन बढ़ाया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, कई बार ऐसी परिस्थिति बनी है, जब इस तरह के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है । अब हम इस संशोधन के माध्यम से इसको लेजिमेट कर रहे हैं । इस कानून के तहत करने में राज्यपाल जी को भी कोई समस्या न हो, इसलिए यह संशोधन लाया जा रहा है । मैं सभी सदस्यों से यही आग्रह करूंगा कि इसके अलावा दो और संशोधन है ये भी इसी से रिलेटेड है । धर्मजीत भइया ने यह प्रश्न उठाया कि बाकी यूनिवर्सिटी में क्या होगा। हमने बजट सत्र में एक संशोधन लाया था, जिसमें हमारे जो जनरल यूनिवर्सिटी हैं, वे सारे कवर हो गये और जो अभी के यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) यूनिवर्सिटी है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता यूनिवर्सिटी है और इंदिरा कला विश्वविद्यालय है। इस तरह से यही अमेंडमेंट हम सारी जगह कर रहे हैं, ताकि एक ही टाइप के सारे कानून हो जायें। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि सर्वसम्मति से इसे पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पंडित सुंदर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पंडित सुंदर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि पंडित सुंदर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) पारित किया जाये। मंत्री जी कुछ और कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पंडित सुंदर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(4) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 12 सन् 2019)

अध्यक्ष महोदय :- उमेश पटेल जी। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 12 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 12 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिना पुकारे ही खड़े हो जाउं मैं।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- बिना पुकारे सिर्फ आप ही खड़े होंगे कि और किसी को मौका देंगे। खड़े हो जाइए अजय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय चौबे जी, माननीय अकबर साहब, आप दोनों को समर्पित। उमेश जी को तो है ही। अध्यक्ष महोदय, आज का दिन छत्तीसगढ़ के शिक्षा के इतिहास का काला दिन है। यह इतिहास में याद रखा जायेगा। अभी तक एक तर्क आया कि किसी समय में भाजपा के शासन में इसे हटाया गया, इसलिए हमने इसे जोड़ा। यह तर्क है। चार विशेष सचिव स्तर के..।

श्री बृहस्पत सिंह :- काला दिन शब्द ठीक नहीं है। काला दिन शब्द विलोपित किया जाए कि यह पूरे प्रदेश के लिए काला दिन है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नीला अध्याय है लिख लीजिए। लाल अध्याय है लिख लीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- क्योंकि इनकी बातों से इनके दल के लोग ही सहमत नहीं हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- काला कहीं पर भी असंसदीय नहीं है भैया। सूची पढ़ लो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय धरम भैया। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे साथियों ने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन करने का आवेदन भी लगाया है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- अगर इस पर आवेदन आया है तो इस पर विचार करना चाहिए आदरणीय।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता जगत में...।

श्री अमरजीत भगत :- एक मिनट-एक मिनट। चन्द्राकर जी को ऐसा क्यों लगता है कि आप ही को पूरी जानकारी है। बाकी लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- आजकल मैं आपसे भी हाथ जोड़ूंगा भैया। पहले इन्हीं से जोड़ता था। दोनों बैठे हैं न केवल उन्हीं को बस समर्पित करूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- अमरजीत जी, जरा बृहस्पत जी से पूछ लो कि किस विषय पर चर्चा हो रही है? जरा बता दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- वैसे भी आज गुरूवार है।

श्री बृहस्पत सिंह :- बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ा रहा है कि 15 सदस्यों का मुंह बंद करके अकेले चन्द्राकर जी बोले। कोई भी इनसे सहमत नहीं है। स्वयं शेष सदस्य इनकी बातों से सहमत नहीं है।

डॉ0(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि व्यवस्था में कोई सुधार किया जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है, तो इसको काला दिन न कहा जाए, यह गलत है।

श्री अजय चन्द्राकर :- बहुत अच्छा, अध्यक्ष जी की जो मर्जी होगी, वह कर लेंगे।

असम्पादित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- ओ हर तोर ले ज्यादा पढ़े हावय, प्रोफेसर हावय। अउ पी0एच0डी0 करे हावय।

श्री अजय चन्द्राकर :- बहुत सुन्दर। लेकिन आप जो करने जा रहे हैं, उसको सुनियेगा।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ऊंगली दिखाकर बात करने की प्रथा बंद करवाईये, यह मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। ऊंगली दिखाकर जो बात की जाती है।

अध्यक्ष महोदय :- विचलित मत होईये।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, डराने का प्रयास किया जाता है। हम नये लोगों को चिल्लाकर डराने का प्रयास किया जाता है। मेरा निवेदन है कि हम लोगों को सरंक्षण दिया जाये।

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है कि कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, बता देता हूँ। कुछ होही तो बताबे।

अध्यक्ष महोदय :- जब इस पर विचार के लिए कुछ आयेगा तो विचार व्यक्त करेंगे न।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 यूनिवर्सिटी में विशेष सचिव लेवल के अधिकारी नियुक्त किए गए। उसके पीछे मुख्य तर्क आया कि एक बार सरगुजा में बी0जे0पी0 के .....।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी..।

अध्यक्ष महोदय :- डिस्टर्ब मत कीजिये, प्लीज।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों का स्थान निर्धारित रहता है। ये बाहर निकलकर ऐसा भाषण देते हैं। थोड़ा, जो जगह निर्धारित है, उसी जगह पर दें।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जितना डिस्टर्ब कर लें, मैं विषय से हटने वाला नहीं हूँ। आप गलत आदमी के साथ गलत प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये गलत आदमी हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि किसी परिस्थिति में वह लाया गया होगा।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय चन्द्राकर जी आपने स्वीकार कर लिया कि आप गलत आदमी हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि गलत है, उन्होंने गलत किया, वह तर्क के साथ ला रहे हैं, यह आपने कहा। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नया विषय है। इसमें क्या तर्क आयेंगे, मैं जरूर सुनना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रं. 24 सन् 2004) में धारा 11 के उप धारा (a) में, शब्द " एक पत्रकारिता के क्षेत्र के विद्यान", माननीय अध्यक्ष महोदय, आगे बहुत सुनने लायक है, के स्थान पर चिन्ह एवं शब्द " एक व्यवसायिक व्यक्ति"

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

एक व्यवसायिक व्यक्ति, मैं इस पर स्ट्रेस करके बोल रहा हूँ, आगे और सुनियेगा। जो या तो पत्रकारिता अथवा संचार मीडिया क्षेत्र की शाखा से हो, जिसके पास सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर में 20 वर्ष का अनुभव हो" प्रतिस्थापित किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आश्चर्यजनक है, बहुत ही आश्चर्यजनक है। यानि मेरे पास आलोचना के शब्द नहीं हैं कि एक एकेडेमिक आदमी के स्थान पर एक व्यवसायिक आदमी की नियुक्ति की जाये, यह हिन्दुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी में, देश में 6-7 सौ यूनिवर्सिटी होगी, उसके किसी भी अधिनियम में ऐसा नहीं है कि व्यवसायिक व्यक्ति की नियुक्ति की जाये। मैं तो हाथ जोड़कर माननीय चौबे जी से आग्रह करूंगा, मैं नाम बता देता हूँ।

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- आप पत्रकार लोगों को व्यवसायी क्यों बोल रहे हो ? पत्रकार लोग व्यवसायी हैं क्या ?

श्री शैलेष पाण्डेय :- यहां पर व्यवसायिक का मतलब प्रोफेसनल है। इसका मतलब धंधेबाज नहीं हैं। प्रोफेसनल हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसका मतलब, आप जैसे विद्वान हैं।

श्री शैलेष पाण्डेय :- आपके कार्यकाल में तो आपने अपने पी0ए0 को कुलसचिव बनाने का शुरू किया था। आप क्या बात कर रहे हैं ? (मेजों की थपथपाहट) (शेम-शेम की आवाजें)

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने मेरे कार्यकाल में शिक्षा में क्या किया, मैं चुनौती देता हूँ, मेरे कार्यकाल के सभी शिक्षा के विषयों पर चर्चा लगा लीजिये। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी यूनिवर्सिटी में एकेडेमिक शब्द को विद्वान शब्द को हटाकर किसी भी स्तर के व्यवसायिक व्यक्ति को कुलपति रखा जाये, यह हिन्दुस्तान के किसी भी शासकीय विश्वविद्यालय के अधिनियम में नहीं है। माननीय चौबे जी, आप पहले बार की बात सुन लीजिये, जिस दिशा में आप बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिस समय प्रायवेट यूनिवर्सिटी कोलेप्स हुई, यानि उसके अधिनियम को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त किया, दो लाख से ज्यादा बच्चे थे, पाण्डेय जी बहुत ऊंचे स्वर में बोल रहे हैं, क्या हुआ था, मैं उसको जानता हूँ। उन बच्चों को नियोजित करने में, उनका भविष्य खराब मत हो, फिर नया अधिनियम, यह गौरव है कि वह अधिनियम छत्तीसगढ़ से निकलकर पूरे देश में गया। यदि वह मूल अधिनियम छत्तीसगढ़ से निकला, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाश में पूरे देश में अधिनियमत हुआ, वह यहां का अधिनियम था। लेकिन अब उससे आगे स्थिति बिगड़ रही है कि अब यूनिवर्सिटी लीज में दी जायेगी, व्यक्ति या संस्था का मतलब यह है। इसकी आऊटसोर्सिंग होगी। मैं फिर से आरोप लगा रहा हूँ कि ये किस व्यक्ति को दिया जायेगा, मैं यह भी जानता हूँ। इसलिए यह अधिनियम लाया गया है। मैं इस बात

असंशोधित/मुद्रण हेतु नहीं

की कड़ी आलोचना करता हूँ कि एकेडेमिक के स्थान पर व्यवसायिक व्यक्ति जोड़ा जा रहा है, एक आदमी के लिए यह यह संशोधन अधिनियम लाया जा रहा है। इस संस्थान को बचाना चाहिए ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष जी, प्रेस से जुड़े हुए लोगों का अपमान है, इस तरह का काम मत करो भाई ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आपको हस्तक्षेप करना चाहिए, इस सदन के सामने मैं चिन्ता व्यक्त करता हूं । मैं फिर से यह बात कह रहा हूं कि इस अधिनियम के पारित होने के बाद इस संस्था का स्वरूप क्या होगा, उसको आप देखिएगा और इसकी जितनी आलोचना की जाये, वह कम है । मैं शासन से विनयपूर्वक आग्रह करता हूं कि विद्वान व्यक्ति की जगह में चाहे वह 20 साल का व्यवसायिक हो, 2 दिन का व्यवसायिक हो या एक घंटे का व्यवसायिक हो, व्यावसायिक आदमी को लाना ही नहीं चाहिए । जो अधिनियम है, उसको एज इट इज रखी जाये, इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री किस्मत लाल नंद (सराईपाली) :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन), विधेयक, 2019 का समर्थन करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अंतर्गत प्रदेश में पांच विश्वविद्यालय पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, अटल बिहारी वाजयेपी विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में संचालित हैं । प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय जैसे कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, पंडित सुन्दर लाल शर्मा, (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर हेतु पृथक-पृथक अधिनियम के अंतर्गत संचालित हैं । प्रदेश में संचालित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ एवं संगीत के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने वाला भारत का एक मात्र और सबसे पुराना विश्वविद्यालय है । इसका कार्यक्षेत्र पूरे देश में है और संगीत और कला के क्षेत्र में पूरे हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध है ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय पर चर्चा हो रही है । इसलिए कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय पर आप बात करें ।

श्री किस्मत लाल नंद :- अध्यक्ष महोदय, मैं इस अधिनियम का समर्थन करता हूं ।

श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी ने जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, इसमें दो संशोधन है । पहला, चूंकि उप कुलपति का जो पद है,

असंपादित/मुद्रण हेतु नहीं

उसकी परिभाषा कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में बहुत ही छोटी परिभाषा थी । मतलब उसमें किन व्यक्तियों को आना है, उप कुलपति जैसे पद पर कौन पहुंच सकता है, उसकी परिभाषा बहुत स्पष्ट नहीं थी तो निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयोग हुआ है कि स्पेसिफिक करने का प्रयास किया गया कि किन-किन वर्ग के लोग इस विश्विद्यालय में उप कुलपति बन सकते हैं और मुझे लगता है कि जो व्यवसायिक शब्द है, चूंकि आजकल सारे ड्राफ्ट अंग्रेजी में बनते हैं तो प्रोफेसनल के हिसाब से जोड़ा गया होगा कि किसी प्रोफेसनल व्यक्ति को, जो जानकार है....।

अध्यक्ष महोदय :- क्या आपको इस बात की जानकारी है कि व्यवसायिक व्यक्ति का क्या अर्थ है, अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है ? आप बताएंगे ।

श्री देवव्रत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी की भाषा से यदि हम उसको रूपांतरण करेंगे तो वह प्रोफेसनल मतलब व्यावसायिक दोनों में अंतर है। प्रोफेसनल का मतलब प्रोफेसनल होता है ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, प्रोफेसनल ही है ।

श्री देवव्रत सिंह:- अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से मंत्री जी का ये उद्देश्य रहा होगा, लेकिन उसके बाद भी मैं दो बातें कहना चाहूंगा कि जब हम विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं तो जैसे दूसरे विश्वविद्यालयों में उप कुलपति की नियुक्ति के लिए कुछ मापदण्ड होते हैं तो जब हम पत्रकारिता विश्वविद्यालय का संशोधन विधेयक ला रहे हैं और जब उसकी मापदण्ड देख रहे हैं कि क्या-क्या अहर्ताएं होनी चाहिए तो उसमें कम से कम ये बात होनी चाहिए कि जिन लोगों ने बेचलर्स की या मास्टर्स की डिग्री जर्नलिज्म में की है, मॉस कम्यूनिकेशन में की है, ऐसे लोगों को लिये जाने का प्रावधान इस संशोधन विधेयक में होना था, उसको जुड़ना था क्योंकि यदि हम 20 वर्ष का मानते हैं तो 20 वर्ष के अनुभव में यदि मास्टर्स और बेचलर्स की डिग्री पत्रकारिता में या मॉस कम्यूनिकेशन में नहीं है तो उप कुलपति के रूप में अच्छा काम नहीं कर पाएंगे । निश्चित रूप से जो विद्वान शब्द था, विद्वान शब्द से बहुत सारे नए शब्द मंत्री जी ने जोड़ा है, एक अच्छी शुरूआत है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लंबे समय लोकसभा में रहे हैं, विधान सभा में भी हमारे बहुत सारे वरिष्ठ साथी बैठे हैं । पहले लोक सभा में और विधान सभा में जो पत्रकार होते थे, उनका एक्रीडिशन होता था और जो एक्रीडेट पत्रकार लोकसभा और विधान सभा की रिपोर्टिंग करते थे, उनको एक्रीडेट पत्रकार माना जाता था । मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जब हम पत्रकार को यहां परिभाषित कर रहे हैं, उसमें कम से कम 20 वर्षों में से 5 वर्षों का अनुभव लोक सभा और विधान सभा की रिपोर्टिंग और सार्वजनिक जीवन की रिपोर्टिंग का होना चाहिये, ताकि विश्वविद्यालय में अच्छे पत्रकार और अच्छे लोग यहां पहुंच सके । जैसा कि माननीय अजय चन्द्राकर जी के द्वारा सदन के समक्ष बातें लाई गई, यदि किसी प्रोफेशनल व्यक्ति को भी अगर लाना चाहें तो कोई बुराई नहीं है । एक अच्छा

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रोफेशनल व्यक्ति जो बड़े मीडिया ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, किसी राष्ट्रीय स्तर के समाचार समूह का मैनेजिंग एडिटर या प्रधान संपादक रहा हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है । वह बेहतर तरीके से विश्वविद्यालय को नये आयाम से चलायेगा, लेकिन उसमें उसकी कोई श्रेणी क्लियर हो जानी चाहिये ताकि यह स्पष्ट हो कि किस लेवल का व्यक्ति एक विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्य कर रहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह समझ में नहीं आया कि पिछली सरकार ने जब इसका नामकरण किया, कुछ लोगों ने अभी संशोधन की बात कही कि कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर क्यों रखा गया ? मैं समझता हूँ कि तत्कालीन सरकार की अपनी प्रतिबद्धतायें हैं, कुशाभाऊ ठाकरे जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरूष रहे, इसलिए नाम रखा गया, लेकिन अच्छा होता यदि माधवराव जी सप्रे के नाम से विश्वविद्यालय का नामकरण होता । इससे पत्रकारिता जगत में अच्छा मैसेज जाता । चूंकि नाम का संशोधन हो नहीं सकता, लेकिन इस विश्वविद्यालय को और मजबूत करने के लिए यह जो नियम लाया गया है, इसमें विशेष सचिव वाली बात जो अजय चन्द्राकर जी ने कही, सारे विश्वविद्यालय में विशेष सचिव जो वर्ड है, मुझे लगता है कि उचित नहीं है । मध्यप्रदेश में हम लोगों को याद है कि उच्च शिक्षा विभाग में जब उपकुलपति की मृत्यु हो जाती थी तो जो परिस्थितियां बनती थी, उसमें संभागीय कमिश्नर हुआ करते थे, उन्हें 6 महीने के लिए चार्ज मिलता था । यदि वैसी भी कोई व्यवस्था होती तो संभागीय स्तर का जो कमिश्नर होता है, वरिष्ठ अधिकारी होता है, एक गरिमा उस विश्वविद्यालय को प्राप्त होती । मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय में जो उपकुलपति होता है, एक बड़ा गरिमा का पद है । कभी-कभी विशेष सचिव के नाम पर हम किसी अधिकारी को वहां भेज दें, तो जो हमारे संकाय अध्यक्ष होते हैं, जिनकी 30-30 साल की सेवा होती है, उनका अपने काम करने का तरीका प्रभावित होता है । मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें आप संशोधन ले आये हैं, संशोधन पारित भी हो जायेगा, लेकिन इन बातों का ध्यान भी होना चाहिये कि उपकुलपति का चार्ज हम 6 महीने के लिए भी देते हैं तो प्रयास यह होना चाहिये कि संकाय अध्यक्ष जो वरिष्ठतम है, उनको ही दिया जाना चाहिये, जैसा कि एक नीति हुआ करती थी । यदि नहीं है तो अधिकारी में कम से कम संभागीय रैंक का कमिश्नर होना चाहिये । संशोधन तो आया है, आप जैसा करना चाहें, वैसा कर लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धन्यवाद । माननीय मंत्री जी, कुछ कहेंगे ।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अजय चन्द्राकर जी ने कहा कि व्यावसायी, इंग्लिश में उसे प्रोफेशनल कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि आप पहले से सारी चीजों को जानते हैं कि सरकार क्या करने वाली है ? चार महीने में किसको लाने वाली है ? सारी चीजों को आप जानते हैं । आपका वर्ष 2006 का मध्यप्रदेश का है यह विधेयक, आपकी ही पार्टी की सरकार थी, अगर उनके विधेयक को आप पढ़ेंगे तो उसमें शब्द है "Vice Chancellor shall be a professional a

असंशोधित/पुनरावलोकन के लिए नहीं

men from any branch of journalism and mass communication." यह मध्यप्रदेश के अमेंडमेंड में हैं । अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रोफेशनल शब्द का उपयोग किया गया है । प्रोफेशनल शब्द तो कहीं से भी आ सकता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें हम लोगों की कोशिश यह है कि सिर्फ एक विद्वान शब्द का प्रयोग किया गया था । उसको डिफाईन करते हुये एक पत्रकारिता जगत का 20 वर्ष का अनुभवी आदमी है, उसको लाया जाये, यह व्यवस्था इसमें लाई गई है । अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को असहमति होगी । यह अगर आप एक पक्ष को देखकर करेंगे, बाकी चीजों को नहीं देखेंगे तो आपको गलत लगेगा । मैं सदन को इतना विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इसके पीछे मंशा यही है कि पत्रकारिता जगत का कोई अनुभवी व्यक्ति इस पद पर बैठे और उसकी गरिमा को सुशोभित करे । धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2019 क्रमांक 12 सन 2019 पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक के अंग बने ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 12 सन् 2019) पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि - छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 12 सन् 2019) पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 12 सन् 2019) पारित किया जाए।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(5) इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 13 सन् 2019)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 13 सन् 2019) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 13 सन् 2019) पर विचार किया जाए।

(श्री अजय चन्द्राकर के बोलने हेतु खड़े होने पर)

अध्यक्ष महोदय :- आप अपनी तरफ से अकेले हैं क्या?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यह अकेले उस तरफ के विद्वान हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- वह भी व्यावसायिक विद्वान हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- इनके दल के लोग ही इनसे सहमत नहीं हैं इसलिए अकेले बोल रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करवाऊंगा कि इससे पहले दो विधेयक प्रस्तुत हुए, उसकी कंडिका (2) में लिखा है- जैसे कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में लिखा है कि इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। दूसरे विधेयक में भी यही लिखा है कि इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा। ये जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 आया है उसमें कंडिका (2) नहीं है कि इसका विस्तार कहां तक होगा। पहले तो माननीय मंत्री जी इस बात को क्लीयर कर दें कि इसका विस्तार कहां तक होगा, कैसे होगा, उसके बाद मैं आगे बोलूं कि देशभर के लिए है, प्रदेश के लिए है, राजनांदगांव जिले में विस्तार होगा या क्या होगा उसे क्लीयर कर दें या फिर इसकी जरूरत नहीं है यह बता दें तो फिर हम आगे बढ़े?

श्री उमेश पटेल:- पूरे छत्तीसगढ़ के लिए होगा।

श्री अजय चन्द्राकर:- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रिंट नहीं है, क्या इसको मेच्योर माना जायेगा? अध्यक्ष महोदय, इसमें आप व्यवस्था दीजिए कि ऐसा विधेयक प्रस्तुत हो सकता है क्या जिसके कार्यक्षेत्र का उल्लेख नहीं हो? यह आपका विषय है, उनके कहने का विषय नहीं है। आप उसको देख लीजिए, फिर उसमें चर्चा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप उसमें चर्चा कर लीजिए, बाद में देख लेते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर - बाद में नहीं, चूंकि ये विषय आ गया है तो इस विधेयक में यह उल्लेख नहीं है कि ये कहां के लिए प्रवृत्त होगा।

श्री बृहस्पत सिंह:- अध्यक्ष महोदय, कुछ पढ़ना भूल गये होंगे, शायद इसलिए।

श्री अजय चन्द्राकर:- आप विधेयक को देख लीजिए कि इसमें नहीं लिखा है कि ये विधेयक कहां पर प्रवृत्त होगा। छत्तीसगढ़ के लिए है, हिन्दुस्तान के लिए है या पूरे विश्व के लिए है, एक जिले के लिए है या एक विकासखंड के लिए है कहां के लिए है यह लिखा नहीं है। पहले के दोनों विधेयकों में यह लिखा है।

श्री उमेश पटेल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विश्वविद्यालय का एफीलियेशन कुछ आऊटसाईड स्टेट भी हैं तो ये वहां पर भी लागू होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब ये असली बात। उसके मूल अधिनियम को पहले रखा जाना चाहिए, यह मौखिक रूप से मान्य नहीं होगा। ये जिस समय बना, यहां माननीय देवव्रत सिंह जी बैठे हैं उनके परिवार ने इसको दिया। यह उस समय हिन्दुस्तान की एकमात्र यूनिवर्सिटी थी जिसके off campus और offshore campus होते थे। अभी भी इसके offshore campus और off campus हैं। तो कार्य क्षेत्र का विस्तार नहीं कर रहे हैं इस कारण नहीं है, मुख्य रूप से बात यह है कि आज तक किसी भी सरकार ने इसके मूल स्वरूप में छेड़छाड़ नहीं की और यह सब जानते हैं कि यह अधिनियम कहां तक प्रवृत्त है। उसके बाद भी इसके off campus और offshore campus की मान्यता रही है। ये इस विश्वविद्यालय की विशेषता रही है। ये पहली बार, यदि उसको तकनीकी रूप से लिया जाए तो तकनीकी रूप से फिर यह प्रवृत्त नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कार्यक्षेत्र का उल्लेख नहीं है। या फिर इनको लिखना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय के एक्ट में off campus या offshore campus भी मान्यता प्राप्त हैं। माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहिए कि मूल एक्ट की वस्तुस्थिति क्या है, उसके बाद हम उसमें आगे बढ़ते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बहुत जानकार हैं। आपको सब पता है। आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी...(हंसी)।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, चंद्राकर जी को पहली बार हंसी आ रही है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, क्या है, यह चीजें रविन्द्र भैय्या अभी आप लोगों को नहीं सीखायें है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। इस यूनिवर्सिटी की मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। यह अपने तरह की एक अद्वितीय यूनिवर्सिटी है। इसका मूल अधिनियम नियम जिस स्वरूप में जिससे पारित हुआ। मैं जहां पर सारी चीजें जानता हूं। इसलिए इस यूनिवर्सिटी में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

चाहिए। यह अपने तरह की छत्तीसगढ़ में विरासत है जिसमें हर आदमी गर्व करता है और संयोग से वह परिवार का सदस्य मौजूद है जिसको जब मैं हमेशा उल्लेख करता हूं तो बधाई देता हूं कि ऐसा घराना रहा है जिन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा काम किया जिसके लिए छत्तीसगढ़ पूरी दुनिया में जाना जाता है। मैं तो यह कहूंगा कि इसको मूल रूप में रहना चाहिए। कोई संशोधन लाने की जरूरत नहीं है। असली बात इसको लाने का कारण यह है कि इसमें कार्यकाल खत्म होने के बाद भी वहां कुलपति कार्यरत हैं। अब वह पिरीयड जिसमें कार्यकाल खत्म हो चुका है, उसमें वह काम कर रही है उसको क्या माना जायेगा। आपके पास बहुमत इतना अच्छा है कि आप विशेष सचिव ले आईये। उसमें कोई प्राब्लम नहीं है तो मेरा यही है कि उसको मूल रूप में रहने दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- कुंवर सिंह निषाद।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री अजय चंद्राकर साहब की मीटिंग में पहली बार इतनी हंसी आ रही है। इनको पहली बार सदन में हंसते देखा है।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की बात...।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आपको legislation समझ में आने लग गया।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की बात आई है...।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट भैय्या। आप 11 से 12 बजे तक रहते हो। उस वक्त को हंसने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, legislation समझ में आने लग गया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, नहीं-नहीं, उसका भी बता रहा हूं न तब ये आग का गोला बने रहते हैं। भैय्या जब से आप सचेतक बने हो तब से आप दिख रहे हो तो हंसी तो आप दोपहर को ही देखोगे न दिन में 11 बजे आपको हंसी नहीं दिख सकती। (हंसी)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की जब बात आई है तो मैं कला संस्कृति से जुड़ा हुआ हूं। एक बात रखना चाहूगा कि आज इसे एशिया का सबसे बड़ा संगीत विश्वविद्यालय माना जाता है। विदेश से भी यहां छात्र आते हैं और यहां विद्या के साथ-साथ कला का भी शिक्षा अर्जन करते हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना रियासत के 24 वें राजा महाराजा विरेन्द्र बहादुर सिंह तथा महारानी पद्मावती के द्वारा अपनी बिटिया महारानी राजकुमारी इंदिरा देवी के नाम पर उनके जन्मदिवस पर 14 अक्टूबर 1956 को निर्माण किया गया था। आज इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय मैं जानता हूं हिन्दुस्तान में बहुत से ऐसे होनहार, प्रतिभावान बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। उनको पता नहीं है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय नाम का

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कोई अस्तित्व है। वह यह जानते हैं कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जहां संगीत की पढ़ाई होती है। उसके पाठ्यक्रम के बारे में उसको जानकारी नहीं होती। आज स्कूल के पाठ्यक्रम में कक्षा 9 वीं से इसको शामिल किया गया है ताकि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के संपूर्ण इतिहास की जानकारी उन बच्चों को हो सके। विश्वविद्यालय संचालित विभिन्न पाठ्यक्रम जिसमें डिग्री और डिप्लोमा दिया जाता है। जैसे- चित्रकला, छापाकला, लोककला साहित्य तथा अन्य जो शुरू किये गये हैं। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा के बारे में भी यहां पर ज्ञान दिया जाता है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। यदि इसमें संशोधन की बात आई है, ऊर्जावान उच्च शिक्षा मंत्री, माननीय भाई उमेश पटेल जी के मैं इस विधेयक के संशोधन का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष जी, एक बात कहना चाहूंगा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 की धारा 12(क) उपधारा 4 में कुलपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, अवकाश, रूगण्ता या अन्यथा किसी भी कारण से रिक्त हो जाने की दशा में जिसमें अस्थायी रिक्त भी सम्मिलित है। कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालय किसी संकाय या संकाध्यक्ष या विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग का कोई वरिष्ठतम आचार्य को कुलपति के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान था। वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रावधानों को संशोधित कर इस प्रकार के रिक्तियों के समय कुलाधिपति द्वारा राज्य शासन की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय के किसी संकाय का संकाय अध्यक्ष या विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग का कोई वरिष्ठतम आचार्य कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा, जिसका की कोई कुलपति जो ऐसी रिक्त भरने के लिए धारा 12 की उपधारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया है। यथास्थिति अपना पद ग्रहण या पुन:पद ग्रहण नहीं कर लेता। परंतु इस उप धारा में अनुत्याग व्यवस्था 6 माह से अधिक की कालावधि के लिए जारी नहीं रहेगी, प्रतिस्थापित किया जाता है। अत: आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, मैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2019 का समर्थन करता हूँ।

श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के संबंध में जो संशोधन विधेयक रखा है। निश्चित रूप से ये समय में अनुरूप सही है, लेकिन यहां पर भी जो विशेष सचिव वाली बात आती है। पहले तो मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जो खैरागढ़ विश्वविद्यालय है।

श्री अजय चन्द्राकर :- विशेष सचिव बनायेंगे तो वह भी कत्थक सीख जाएगा, भांगड़ा सीख जायेगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- अब तो राजा साहब को बोलने दीजिए।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- यहां इस शासन के बहुमत में इतनी क्षमता है, वहां भी भांगड़ा सीख जाएंगे। बहुत सुंदर।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का जो एक्ट है मध्यप्रदेश में स्थिति ये हुई थी कि जो यूनिफाईड एक्ट, यूनिवर्सिटी एक्ट है उससे हमारा जो वर्ष 1956 का एक्ट है, वह अलग है और आज ये परेशानी है कि जो तकनीकी दृष्टि से परेशानी है, इस सत्र में वह विधेयक आना था, शायद अगले सत्र में आएगा। वहां पर उप कुलपति के लिए दो कार्यकाल ही निश्चित रहे हैं। एक उप कुलपति को केवल दो कार्यकाल मिलेंगे और 4-4 वर्ष के दो कार्यकाल उनको मिल चुके हैं। लेकिन परेशानी ये है कि वहां पर उप कुलपति का कार्यकाल ही 5 वर्ष का है उस विश्वविद्यालय में शुरू से उप कुलपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है तो इस साल तो उनको काम करना ही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात की ओर माननीय अजय चन्द्राकर जी इशारा कर रहे थे कि आज निश्चित रूप से खैरागढ़ में जितने छात्र पढ़ रहे हैं। लगभग-लगभग 1 हजार छात्र पढ़ रहे हैं जिसमें डेढ़-दो सौ विदेशी छात्र भी पढ़ रहे हैं। आपको वहां जाने का अवसर मिला, आप वहां उस विश्वविद्यालय में गये भी हैं। माननीय रविन्द्र चौबे, माननीय सत्यनारायण शर्मा जी का बड़ा योगदान रहा, लेकिन मेरा ऐसा समझना है कि आज उस विश्वविद्यालय में जितने छात्र छत्तीसगढ़ में पढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा इसकी शाखाएं पूरे देश भर में है। आज बंगलोर, चेन्नई, पूने, बाम्बे, दिल्ली इन सब जगह इनकी शाखाएं हैं। इनके एफिलेटेड कॉलेजेस हैं जहां छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं और उनकी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर उप कुलपति का प्रभाव पड़ता है। मेरा निवेदन है कि अभी कुलपति का कार्यकाल पूरा होगा, आप संशोधित करेंगे। फिर संशोधन लेकर आएंगे, वह एक अलग मुद्दा है लेकिन मेरा निवेदन है कि अगर आप सारे विश्वविद्यालय को एक यूनिफाईड एक्ट के तहत लाना चाहते हैं, सारे नियम करना चाहते हैं उसके लिए संशोधन आया है तो वह उचित है। पर फिर भी मेरा समझना है कि जो संकाय अध्यक्ष और डीन जो बना करते थे, कार्यकारी अध्यक्ष, वह एक अच्छी परम्परा थी। हम शासकीय स्तर पर संशोधन, सबको एक जैसे करने के लिए यूनिफाईड एक्ट आने के लिए कर रहे हैं तो वह अलग बात है। लेकिन वह एक अच्छी परम्परा थी कि जो वरिष्ठ, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में जो भी उप कुलपति बनता है, वह या तो देश का ख्यातिनाम कलाकार, पेंटर, म्यूजिशियन, डांसर होता है तो उससे उस विश्वविद्यालय की छवी बनती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत दिन तक लगातार कुलसचिव का पद भी खाली था, अब कुलसचिव का पद भरा गया है तो कम से कम उप कुलपति के लिए यदि आप इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि विशेष सचिव या कोई ऐसे व्यक्ति, किसी आई.ए.एस. अधिकारी को बनाना चाहते हैं तो हो सकता है कि फिर आपको कोई ऐसा व्यक्ति निकालना पड़ेगा जो 6 महीने के लिए भी बने लेकिन कम से कम संगीत और इस क्षेत्र में

असंशोधित/पुनरावलोकन के लिए नहीं

उसकी कोई जानकारी हो, अन्यथा वहां बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी बीच में पदस्थ हुए तो उस विश्वविद्यालय में बीच में बहुत सी गलत परम्पराएं चालू हो गई थीं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री जी, ये तो विशेषाधिकार रहेगा। संशोधन पारित भी हो जायेगा, यूनिफाईड एक्ट के तहत आ भी जायेगा। लेकिन यदि 6 महीने के लिए भी नियुक्ति होती है प्रयास यह होना चाहिए कि किसी वरिष्ठ संकाय अध्यक्ष के डीन की ही नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि विश्वविद्यालय का जो स्वरूप है, वह यथावत पूरे देश में बना रहे।

श्री अजय चन्द्राकर :- उमेश जी, आप इसी भर को वापस ले लीजिए। इसमें परिवर्तन मत करिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अजय चन्द्राकर जी, तीनों विधेयक पर बोलें। इनकी सारी चीजें एक काल्पनिक उसमें समझ में आ रही हैं। आप खैरागढ़ वाईस चांसलर का टर्न ओव्हर खत्म होने की बात कह रहे हैं, मई 2020 में उनका टर्न ओव्हर खत्म होगा। आप अपने हिसाब से बोल दे रहे हैं कि वह खत्म हो गया, इसको बदलने जा रहे हैं कोई नये आदमी को लाने जा रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। ये विधेयक जो पिछले बजट सत्र में हमने जो विधेयक लाया था, उसके ऊपर आया हुआ है, उसको एक्सटेन कर रहे हैं। एक यूनिफाईड एक्ट, जैसे राजा साहब ने कहा कि इस तरह की परिस्थितियां कई बार बन जाती हैं। उसको कहीं कोई समस्या मत आये आने वाले दिनों में कोई ऐसी स्थिति न बने, उसके लिए ये लाया जा रहा है। आप कई जगह ऐसा करते हुए आये हैं, कभी संशोधन किया नहीं, ये संशोधन लाया जा रहा है, इसमें बहुत ज्यादा चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय सदस्य जी को आश्वस्त करता हूं कि जहां तक हो सकेगा, जैसा आपने कहा, आपने जो सुझाव दिया है, उसी सुझाव के आधार पर ही वहां नियुक्ति की जायेगी। लेकिन ये विशेष परिस्थितियों में हैं। कोई गंभीर स्थिति ऐसी पैदा हो, जहां खाली रखना पड़ सकता है, उस के लिए यह लाने की जरूरत है। बाकी आपका सुझाव हमने नोट किया है, बिल्कुल उसी सुझाव के आधार पर काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 13 सन् 2019) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 13 सन् 2019) पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 13 सन् 2019) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 13 सन् 2019) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(6) छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 14 सन् 2019)

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 14 सन् 2019) पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 14 सन् 2019) पर विचार किया जाय।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमिहीन व्यक्ति को पट्टा देने के अधिनियम में भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किया जाये, इस विधेयक का मूलत: विषय यही है कि भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किया जाये। भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किया जाये, पर इसके साथ-साथ दो-तीन चीजें हैं। आपके प्रधानमंत्री आवास में भूमिहीन पट्टा वाले जा रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति नहीं मिल रही है, क्योंकि पट्टा की समस्या आ रही है। मैं आपकी भावना से सहमत हूं, इसीलिए बोल रहा हूं कि उसके आगे क्या हुआ। परन्तु पुराना जो 1984 के बाद का पट्टा है, वह पट्टा राजस्व रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। पटवारी रिकार्ड में घास की जमीन से पट्टा दिया गया है और 10

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

एकड़, 12 एकड़, 15 एकड़ घास की जमीन से पट्टा दिया गया है, वह घास की जमीन का संशोधन कहीं पर भी पटवारी रिकार्ड में नहीं है। पटवारी रिकार्ड के नक्शा का कहीं पर बटांकन नहीं किया गया है।

समय :

5:04 बजे **(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)**

माननीय सभापति महोदय, जहां पर पट्टा दिया गया है, आप संशोधन ला रहे हैं, अच्छी बात है, पर जहां पर पट्टा दिया गया है, वह पट्टा का निर्धारित नहीं है कि किस व्यक्ति को कितने एकड़ का, कितनी जगह का, कितने वर्गफुट का पट्टा दिया गया है। आप यहां संशोधन ले आईये, कोई बात नहीं है, जब तक राजस्व रिकार्ड में इस चीज का अभिलेख नहीं होगा और राजस्व रिकार्ड में बात नहीं सुधरेगी तो आपका जो मूल ध्येय है कि प्रधानमंत्री आवास में लोगों को जो समस्या आ रही है और नगरीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास में जो लोग इधर-उधर घूम रहे हैं उसका आशय पूरा नहीं होगा । आपको इसे राजस्व रिकॉर्ड में सुधारना पड़ेगा और राजस्व रिकॉर्ड के साथ-साथ....।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय सभापति जी, इन लोग 15 साल तक पट्टे नहीं दिये, हम लोग पट्टे दे रहे हैं तो ये बोल रहे हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- आदरणीय दादी जी, पट्टा आपकी सरकार ने भी दिया है और पट्टा पूर्ववर्ती सरकार ने भी दिया है । आपने आबादी का पट्टा दिया था और उस आबादी के पट्टे में माननीय मुख्यमंत्री जी जोगी जी के सरकार के समय में राजस्व मंत्री थे और राजस्व मंत्री जी के हिसाब से वह पट्टा बंटा था और जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसने भी आबादी का पट्टा बांटा है लेकिन आपने जो भी पट्टा बांटा है वह आबादी का पट्टा था ।

श्री कवासी लखमा :- जो पट्टा बांटे थे न उसी को दिये थे, नया नहीं दिये हैं। (व्यवधान) जो पहले जोगी जी ने दिया था तो जोगी जी की फोटो हटाकर डॉ. रमन सिंह जी की फोटा लगा दिये, हम नया पट्टा दे रहे हैं भई ।

श्री सौरभ सिंह :- आप नहीं पट्टा नहीं दे रहे हैं, आप भूमिस्वामी...।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, आपकी सरकार ने 45 लाख आबादी पट्टा देने का निर्णय लिया था लेकिन आपने ख्याल नहीं किया इसीलिये हमारी सरकार कुछ कर रही है तो उसका समर्थन करना चाहिए ।

सभापति महोदय :- श्री मरकाम जी, आपकी पार्टी की ओर से जो बोलने वाले हैं वे सब लोग बोलेंगे ।

अशोधित/अप्रकाशन के लिये नहीं

श्री कवासी लखमा :- पट्टा बांटना छोड़कर आप मोबाईल बांट रहे थे, टिफिन बांट रहे थे । क्या यह मोबाईल कोई काम का है ? किसी ने तो नहीं मांगा था कि टिफिन बांटो, जूता बांटो, मोबाईल बांटो । हम पट्टा बांट रहे हैं ।

सभापति महोदय :- श्री सौरभ जी बोलिए ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं अभी दारू वाली बात पर नहीं जा रहा हूं । जब दारू की बात आयेगी तब आपसे जवाब मागूंगा, जवाब के समय तो आप इधर-उधर चल देते हैं ।

सभापति महोदय :- श्री सौरभ जी, आप आसंदी की ओर देखते हुए बोलिए ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आप आवासीय पट्टा लोगों को भूमिस्वामी हक दे रहे हैं उसमें कोई परेशानी नहीं है । माननीय मंत्री जी से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अपने जवाब में एक बात आ रही है कि 10 साल बाद वह भूमिस्वामी अधिकार का अपना पट्टा बेच सकेंगे मतलब निर्धारण हो जायेगा, पट्टे का हस्तांतरण हो जायेगा लेकिन 10 साल के बाद जब हस्तांतरण होगा तो गांवों में नगरीय क्षेत्रों में एक व्यापार उत्पन्न हो गया है । यहां का पट्टा फिर बेचकर आगे चले गये फिर पट्टा, फिर पट्टा करके तो मेरा यह निवेदन है कि समय-सीमा को थोड़ा और बढ़ाया जाये । उसकी जो मूल भावना है, मूल भावना के तहत् व्यक्तिगत जो भूमिहीन है, उस भूमिहीन का उपयोग किया जाये उसका दुरूपयोग न हो ।

माननीय सभापति महोदय, एक और संशोधन जोड़ा गया है । मूल अधिनियम में 3 घ के पश्चात् 3 ड भी जोड़ा गया है और 3 ड में यह जोड़ा गया है कि जो पट्टाधारी जो अधिकारी है उसको भूमि स्वामी अधिकार देने के लिये आपको आवेदन देना पड़ेगा जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन अधिकारियों के नाम हैं । माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है कि अधिकारी को जो आवेदन देगा वह पट्टाधारी है भूमिस्वामी बनने के लिये उसमें समय-सीमा होनी चाहिए । वह आवेदन सालों लटके रहते हैं और राजस्व विभाग की क्या प्रक्रिया है और राजस्व विभाग किस ढंग से कर रहा है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन मेरा निवेदन है कि यदि भूमि स्वामी जब अपने भू अधिकार पर जायेगा तो उसमें जवाब दें तो उसमें संशोधन करके समय-सीमा लाया जाये । इतने समय-सीमा में उपरोक्त प्रकरण का निराकरण किया जाये करके । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया इसके लिये धन्यवाद ।

श्री शैलेष पाण्डेय (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, आपको सादर प्रणाम । माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की अगुवाई में छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 के संशोधन विधेयक, 2019 प्रस्तुत किया गया है । मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । मुझे याद है कि पिछली सरकार के बनते समय जब आदरणीय

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बघेल जी, आदरणीय बाबा साहब बिलासपुर आये थे और वहां पर सभी लोगों से जनसंवाद किये थे तो ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे बाबा साहब से मिलने आये थे जब घोषणा पत्र बन रहा था कि उनको जिस जगह पर वे रह रहे हैं उस जगह पर रहने के लिये उनको परमानेंट वह जगह दे दी जाये । मुझे याद है मैं बिलासपुर की बात कर रहा हूं । पूरे प्रदेश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रहने के लिये ठिकाना नहीं है, उनके पास जमीन नहीं है, लोगों के पास मकान नहीं है और आप यह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 39 प्रतिशत जो है वह हमारे देश में है, छत्तीसगढ़ का नाम गरीबी में 39 प्रतिशत में है तो हमारे प्रदेश में ऐसी योजनाओं की, ऐसे लोगों के लिये बहुत जरूरत है। इसलिए इस प्रकार के विधेयक आने चाहिए । गरीब आदमी जो खुद का मकान बनाना चाहता है, वह खुद का व्यवसाय करना चाहता है । मैं इस बात का पूरा पूरा समर्थन करता हूं और माननीय डॉ. शिव डहरिया जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद और बधाई देता हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी के तो नाम से ही मैंने अपनी बात शुरू की है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- पांडे जी, आप चिंता मत करिए, आपने शुरूआत ही मुख्यमंत्री जी से शुरू की है । दुबारा धन्यवाद नहीं भी देंगे, तो भी चलेगा ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी द्वारा जो संशोधन विधेयक लाया गया है, यह आम गरीब लोगों के पट्टे और उनके अधिकार की बात कर रहे हैं । इसमें केवल एक शब्द का उपयोग हो रहा है - भू स्वामी अधिकार । सभापति महोदय, इस भू-स्वामी के अधिकार को परिभाषित नहीं किया गया है । जो लोग वर्षों से वहां रह रहे हैं, हम उनको किस प्रकार से अधिकार सम्पन्न बनाएंगे, उनके क्या-क्या अधिकार होंगे ? मृत्यु के पश्चात क्या स्थिति होगी ? राजस्व प्रकरण में उनकी क्या स्थिति होगी ? उनको कितने अधिकार मिलेंगे ? जो अनियमितताएं हैं, जिनके नियमितीकरण के लिए प्रावधान किया गया है । क्या उनको रजिस्ट्री का अधिकार मिलेगा ? इन सब अधिकारों को संरक्षित करना पड़ेगा । तब कहीं जाकर उनको लाभ प्राप्त होगा । बिना उनको परिभाषित किए उनको अधिकार नहीं मिलने वाला है । पहले भी पूववर्ती सरकारों द्वारा पट्टा वितरण किया गया है और अभी भी बांटे जा रहे हैं । इसमें केवल एक शब्द आ गया - भू स्वमी अधिकार । सभापति महोदय, मेरा यही कहना है कि इसको अच्छे से परिभाषित करें और जो लोग वर्षों से रह रहे हैं । नजूल में रह रहे हैं, राजस्व की जमीनें हैं, वे कब्जा करके रह रहे हैं या आबादी जमीन घोषित किया गया या वे बसाहट में रह रहे हैं । इस तरीके से उनके अधिकारों के संरक्षण की पूरी परिभाषा उसमें आ जानी चाहिए । तभी उनका हित संरक्षित हो सकता है ।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया जी द्वारा जो संशोधन विधेयक लाया गया है । मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं साथ ही

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने अब तक पट्टे के विषय पर राजनीति होती देखी है । मैंने राजनीतिक पार्टियों का 2008 का घोषणा पत्र पढ़ा, 2013 का पढ़ा और 2018 का भी पढ़ा । चूंकि हम नगरीय क्षेत्र से आते हैं और मैं खुद महापौर के रूप में कार्यरत हूं । मैंने देखा कि जो भी चुनाव लड़ता था वह कहता था कि हम पट्टा देंगे । भाषणों में नेता कहते थे कि हम पट्टा देंगे । पट्टा, पट्टा, पट्टा सुनकर कनपट्टा फट गया, लेकिन पिछले 15 सालों में पट्टे के संबंध में कोई ठोस बात नहीं हुई । मैं माननीय भूपेश बघेल जी को, माननीय शिव डहरिया जी को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय की गंभीरता को समझा, अपने वायदे की गंभीरता को समझा । आज ऐसे लाखों परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है ।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं, जो छोटी-छोटी झुग्गी बनाकर रह रहे हैं, वह मोर जमीन, मोर मकान की योजना में आवेदन करते हैं, लेकिन पट्टा न होने के कारण उनको लाभ नहीं मिल पाता । किन्हीं को तो अस्थायी पट्टा दिया गया है । उसको लेकर वे नगर निगम में पहुंचते हैं और कहते हैं कि उनको शासन की किसी योजना का लाभ मिले । लेकिन उनको किसी योजना का लाभ नहीं मिल पाता । ये आज ऐतिहासिक निर्णय छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा लिया जा रहा है । इस दिन को छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और याद भी किया जाएगा कि आज का यह दिन जब लाखों परिवारों को एक साथ, उनको रहने का अधिकार दे रही है । ऐसे सोच को, ऐसी सरकार को और ऐसे भूपेश बघेल जी को मैं चाहूंगा कि सदन में सभी दलों की ओर, यह किसी दल की बात नहीं है, यह घर की बात है, आवास की बात है, छत की बात है कि एक परिवार को जमीन मिल रही है । यह किसी दल की बात नहीं है । यह विचारधारा की बात नहीं है । मैं तो सभी सदस्यों से कहूंगा कि ताली ठोंककर इसका स्वागत कीजिए (मेजो की थपथपाहट) । आपके विधान सभा क्षेत्र की जनता भी आपका अभिवादन करेंगे, यदि आप इसमें रूचि लेकर इसका समर्थन करेंगे । मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद् ।

सभापति महोदय :- डॉ. रेणु अजीत जोगी।

डॉ. रेणु अजीत जोगी (कोटा) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1964 क्रमांक 15 की उद्देश्यिका एवं धारा 03 में सुसंगत उद्धरण के बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि दो-तीन शंकाएं-कुशंकाएं मेरे मन मन आयीं। इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है। क्योंकि मेरे क्षेत्र में भी 4 नगर पंचायत व पालिकाएं हैं और प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होने के बावजूद भी वहां आवास नहीं बन पा रहे हैं, पर जैसा इसमें लिखा है कि कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर या अन्य अधिकारी को अधिकृत करेंगे कि वे इस कार्य को करें तो उनकी भी एक समय-सीमा बांध दी जाये ताकि एक सुनिश्चित समय में उनको यह पट्टा पटवारी राजस्व के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अन्य अधिकारी दे सकें। दूसरी बात अभी हम लोग वर्तमान में सभी सदस्य महसूस करते हैं और देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत भी होता है तो नगर-पंचायत क्षेत्र में खासकर सी.एम.ओ. लेवल के अधिकारी या उनके अधीनस्थ कर्मचारी के कुछ न कुछ राशि भ्रष्टाचार में भेंट चढ़ जाता है। इसको भी सुनिश्चित करें कि जब पट्टा दिया जाये तो उससे हितग्राही को अनावश्यक आर्थिक नुकसान न हो और जो आपने 10 साल समय-सीमा भी रखी है, वह पर्याप्त तो लगती है पर बेचने के लिए कि 10 साल तक नहीं बेच सकते। उसको देखकर समझी हूं। कृपया अपने उद्बोधन में यह भी स्पष्ट कीजिएगा कि ये पट्टा किसके नाम रहेगा ? पूर्ववर्ती सरकार ने जैसे राशन कार्ड दिया था तो वह महिलाओं के नाम पर दिया था। अब यह महिला के नाम रहेगा? महिला होने के नाते मेरी उत्सुकता है या पुरूष के घर के मुखिया के नाम पर । जब मैं बात करने के लिए खड़ी हुई हूं तो आपका ध्यान अपनी गौरेला नगर पंचायत की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगी। उसकी आबादी करीब 24 हजार हो चुकी है और वह पात्रता रखता है कि उसे नगर-पालिका का दर्जा दिया जाये। पर किन्हीं कारणों वश पूर्ववर्ती सरकार ने भी नहीं दिया था और दुर्भाग्यवश मैं हमेशा विपक्ष में ही बैठी रहती हूं। तो आशा करती हूं कि आप इस पर..।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- भाभी जी, हम तो न्यौता दिये थे कि आप इधर आओ। आप तो उधर चले गये। हम लोग क्या करें ?

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- आपने वहां कहां आने दिया भैया। हम तो आना चाहते थे।

श्री धर्मजीत सिंह :- इतना झूठ मत बोलो। सरेआम आप लोग बेइज्जत करके इधर भेजे हो। (हंसी)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- देखिए, भाभी जी का हम बहुत सम्मान करते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- जो सलूक आप लोगों ने किया है मार दिया जाये कि छोड़ दिया जाये बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाये, गाना बजना चाहिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हम लोग भाभी जी का बहुत सम्मान करते हैं।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- भाभी जी का बहुत सम्मान हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- नामांकन के आखिरी दिन तक कांग्रेस टिकट के लिए परेशान थी। हम तो बोले थे, नहीं देंगे वो लोग। हम आगाह कर दिये थे पर वे मानने के लिए तैयार नहीं थे।

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- चलिए, हम खोटे सिक्के हैं। घूम-फिरकर वापस आ गये और अंत में मुझे यह याद आ रहा है। मैंने भाषण में कहा था। श्री रमन सिंह जी जब बोल रहे थे ट्रकों के पीछे लिखा रहता है टाटा फिर मिलेंगे। तो वाकई हम लोग फिर मिल लिये। पर मेरे काम भी जो अधूरे पड़े हैं, जिला का काम आप नहीं कर पायेंगे। वह तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ही अपेक्षा करूंगी। रतनपुर एक बहुत ही पवित्र और धार्मिक दृष्टि से हमारे क्षेत्र का गौरव है। बताना चाहूंगी कि वहां मुक्ति धाम के लिए एक

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रूपया की राशि नहीं दी गई है और मंदिर में तो बहुत खर्च होता रहता है और अन्य सुविधाएं भी पर्यटन की दृष्टि से..।

सभापति महोदय :- भाभी जी, आप इस विधेयक पर बोलिए। इस विधेयक पर बोलिए न।

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- जी, विधेयक पर बोल दिया। मैं खड़ी हूं तो लगे हाथ विपक्ष में रहने का कर्तव्य पूरा कर दूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री कुलदीप जुनेजा।

श्री कुलदीप जुनेजा (रायपुर नगर उत्तर) :- मैं नहीं बोल रहा हूँ भैय्या, दो लाईन बोल रहा हूं। ताली बजाओगे न। अजय जी, ताली बजाओगे ? (मेजों की थपथपाहट) चलों हंसे, इसी बात के लिए बहुत-बहुत बधाई।

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- माननीय सभापति जी, ये पहली बार बोल रहे हैं, इतने समय तक रूककर पहली बार बोल रहे हैं।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आदरणीय, अब बुलवाने का काम दे दिए हैं, सचेतक बना दिए हैं। तो सबसे बोलवाने का काम सौंपकर ...।

सभापति महोदय :- सचेतक बनाकर के आपके दल ने उनको रोकने की व्यवस्था कर दी है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- जी, धन्यवाद। आप सुबह से देख तो रहे हैं कि इधर से उधर दौडाने के काम में लगा दिए हैं। माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2019 जो विचार हेतु प्रस्तुत हुआ है, उसका मैं समर्थन करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, आज छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 में संशोधन विधेयक, 2019 नगरीय प्रशासन विकास मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है। माननीय सभापति महोदय, जिससे शहरी क्षेत्रों में निवासरत भूमिविहीन कब्जाधारी परिवारों को काबिज स्थान पर ही बनाने का भूमि का मालिकाना हक दिया जाना प्रस्तावित है। माननीय सभापति महोदय, जिससे विभाग द्वारा संचालित की जा रही योजना "मोर जमीन मोर मकान" के अन्तर्गत 02 लाख 29 हजार रूपये की अनुदान राशि प्राप्त कर अपना मकान बनाने का स्वप्न साकार कर सकेंगे। मैं इसके माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिव डहरिया जी नगरीय प्रशासन मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक में हमारी सरकार द्वारा यह भी प्रावधानित किया गया है कि संशोधन विधेयक के मूल उद्देश्यिका में पट्टा भूमि अधिकार के स्थान पर भू-स्वामी अधिकार प्रस्तावित है। माननीय सभापति महोदय, ऐसे परिवार जो कि अपने घर में ही छोटी-मोटी किराने वगैरह

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सामग्री की दुकान चाय, इत्यादि का होटल चलाकर अपना जीवन-यापन करते हैं, उनके भी पट्टे के नियमितीकरण का प्रावधान इस संशोधन विधेयक में किया गया है। माननीय सभापति महोदय, जिससे घर के साथ-साथ वे अपना जीवकोपार्जन भी कर सकेंगे। मैं इसके लिए माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री और मुख्यमंत्री जी को पुन: बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है कि भूमिहीन...।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपके पास तो कई पट्टें हैं, आप कहां पट्टे के चक्कर में पड़े हो।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- इसी कारण तो बोल ही रहा हूँ न। भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टा देने का जो प्रस्ताव लाया है, उसमें मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जैसे मुंगेली शहर है, वहां नगर पालिका परिषद् है, वहां नजूल जमीन है। पूर्व में वह आबादी था, नजूल जमीन है और लोग नजूल जमीन में बसे हुए हैं। क्या आप उनको पट्टा देंगे या शासकीय जमीन का पट्टा देंगे या आबादी का पट्टा देंगे ? यदि एक परिवार में ज्यादा जमीन पर कब्जा किए हैं, परिवार की संख्या-2, 4, 6 है, परिवार की परिभाषा में पति-पत्नि और बच्चें हैं, ऐसे लोगों को कितना पट्टा देंगे, यह भी क्लीयर करने का कष्ट करेंगे। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ।

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2019 का समर्थन करती हूँ। जैसा कि हमारे चुनाव घोषणा-पत्र और जब-जब हमारी कांग्रेस की सरकार रही है, हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने समय-समय पर पूरे देश में कहीं पर भी आबादी पट्टा दिया गया, उसको इन्दिरा पट्टा ही कहा जाता है। आज भी इन्दिरा पट्टा के नाम से जाना जाता है। तो मैं इस प्रस्ताव के समर्थन के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने जन घोषणा-पत्र की पूर्ति में जो प्रस्ताव लाया है, मैं उन्हें उसके लिए बधाई देता हूँ। माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ0 शिव डहरिया को बधाई देती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि सबके लिए आवास के उद्देश्य से यह जो संशोधन विधेयक लाकर प्रस्ताव दिया जा रहा है। उस संशोधन में मेरे समर्थन का आशय यही है कि जहां जो गरीब रह रहे हैं, वहां प्रधानमंत्री आवास योजना में उन्हें आवास के लिए लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इस संशोधन विधेयक की आवश्यकता हुई है। इसमें संशोधन होने के बाद आवास योजना का लाभ मिल पायेगा। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है प्रधानमंत्री आवास योजना में केन्द्र और राज्य का दोनों का प्रतिशत निश्चित है। तो राज्य अपने नागरिकों के अधिक से अधिक हित का संवर्द्धन चाहता है और उसके लिए यह संशोधन विधेयक ला रहे हैं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये, मैं समझता हूं कि सभा सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री जी ने नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्तियों के लिए (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 सदन में प्रस्तुत किया है, वह भूमिहीन व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छा है । मेरे पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 3 नगर पंचायत हैं और उन क्षेत्रों से बहुत सारे आवेदन प्राप्त होते हैं । खासकर ऐसे लोग हैं, जो पलायन करते हैं । वे रहने के लिए एक छोटा सा मकान बनाते हैं, उसको भी तोड़ने के लिए उनको धमकी दी जाती है, उनके पास नोटिस आता है । अगर उनको ये पट्टा प्राप्त हो जायेगा तो उनके सिर से बोझ हट जायेगा और वे बहुत ही आसानी से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, कमाने खाने जा सकते हैं क्योंकि उनके सर पर छांव है । मैं माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जिस तरह से उन्होंने पट्टाधृत भूमिहीन व्यक्ति को छत दिया, उसी तरह अगर वे छोटे-छोटे किसान जो आधा एकड़, एक एकड़ जमीन से अपना जीवन-यापन कर रहे हैं, उसको कमाई करके उनको भी आप पट्टा दे देते तो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश का हर एक किसान आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं । धन्यवाद ।

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्तियों के लिए (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 आज सदन में प्रस्तुत किया गया है । संशोधन विधेयक में 19 नवम्बर, 2018 के पूर्व कब्जाधारी परिवारों को अपने काबिज स्थल पर ही बसाने हेतु भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करने हेतु प्रावधान किया गया है । इससे शहरी क्षेत्रों में लगभग 1,39,730 परिवारों को उनकी भूमि का मालिकाना हक प्राप्त होने का मार्ग प्रशस्त होगा । पूर्व के संशोधन विधेयक में पूर्व में प्रदायित पट्टे के क्षेत्र से 50 प्रतिशत अधिक तक संलग्न भूमि में किए गए कब्जे का भी नियमितिकरण किये जाने का प्रावधान किया गया था, जिसमें पट्टे के क्षेत्र में भी वृद्धि किये जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। नवीन प्रावधान के अनुसार नगर पंचायत में 1 हजार वर्गफूट के स्थान पर 15 सौ वर्गफूट, नगर पालिका क्षेत्र में 8सौ के स्थान पर 12सौ वर्गफूट तथा रायपुर को छोड़कर अन्य नगर निगम में 700 वर्गफूट के स्थान पर 1050 वर्गफूट तथा नगर निगम, रायपुर में 600 वर्गफूट के स्थान पर 900 वर्गफूट की अधिकतम सीमा तय किये जाने का भी प्रावधान किया गया है ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

5:28 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरण दास महंत) पीठासीन हुए)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल अधिनियम में पट्टे के हस्तांतरण का प्रावधान नहीं होने के कारण वर्तमान में काबिज परिवारों को भूमि का मालिकाना हक प्राप्त नहीं हो पा रहा था । अंतरण का अधिकार 10 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् प्राप्त होगा, जिसका संशोधन विधेयक पारित हो चुका है । प्रस्तुत संशोधन विधेयक के मूल उद्देशिका में कतिपय प्रकरणों में पट्टाधृति अधिकार के स्थान पर भू स्वामी अधिकारी अन्त:स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करने के लिए मूल अधिनियम में धारा 3 (ड) का नया प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जिसमें भूमि पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति‍ि से प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर पट्टाधृति अधिकार को भू-स्वामी अधिकार में आवेदक के नाम से परिवर्तित किया जा सकेगा । इस प्रकार इस संशोधन विधेयक में बहुआयामी प्रावधान किये गए हैं, जिससे वर्तमान में काबिज परिवारों को भूमि का मालिकाना हक प्राप्त होगा एवं उन्हें शासन की अन्य आवास निर्माण योजनाओं के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने का भी मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे वे अपने घर में भयमुक्त होकर अपना जीवन-यापन कर सकेंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सौरभ सिंह जी, शैलेश पांडे जी, डा. कृष्णमूर्ति बांधी जी, भाई देवेन्द्र यादव जी, आदरणीय डॉ. रेणु जोगी जी, भाई कुलदीप जुनेजा जी, पुन्नूलाल मोहले जी, रश्मि सिंह जी, इंदू बंजारे जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अच्छे सुझाव दिये हैं । इसके बाद नियम बनाए जाएंगे और नियमों में इस तरह के प्रावधान किये जाएंगे कि समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण हो जाए और फ्री होल्ड करके रजिस्ट्री कराएं तो उनको मालिकाना हक़ मिले । वे डायवर्सन कराकर अपना कोई काम करना चाहते हैं तो वहां कर सकें, इसलिए यह विधेयक लाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पटटाघृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक 2019 (क्रमांक 14 सन 2019) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

र्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि- छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पटटाघृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 14 सन 2019) पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि-छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन (व्यक्ति पटटाघृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 14 सन 2019) पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह यह है कि- छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पटटाघृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 14 सन 2019) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी आग्रह करते तो हम लोग सर्वसम्मत कर देते। मंत्री का विधेयक रहता है तो वह एक बार आग्रह जरूर करता है कि सर्वसम्मत कर दें । वह तो पारित हो गया है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पारित किया था । माननीय चन्द्राकर जी ने मेरे आग्रह को सुना ही नही ।

श्री संतराम नेताम :- जब बहुमत नहीं है तो काहे का आग्रह है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम लोग सर्वसम्मति से करने के पक्ष में थे । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सर्वसम्मति से...(व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- जब गरीबों का पटटा था...(व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय चौबे जी...(व्यवधान) ...आपके मंत्री ने थोड़ी कहा है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपने बोला ही नहीं है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय मंत्री जी ने कहा, आप नहीं सुन पाये लगता है ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा । प्रदेश में हाथियों के उत्पात से हो रही जन-धन की हानि से उत्पन्न स्थिति पर श्री धरमलाल कौशिक जी चर्चा उठायेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी । आदरणीय कौशिक जी की चर्चा है । महत्वपूर्ण चर्चा है । लेकिन समय भी बहुत हो गया है । माननीय शिक्षा मंत्री जी को स्टेटमेंट भी देना है । माननीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है । सबेरे आप लोगों ने स्थगन का मुददा उठाया । मैं समझता हूँ कि 139 पर चर्चा अन्य अवसर पर कर लिया जाये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- स्थिति यह है कि वन विभाग का कोई आदमी भी मौजूद नहीं है । सचिव, विभागाध्यक्ष, निचले स्तर के लोग हैं, अधिकारी हैं, बेचारे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- हमारे मंत्री जी जवाब देते हैं । आप चुटका पढ़कर देते थे, वैसा नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय आप बतायें ?

श्री रविन्द्र चौबे :- नेता प्रतिपक्ष जी सहमत हैं ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- घटना असल में दिन प्रतिदिन हो रही है, इसलिए चिन्तित होकर हमने कहा कि चर्चा हो ।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- इसमें आप जो भी सुझाव देंगे।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- आज ही मेरे क्षेत्र में विजयनगर के कापू में एक छोटी दुधमुंही बच्ची को हाथी ने कुचल कर मार डाला ।

अध्यक्ष महोदय :- क्या किया ?

श्री लालजीत सिंह राठिया :- विजय नगर में हाथी ने कुचलकर मार दिया ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय मंत्री जी अपना वक्तव्य दीजिए ।

समय :
5:34 बजे

<u>वक्तव्य</u>

<u>स्कूल शिक्षा विभाग में मध्यान्ह भोजन में अण्डा दिया जाना</u>

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जब स्कूलों में जब अण्डा वितरण का फैसला लिया था तो हमारे मन में कुपोषित छत्तीसगढ़ को एक स्वस्थ और सुपोषित बच्चों वाले छत्तीसगढ़ में बदलने का लक्ष्य था। हम प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों के भ्रम से निकल कर कुपोषित बच्चों के आंकड़ों तक गए और यह फैसला लिया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- संसदीय कार्य मंत्री जी, लेकिन वक्तव्य के समय भी आपकी दीर्घा खाली है। यह महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण अवसर ऐसा आता है जब मंत्री जी किसी विषय पर वक्तव्य देते हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- सर, उधर भी पूरे खाली दिख रहे हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- छत्तीसगढ़ शासन ने 15 जनवरी को एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि बच्चों को प्रोटीन एवं कैलोरी की पूर्ति हेतु मध्याह्न भोजन के साथ सप्ताह में कम से कम दो दिन अंडा/दूध/समतुल्य न्यूट्रिशन मूल्य का खाद्य पदार्थ दिया जाए। इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए 16 जुलाई को एक नया आदेश जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि आगामी दो सप्ताह में शाला विकास समिति एवं पालकों की बैठक शाला स्तर पर आयोजित कराई जाए और ऐसे छात्र-छात्राओं को चिन्हित किया जाए जो मध्याह्न भोजन में अंडा ग्रहण नहीं करना चाहते हैं।

जिन शालाओं में अंडा खाने वाले तथा नहीं खाने वाले दोनों प्रकार के बच्चे दर्ज हों वहां मध्याह्न भोजन तेयार करने के पश्चात् अलग से अंडे उबालने अथवा पकाने की व्यवस्था की जाए। जिन छात्र-छात्राओं को अंडा नहीं खाने वालों के रूप में चिन्हित किया गया है, उन्हें मध्याह्न भोजन के समय पृथक पंक्ति में बैठाया जाकर मध्याह्न भोजन परोसने के निर्देश हैं।

जिन शालाओं में अंडा वितरण किया जाना हो, वहां शाकाहारी छात्र-छात्राओं के लिए अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ यथा सुगंधित सोया दूध, सुगंधित मिल्क, प्रोटीन क्रंच, फोर्टिफाईड बिस्किट, फोर्टिफाईड सोयाबड़ी, सोया मूंगफली चिकी, सोया पापड़, फोर्टिफाईड दाल इत्यादि विकल्प की व्यवस्था किये जाने के निर्देश हैं।

यदि पालकों की बैठक में मध्याह्न भोजन में अंडा दिये जाने हेतु आम सहमति न हो तो, ऐसी शालाओं में मध्याह्न भोजन के साथ अंडा न दिया जाकर घर पहुंचा कर पूरक आहार के प्रदाय की रीति शाला विकास समिति द्वारा विकसित की जानी है।

विदित हो कि देश के 36 राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में से 13 राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में मध्याह्न भोजन योजना में अंडा दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य बिहार, झारखंड, उत्तराखंड के साथ-साथ आंध्रप्रदेश, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में भी मध्याह्न भोजन योजना में अंडा दिया जा रहा है। उड़ीसा सहित कुछ राज्यों के अध्ययन में यह पाया गया है कि जिस दिन शाला में विद्यार्थियों को अंडा दिया जाता है उस दिन उपस्थिति अन्य दिनों की तुलना में अधिक रहती है।

छत्तीसगढ़ राज्य में भी पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 24.12.2014 के कंडिका 4.2 में भी आंगनबाड़ी केन्द्रों में अंडा वितरण

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

का प्रावधान किया गया है जो आज भी लागू है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग में मध्याह्न भोजन में अंडा दिये जाने के हमारी सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है।

प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन 15 वर्ष रहा है। विकास का गुणगान करने वाली पूर्ववर्ती सरकार ने यह कभी नही बताया कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में आज भी लगभग आधे बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में तो यह स्थिति और भी खराब है। यह आंकड़ा केन्द्र सरकार की ओर से संसद में दिया गया है। यह तथ्य है कि कुपोषण की वजह से न केवल उनका शारीरिक विकास रूक रहा है बल्कि इसकी वजह से उनका मानसिक विकास भी अवरूद्ध हो रहा है। आयु के अनुसार वजन के आधार पर छत्तीसगढ़ में कुपोषण की स्थिति देखें तो भारत में छत्तीसगढ़ की स्थिति 30 वें क्रम में है। राज्य में बौनापन 37.6 प्रतिशत एवं दुर्बलता 23.1 प्रतिशत है। देश में हमारी स्थिति 28 वें क्रम में है।

प्रदेश में कुपोषण को दूर करने के लिए बच्चों में प्रोटीन अधिक मात्रा में देना होगा। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि एक अंडे में दूध और केले की तुलना में कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन एवं आयरन आदि तत्व बहुत अधिक होते हैं। अंडे में फैट भी अधिक होता है जिसकी जरूरत हमारे बच्चों को बहुत है।

ऐसा नहीं है कि सरकार उन बच्चों की ओर ध्यान नहीं देना चाहती जो परंपरागत रूप से शाकाहारी हैं। हमने उनके लिए भी सोया मिल्क जैसे वैकल्पिक प्रावधान की व्यवस्था की है।

राष्ट्रीय स्तर पर किए गए सर्वेक्षण से यह जाहिर है कि देश में आबादी का अधिकांश हिस्सा मांसाहार करता है। एस.आर.एस. (सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) के सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ में ही 83 प्रतिशत लोग मांसाहारी हैं जबकि अभी राष्ट्रीय स्तर पर यह बहस चल ही रही है कि अंडे को मांसाहार कहा भी जाए या नहीं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य पोलिटिकल है। इसे शासन का वक्तव्य नहीं माना जा सकता। ये तो राजनीतिक वक्तव्य है।

श्री बृहस्पत सिंह :- (पर्चा लहराते हुए) ये शासन का आदेश है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का वक्तव्य नहीं है, ये शासन का वक्तव्य है। शासन स्पष्ट रूप से बताए कि वह क्या करना चाहती है। (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- दूसरा तथ्य यह है कि दूध और केले की तुलना में अंडे को ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है और अंडे में किसी तरह की कटौती पर भ्रष्टाचार करने की आशंका भी कम होती है।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे छत्तीसगढ़ के बच्चों खास कर ग्रामीण, अनुसूचित जाति

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

और जनजाति इलाकों में रहने वाले गरीब बच्चों के भविष्य की चिंता करें और इसे धार्मिक रंग देकर राजनीति का विषय न बनाएं.....।

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- अध्यक्ष महोदय, बहुत खेद का विषय है कि दूसरे वक्ता को बोलने नहीं देते हैं, बहुत खेद की बात है। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, पहले मंत्री जी का वक्तव्य तो आने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- इसने व्यवस्था का प्रश्न नहीं किया। देखिये इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं आयेगा। आप वक्तव्य के बाद अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब तक इस प्रकार...। (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष जी, पहले मंत्री का जवाब तो आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपने जानना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं। मुझे भी इस छत्तीसगढ़ विधानसभा में तीस साल हो गये परंतु तीस साल में कोई भी वक्तव्य राजनीतिक नहीं देखा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, मोवा में इनकी सरकार दारू पीला रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, जब तक सरकार का स्पष्टीकरण...।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, हमने जो स्थगन प्रस्ताव लाया है उसमें आपकी सरकार का वक्तव्य आयेगा। परंतु सरकार का वक्तव्य स्थगन प्रस्ताव या हमारी चिंता का विषय नहीं है। उन्होंने जो विषय रखा है वह पूरी तरह राजनीतिक विषय रखा है। सरकार अंडे के मामले को लेकर (व्यवधान) यह उनका वक्तव्य होना चाहिए। यह उनका विषय होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं आ सकता।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य ऐसा होना चाहिए कि आपके नियमों में क्या है या आप उसको बता दें ?

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। क्या आपका खत्म हो गया ? आपका वक्तव्य खत्म हो गया ? बोलिये। (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अण्डा वितरण को वैज्ञानिक दृष्टि से देखे जाने की जरूरत है। यह बच्चों के भविष्य का अहम सवाल है। इसी सदन में कई माननीय सदस्य डॉक्टर हैं और हमारी अपेक्षा है कि वे सदन को बताएं कि पौष्टिकता की दृष्टि से अण्डा कितना जरूरी है।

श्री अमरजीत भगत :- सच्चाई को देखकर आपको मिर्ची क्यों लग रही है?(हंसी) (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यदि पहले किसी भी विषय में शासन का वक्तव्य आया है, किसी भी महत्वपूर्ण विषय में शासन का वक्तव्य आया है तो विधानसभा के रिकार्ड में है उसको निकलवाकर देख लीजिए। जो विषय अंडा का है जिसमें वक्तव्य देने की आपने अनुमति दी है उसमें सरकार का दृष्टिकोण आता है। वह राजनीतिक तौर पर आज तक नहीं आया है। (व्यवधान) सरकार पूरा दृष्टिकोण प्रस्तुत करें कि वह अंडा के लिये क्या करना चाहती है ? राजनीतिक दस्तावेज का अवसर विधानसभा में नहीं दिया जाता है। (व्यवधान) दुनिया भर की कहानी सुना रहें है क्या करना चाह रहे हैं यह नहीं बता रहे हैं ?

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मोदी सरकार और रमन सरकार दोनों की गलतियां है।

अध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपसे इस बात की जानकारी चाहेंगे कि हमने स्थगन प्रस्ताव लगाया। हमने आपसे जानकारी चाही कि स्थगन प्रस्ताव पर आप चर्चा करायें। आपने कहा कि सरकार का वक्तव्य आयेगा। सरकार का वक्तव्य यह आना चाहिए कि अंडे के मामले में क्या करने वाली है...?(व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मोदी सरकार और रमन सिंह की सरकार दोनों ने अंडा चलाने का आदेश दिया है और लगातार छत्तीसगढ़ में अंडा परोसने का काम किया है, यह नया नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप चाहें तो अंडे के मामले में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करवा लें। यह राजनीतिक वक्तव्य नहीं आना चाहिए।

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, 2012 में इनकी सरकार 1 अंडा बांटती थी।

अध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मोदी सरकार और रमन सरकार ने अंडा परोसने का आर्डर दिया है, आदेश किया है। यह आदेश की कॉपी है। मोदी सरकार और रमन सरकार दोनों ने आदेश दिया है, अंडा परोसने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, आपसे संरक्षण चाहूंगा। आपसे आग्रह करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं। समय दिया जाये। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, जनता डंडा मारेगी। जतना आपको डंडा मारेगी। (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आपको जनता डण्डा मार चुकी है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- जनता ने आपको डण्डा मार कर भगा दिया। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप बच्चों को भ्रष्ट बना रहे हो, मांसाहारी बना रहे हो, आपको जनता डण्डा मारेगी। (व्यवधान)

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- वहां बच्चे कुपोषण के शिकार हुए हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी अपना वक्तव्य देंगे। अपनी बात कहेंगे, आप लोग शांति से सुनेंगे।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अण्डे को लेकर के दो-तीन दिन से ...।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अण्डा कहां से आ गया? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत है। ये ठीक नहीं है। ये क्या हो रहा है? (व्यवधान)

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अण्डा के बारे में बात हुई। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- ये वक्तव्य है, दो मिनट रूकिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठ जायें।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आदेश की कॉपी है।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मोहन जी, आप तो बैठ जाएं।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिए।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष कौन है? आज भी संशय बना हुआ है। जब भी होता है तो बहिर्गमन इधर से होता है।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष जी, आप नेता प्रतिपक्ष को बोलने देंगे तब तो।

अध्यक्ष महोदय :- आप बोलिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव दिया था। सरकार की ओर से बात आयी कि इसमें वक्तव्य दिया जायेगा। हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में सरकार की जो नीति है, जो प्रकरण, तथ्य आये हैं और उस संदर्भ में हम लोगों ने जो अपने विचार रखे हैं। उन विचारों को समावेश करते हुए, सरकार की ओर से उसमें तथ्य आएंगे। वक्तव्य आएंगे, लेकिन जो वक्तव्य आया, इसको एक बार में ही आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य का विषय नहीं है। इसमें इन्होंने पूरे देश में कितने प्रदेशों में अण्डे का प्रचलन है, उसमें कितना प्रोटीन है?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में चल रहा है बताना तो पड़ेगा। माननीय मोदी साहब चला रहे हैं तो हम क्या करें?

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री मोहन मरकाम :- असम में आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां खिलाने का क्या-क्या आदेश है ? केन्द्रीय गृह मंत्री जिसका जिक्र करते हैं, नेता प्रतिपक्ष जी कुछ बोलेंगे ? केन्द्रीय गृह मंत्री क्या बयान देते हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान अण्डा नहीं वितरण किया गया। (व्यवधान)

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- राजनांदगांव जिले में सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार हुए हैं।

डॉ. (श्रीमती)लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष जी, सब बच्चे कुपोषण के शिकार हो गये हैं।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य के द्वारा सदन को साफ-साफ गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। (व्यवधान) वर्ष 2011 में इनकी सरकार अण्डा देने की बात कहती है। कुपोषित बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है। (व्यवधान) मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका दोहरा चरित्र है।

श्री संतराम नेताम :- समाज के लोगों ने कहा है कि अण्डा दिया जाये। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य, प्रतिक्रिया देनी है या नहीं देनी है ?

अध्यक्ष महोदय :- देवेन्द्र यादव जी, आप बैठिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। ये दो दिनों से क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप थोड़ा सा बैठिए। सबसे ज्यादा तो आप बोलते हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वही बात हम लोग भी जानना चाह रहे हैं, जो धर्मजीत सिंह जी बोल रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष बोलें और उनको मशक्कत करना पड़े तो यह उचित नहीं है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, आप इनको सुनने के लिए बोलिए। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो हम लोग ध्यान से सुनते हैं। नेता प्रतिपक्ष बोलें तो थोड़ा सुन लीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तीन दिनों से तकरार लगाए हैं। इनकी सरकार ने आदेश खुद किया है। अण्डा परोसने का किया है, मोदी सरकार, ये भारत सरकार के आर्डर हैं और राज्य सरकार के आर्डर हैं इन्होंने खुद अण्डा परोसा है। आज उस अण्डे के विषय में तीन दिनों से तकरार कर रहे हैं। सदन का अनावश्यक समय बर्बाद कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपको बहुत आपत्तिजनक बात लगती हो तो आप ब्यान दे दीजिए। (व्यवधान) आप सुनने नहीं देंगे। आपके हल्ले में माननीय मंत्री जी क्या बोले

असंपादित/प्रकाशन के लिये नहीं

यह समझ में नहीं आया। अण्डा बंद करेंगे या नहीं करेंगे? वह पूरी कहानी बोल डाले, हमको समझ में ही नहीं आया।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदेश का अवलोकन कर लिया जाये। आज उस सरकार के मंत्री विपक्ष में बैठे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने खुद ऑर्डर किया, अण्डा परोसने का काम किया।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम नेता प्रतिपक्ष को तो बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय बृहस्पत सिंह जी आप बैठ जाईये।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष कौन है, यह तय नहीं हो पा रहा है, बहिर्गमन इधर से हो रहा है, हम भी संशय की स्थिति में हैं कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कौन है?

अध्यक्ष महोदय :- कृपया, आप बैठिये। माननीय मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया है, उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अधिकार है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी क्षेत्रों में तो जबरदस्त अंडे की मांग है।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, आप मंत्री हैं, मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाऊंगा, आप बैठ जाईए।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि..।

अध्यक्ष महोदय :- देवेन्द्र यादव जी, आप जरूरत से ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। देवेन्द्र जी आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप बोलें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में असम, पंजाब के ऊपर चर्चा होगी या छत्तीसगढ़ के ऊपर चर्चा होगी ? जरा इस पर तो आप निर्णय करवा दें। हम यहां पर छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष के अलावा किसी का वक्तव्य नोट नहीं किया जायेगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य के बारे में कहना चाहता हूं कि सरकार का वक्तव्य आना चाहिए, पार्टी का वक्तव्य न आये। लेकिन जिस प्रकार से वक्तव्य में सारी चीजों को कोड किया गया, ऐसा लग रहा है कि ये अपना वक्तव्य पार्लियामेन्ट में दे रहे हैं कि पूरे देश में उसमें कहां क्या है। छत्तीसगढ़ में हम स्थगन प्रस्ताव में जिस बात पर जोर दिये, उस छत्तीसगढ़ में

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आप क्या करना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं, उस विषय में आना चाहिए। उस विषय में वक्तव्य हो तो ठीक है। लेकिन जो राजनीतिक वक्तव्य दिया गया है, ये बिल्कुल सदन के नियम के, गरिमा के विपरित है। जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, उस समय जोगी जी मुख्यमंत्री थे। उस समय कुपोषण की दर 52 प्रतिशत रही है और आज बिना अंडा खिलाये 30 प्रतिशत कुपोषण की दर है। कुपोषण में 22 प्रतिशत कमी आई। आज उसके विकल्प बहुत सारे हैं, यह जरूरी नहीं है कि आप अंडा खिलायेंगे। 22 प्रतिशत की कमी आई है। इसमें आप जो अन्य शाकाहारी के लिए दिये हैं कि ये खिलाने से उसमें प्रोटीन की मात्रा बढेगी, कुपोषण की दर कम होगी, तो बाकी लोगों के लिए उसको एडॉप्ट क्यों नहीं कर सकते? उनके लिए भी किया जा सकता है। उनके लिए करके हम कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें जो सबसे गंभीर विषय है। आपकी स्कूल का परिसर कितना बड़ा है, आप देखे हैं। मध्यान्ह भोजन में आप भी कई बार गये हैं, हम लोग भी गये हैं। उस परिसर के अंदर में आप यह सुनिश्चित करोगे कि जो अंडा खाने वाले हैं उसको इधर बैठाओ और जो नहीं खाने वाले हैं इधर बैठाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय जो शाकाहारी हैं, जो अंडा खाने वाले नहीं हैं, उसके बगल में बच्चा बैठ करके खायेगा। एक दिन देखेगा, दो दिन देखेगा, तीन दिन देखेगा। वह भी बोलेगा कि भई तुम भी थोड़ा सा टेस्ट करके देखो। अब वह खाने लगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकते। यह जो आप बता रहे हैं कि शाकाहारी और मांसाहारी को अलग करना है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। यह देश की बात कर रहे हैं, आज पूरे देश में शाकाहारी के पक्ष में वातावरण बन रहा है, अच्छे-अच्छे लोग, जिस समाज के खाने वाले प्रतिबद्ध लोग हैं, वह छोड रहे हैं। वह शाकाहारी की तरफ जा रहे हैं और हम यहां एक नई शुरूआत कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल सिखाने के लिए भेजते हैं, प्राथमिक शिक्षा है। बच्चे मिट्टी के लौंदा हैं, आप जिस ढांचा में ढालना चाहोगे, वह उसी ढांचा में ढलेगा। तो जो शाकाहारी है, आप उसको प्राथमिक स्कूल से मांशाहारी परोसने का क्रम प्रारंभ कर रहे हो और क्रम प्रारंभ करने के बाद में जो शाकाहारी है, आप उसको मांशाहारी बनाना चाहते हो। यह प्रदेश में जो नई परंपरा डाल रहे हैं। लोग सबको शाकाहारी की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार के द्वारा जो शाकाहारी हैं, जो आज तक अंडा छुए नहीं हैं, ये सरकार के द्वारा उनको मांशाहारी बनाने जा रहे हैं, ये कृत्य से सरकार को बचने की आवश्यकता है। इस प्रदेश को जिस दिशा में ले जा रहे हैं, इस अंडा के माध्यम से बच्चों में जो संस्कार डालने जा रहे हैं, आप क्या संस्कार डाल रहे हैं? आज योग की शिक्षा हो रही है।

श्री अमरजीत भगत :- [XX] [10]

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX]

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं उसके विरोध में नहीं कह रहा हूं, मैं उस विषय में आ रहा हूं।

[10] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX] (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX]

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने थोड़ी कहा कि नया कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX]

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि श्री बृहस्पत सिंह जी या श्री अमरजीत जी के यहां अंडा मत भेजो करके । (व्यवधान) अंडा तो अंडा, अंडा के मॉ को भी उनके यहां भेज दो ।

बृहस्पत सिंह :- [XX]

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- [XX]

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से अभी जो योजना चलायी जा रही है अब उसमें यह जो समाज की बात आयी । यहां पर बहुत बड़े तबके में कबीरपंथ को मानने वाले लोग हैं जो अंडा नहीं खाते । गायत्री परिवार के लोग हैं जो अंडा नहीं खाते, सतनामी समाज, बाबा गुरू घासीदास जी की यह कर्मस्थली है, जन्मस्थली है और समाज का एक बड़ा तबका है जो इन सारी चीजों से दूर है । एक बहुत बडे समाज का तबका जिनका ज्ञापन आ रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं ।

डॉ. विनय जायसवाल :- [XX]

अध्यक्ष महोदय :- आप बोलिए न, चलिये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं, जब तक बोलते रहेंगे, मैं नहीं बोलूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- आप ईजाजत देंगे तभी बोल पायेंगे, आप उनको ईजाजत दे रहे हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- बाकी का रिकॉर्ड में मत आये ।

अध्यक्ष महोदय :- किसी का रिकॉर्ड में नहीं आएगा ।

श्री देवेंद्र यादव :- [XX] [11]

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम यहां पूरी आबादी का निकालेंगे । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX]

अध्यक्ष महोदय :- आपके अलावा किसी का भी रिकॉर्ड में नहीं आयेगा चाहे कोई कुछ बोलता रहे और यदि आप किसी को अनुमति देंगे तभी वह बोल सकता है।

[11] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम पूरा तबका निकालेंगे तो यहां पर एक बड़ी आबादी हमारे अनुसूचित जनजाति की है जो बाबा गुरूघासी दास जी के अनुयायी हैं जो अंडा नहीं खाते हैं, यदि हम ऐसे तमाम् वर्गों को निकालेंगे तो उसकी बड़ी संख्या आ रही है और यदि इस योजना का क्रियान्वयन करेंगे तो निश्चित रूप से समाज में आज जो लोग इसके खिलाफ में हैं और समाज के जो लोग इसको छूते भी नहीं हैं उस समाज के लोग भी इससे प्रभावित होंगे । उनकी जनभावना है और इसी भावना को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं । जहां तक दूसरी बात आयी कि श्री अमरजीत जी बोल रहे थे कि आप आदिवासी क्षेत्र में अंडे का विरोध क्यों कर रहे हैं ? मैं आपके समाज के लिये अंडे का विरोध नहीं कर रहा हूं । आप स्कूल में परोसने जा रहे हैं, मैं उसका विरोध कर रहा हूं । यदि मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि केवल अंडे से ही प्रोटीन मिलेगा तो आप उनके घरों में पहुंचाने की व्यवस्था करिये । आप उनके घर में भिजवाईये, उनके घर में पहुंचवाईये । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX]

श्री विकास उपाध्याय :- [XX]

श्री मोहन मरकाम :- [XX]

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX]

श्री मोहन मरकाम :- [XX]

अध्यक्ष महोदय :- चलिये आप लोग डिस्टर्ब मत करिये । (व्यवधान)

श्री देवेंद्र यादव :- [XX]

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठ जायें भई । आप लोग समझते क्यों नहीं हैं।

श्री मोहन मरकाम :- [XX][12] (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- अध्यक्ष महोदय, किसी बात को आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, आपका नाम लिखा ही नहीं जाएगा, रिकॉर्ड में आएगा ही नहीं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- नाम लिखा जाए या न लिखा जाए लेकिन अंडे के मां-बाप का मुख्य अड्डा राजनांदगांव में है ।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने छात्रावासों का चावल बंद कर दिया, उस पर क्यों नहीं बोलते ?

श्री धरमलाल कौशिक :- यह तो आसंदी का अपमान है, अध्यक्ष महोदय । यह कह रहे हैं कि नाम लिखा जाए या न लिखा जाए, हम बोलेंगे । आसंदी के प्रति इनका आचरण ठीक नहीं है । अध्यक्ष

[12] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

महोदय, अमरजीत जी जिस बात को बोल रहे हैं कि आदिवासी समाज की बात है । शासन द्वारा अंडा उनके घर तक पहुंचा दिया जाए । हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, वे घर में दो अंडा, चार अंडा पहुंचा दें, उस परिवार के लिए पहुंचा दें । हमको उसमें विरोध नहीं है । दूसरी बात यह है कि इसमें इतनी जल्दबाजी की क्या आवश्यकता है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो पढ़ा, शायद उसे आपने ठीक से सुना नहीं । आप खुद ही कह रहे हैं कि अमरजीत जी ने कहा कि अंडा स्कूल में नहीं, घर में पहुंचाना चाहिए, यह आपने भी कहा और इसमें लिखा हुआ है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- दोनों बातें लिखी हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- एक मिनट सुन लीजिए । पालकों की बैठक में यदि अंडा दिए जाने के संबंध में आम सहमति न हो तो मध्याह्न भोजन के साथ अंडा न दिया जाकर । फिर से सुन लीजिए, मध्याह्न भोजन के साथ अंडा न दिया जाकर, घर पहुंचाकर पूरक आहार के प्रदाय की रीति शाला विकास समिति विकसित करेगी (मेजो की थपथपाहट) । आप एक ही लाइन में पूरा भाषण कर रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप बोल दो स्कूलों में नहीं देंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप उसको आदेशित कर दीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपने पालकों की सहमति बोला है । आप स्कूलों में अंडा देना बंद कर दो ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अब आपका विरोध पालकों की सहमति पर है । पहले आपने कहा घर जाकर । घर जाकर तो है ।(व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने विकल्प में लिखा है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- तो फिर उसमें विरोध किस बात का ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप एक लाईन का आदेश करें कि स्कूलों के बजाय उनके घरों में भेजा जाएगा ।(व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- आखिरी लाईन यही लिखी है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं लिखा है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप कौन सी भाषा समझते हो । हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं आपकी ही भाषा समझता हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चौबे जी, हम आपको विद्वान मानते हैं । परंतु आप कुतर्क करेंगे, हम यह नहीं समझते । कम से कम कुतर्क तो न करें ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- देखिये, ये पूर्ववर्ती सरकार के कार्य का नमूना है । इन्होंने खुद अंडा परोसने का काम किया है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी ना । प्रतिक्रिया व्यक्त करना आपका अधिकार है । आप संक्षिप्त में कर दीजिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- चौबे जी जो बात कर रहे हैं, चौबे जी, आप दूध पहुंचाने का काम करें, प्रोटीन पहुंचाने का काम करें । क्या अब आपके पास कोई काम नहीं बचा है आप केवल अंडा पहुंचाने का काम करेंगे । कम से कम आपसे यह उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि आपके रहते अंडा परोसने का काम, आपके जिम्मे लगा दिया गया कि आप अंडा पहुंचाएं । अध्यक्ष महोदय, यह ठीक नहीं है । मैं यह कह रहा हूं कि इसमें इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है । यदि प्रोटीन की बात है, एक तो आपने कहा कि घर पहुंचाकर । दूसरी बात, जिन प्रदेशों का हवाला आपने दिया, उन प्रदेशों में कुपोषण की दर क्या है ?

अध्यक्ष महोदय :- मैं उनको बोलने की अनुमति देता हूं । श्री टी.एस.सिंहदेव ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- अध्यक्ष महोदय, इससे अच्छी प्रजातांत्रिक व्यवस्था क्या हो सकती है कि आप कोई निर्णय ऊपर से न लेकर, यह सरकार आम लोगों को निर्णय लेने का अधिकार दे रही है कि आप जो तय करना चाहते हैं, आप तय करें, हम आपके ऊपर कुछ थोप नहीं रहे और इतने विकल्प दिये हुए हैं, जब आप विकल्प दे रहे हो तो यह कहां लिखा है कि यही करना है ? यह तो आप अनावश्यक उस विषय में बोलकर माहौल बना रहे हैं । इससे प्रजातांत्रिक और विकेन्द्रीकृत निर्णय दूसरा हो ही नहीं सकता था और मैं इस सरकार को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने अपने अधिकार को भी विकेन्द्रित किया और आम जनों से कहा कि आप तय करो कि क्या होना चाहिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इस बयान में....।

श्री मोहन मरकाम :- आप इतने सीनियर हो गये हैं। आप उसी बात को बार-बार बोल रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- भाई, हम आपसे पूछ-पूछ कर थोड़ी न बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- ये तीन दिन से क्या? अंडा और अंडे की मां। अंडे की मां और बाप। तीन दिन से सुन रहे हैं अंडे की मां और बाप। (व्यवधान)

श्री मोहम मरकाम :- बार-बार उसी उसी बात (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- आप मुझे अनुमति दिये हैं, मैं खड़ा हुआ हूं। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- जब पंचायत मंत्री बोल दिये हैं तो बोलने की जरूरत ही नहीं है।

असंशोधित/मुद्रण के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपकी अनुमति से खड़ा हुआ हूं। मैं मरकाम जी से पूछकर खड़ा होऊंगा क्या? अब आप बता दीजिए मैं आपसे पूछूं या इनसे पूछूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं यह कह रहा हूं कि मैंने सिर्फ इनको (श्री धरमलाल कौशिक) अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय :- समाप्त हो गया आपका। इनका समाप्त हो जाने दीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जिन प्रदेशों का हवाला दिया गया है, उन प्रदेशों में कुपोषण की, सुपोषण की दर का एक बार परीक्षण करना चाहिए और वे सारे रिकार्ड बुलवाने चाहिए कि अंडा देने के बाद वहां कुपोषण का कितना प्रतिशत है? जिन प्रदेशों में नहीं दिया है, वहां पर कितना है? छत्तीसगढ़ में कितना है? सरकार को इतनी जल्दबाजी करने की क्या आवश्यकता है, मुझे यह समझ में नहीं आ रही है।

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX] [13]

अध्यक्ष महोदय :- आप अनावश्यक बात न करें।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपको इसमें इंतजार करना चाहिए। इंतजार करने के बाद उसका क्रियान्वयन करें, लेकिन इतनी जल्दबाजी में ये निर्णय कर रहे हैं। चौबे जी जिस बात का हवाला दे रहे हैं, सिंह साहब जो बोल रहे हैं। हम तो यह बोल रहे हैं कि एक लाइन में आपने जब तय कर लिया कि देना है तो हम लोगों का कहना है कि आप उसमें विकल्प में लिखें। हम बोल रहे हैं कि विकल्प के बजाय आप उसमें आदेशित करिए कि स्कूल के बजाय उनके घर आप अंडा पहुंचाइए। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बहाना बनाकर या किसी माध्यम से उनके कंधे पर बंदूक रखकर निर्णय करे या उनके ऊपर थोपने का प्रयास कर रहे हैं, यह उचित नहीं है।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- [XX]

श्री धरमलाल कौशिक :- और इसीलिए माननीय अध्यक्ष महोदय इसमें विचार करना चाहिए। दूसरे प्रदेशों का रिपोर्ट बुलावाने की जरूरत है। रिपोर्ट बुलवाना चाहिए। उसके बाद इसका क्रियान्वयन करें। लेकिन मंत्री जी का जो वक्तव्य आया है, इससे हम खुश नहीं हैं, असंतुष्ट हैं। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और हम वेल में जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- वेल में जा रहे हैं या बाहर जायेंगे?

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मुझे भी अनुमति दे दीजिए मैं भी बोलूंगा । एक मिनट मुझे भी बोलने की अनुमति दी दीजिए।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

[13] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमरजीत भगत :- अंडा खाने वाले आप लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2019 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(सांय 06 बजकर 08 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 28, शक संवत 1941) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित)

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक 18 जुलाई, 2019

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं